सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता सिरोही

जिला आपदा प्रबन्धन योजना 2017

जिला आपदा प्रबन्धन योजना 2017

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सिरोही
फोन– 02972–225327
फैक्स : 02972–221240
ई मेल : reliefsectionsirohi@gmail.com

निर्देशक

जवाहर चौधरी, आर.ए.एस.
अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
सचिव जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
सिरोही

सम्पादक

एन.बी.सिंह
मुख्य आयोजना अधिकारी,
सिरोही

सहयोगी लेखन
मनोज कुमार काजला,
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग,सिरोही

मुश्ताक अली
लिपिक ग्रेड–II
जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सिरोही

अशोक कुमार
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (राज0)

संदेश नायक, I.A.S.

प्रस्तावना

जिला आपदा प्रबन्धन योजना किसी भी प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के पूर्व में आपदा के समय, व आपदा के बाद में एक सही एवं सुदृढ कार्य और जिम्मेदारी तय करने की एक निर्देशिका है। आपदा को रोकनें या आपदा की स्थिति में उसका बेहतर तरीके से मुकाबला करनें के लिए आपदा प्रबन्धन एक संस्थागत व्यवस्था है।

इस निर्देशिका का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रतिरोधी व्यवस्थाओं को एवं कार्यो को सम्मानित करना है। इस निर्देशिका की सहायता से किसी भी प्रकार की आपदा के समय विभिन्न विभागो के हिताधिकारी व कर्मचारी त्वरित कार्यवाही कर सकेंगे। जिससें आपदा से होने वाले जान–माल की क्षति को न होने देने या कम करने के साथ मानवनिर्मित आपदाओं को रोकना एवं स्थानीय संसाधन का क्षमता संवर्धन एवं विकास करना है।

मैं जिला आपदा प्रबंधन योजना 2017 तैयार करने के सफल प्रयास की प्रशंसा करता हूं तथा कामना करता हूं कि आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से जिले को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिये विभाग आपसी समन्वय सहयोग की भावना के साथ कार्य करते हुये योजना को मूर्त रूप देगें।

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
सिरोही

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, सिरोही

जिला आपदा प्रबंधन योजना–2017

जवाहर चौधरी आर.ए.एस
अति० जिला कलक्टर एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट

प्रस्तावना

आपदा से अभिप्राय प्राकृतिक या मानवजनित कारणों से आने वाली किसी भी विपत्ति, दुर्घटना, अनिष्ट और गम्भीर घटना से है। जिला आपदा प्रबन्धन योजना–2017 को बनाने हेतु राजस्थान के आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के दिशा–निर्देश, जिला, तहसील, स्थानीय निकायों एवं ग्राम स्तर के सभी अधिकारियों आमजनो के बहुमूल्य सुझावों को इसमें समाहित किया गया है।

जिला आपदा प्रबन्धन योजना का उदेश्य, स्थानिय स्तर पर किसी आपदा के खतरे अथवा संभावना की रोकथाम, किसी आपदा की जोखिम अथवा इसकी तीव्रता अथवा परिणामों का प्रशमन, न्यूनीकरण, अनुसंधान और ज्ञान प्रबंधन सहित क्षमता निर्माण ताकि आपदा की संभावित स्थिति अथवा आपदा के समय त्वरित कार्यवाही, इसके प्रभावों का आंकलन फसे हुये लोगो को निकालना, बचाव व राहत कार्य एवं पुनर्वास और पुर्ननिर्माण करना।

मुझे विश्वास है कि सभी विभागों के कार्मिक व अधिकारी पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन स्वयं सेवी संस्थायें, रेस्क्यू टीमें आमजन के सहयोग से घटित होने वाली किसी भी आपदा से प्रभावित परिवारो के जान–माल की सुरक्षा बचाव व राहत कार्यो का समन्वय के साथ जिले को आपदा प्रतिरोधी बनाना है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं
सचिव जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
सिरोही

	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
अध्याय– 1	जिला आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य	7
	Authority for the DDMP : DM Act 2005	
	हिताधारकों एवं उनकी जिम्मेदारिया	
	योजना का उपयोग	
	योजना का अनुमोदन	
	योजना की समीक्षा एवं अद्यतन	
अध्याय– 2	जिलें का संक्षिप्त परिचय	18
	भौगोलिक स्थिति	
	प्रशासनिक संरचना	
	आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति	
	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	
अध्याय– 3	जिलें में आपदा की संवेदनशील क्षमता एवं जोखिम का आंकलन	58
	संभावित आपदाओं की पहचान	
	जिलें में घटित पूर्व आपदाऐं एवं संवेदनशीलता	
	भूकम्प	
	बाढ	
	सूखा	
	टाग	
	दुर्घटना	
	सामाप्रदायिक तनाव	
	ओलावृष्टि	
	बांध टूटना	
	ओलावृष्टि	
अध्याय– 4	आपदा प्रबंधन हेतु जिलें की संस्थागत व्यवस्थाएं	66
	स्थाई व्यवस्था	
	नियंत्रण कक्ष	
	विभिन्न अधिकारियों एवं विभागों की भूमिका	
अध्याय– 5	रोकथाम एवं शमन उपाय (Prevention and Mitigation Measures)	71
	विभिन्न आपदाओं की कार्य योजना	
अध्याय– 6	तैयारी (Preparedness Measures)	74
	पूर्व चेतावनी	
	सूचना एवं प्रसार	
	आपातकालीन तैयारी एवं रेस्पोन्स	
	बाढ, फ्लेश फ्लाड, बांध टूटना, बादल फटना, ओलावृष्टि, सूखा, भारी वर्षा, तुफान एवं शीतलहर	
	ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर(ईओसी)	
अध्याय– 7	क्षमता वर्धन (Capacity Building and Training Measures)	78
	प्रशिक्षण जरूरतों का मूल्यांकन	
	विभिन्न विभागों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन	
	विशेष विवरण	
	आपदा विशिष्ट प्रशिक्षण	

	पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन का समावेश	
	Information Education and Communication Instrument	
अध्याय– 8	राहत एवं प्रत्याक्रमण (Response and Relief Measures)	82
	इंसिडेंट रिसपॉन्स सिस्टम	
	मास केज्जुअलिटी मेनेजमेन्ट	
	रेपिड डेमिज असेसमेन्ट	
	जनता का सहयोग	
	इमरजेन्सी सपोर्ट फन्कशन	
	शिविर प्रबंधन	
	न्यूनतम मानदंड	
अध्याय– 9	समुत्थान एवं पुनर्निर्माण (Reconstruction, Rehabilitaion and Recovery Measures)	86
	आवासीय सुविधाएं	
	बुनियादी सुविधाएं	
	क्रिटीकल इंफ्रास्ट्रक्चर	
	सहभागिता योजना	
	प्राथमिकता एवं चरणबद्ध विकास	
	पर्यावरण संघात मूल्यांकन	
	परिस्थितिकी की पुर्नस्थापना	
अध्याय– 10	आपदा प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधन (Financial Resources for Implentation of DDMP)	91
	एनसीसीएफ(एनडीआरएफ) के तपहवत दावेदारी प्रक्रिया	
	क्षमता संवर्धन के लिए फंड	
	राज्य द्वारा फंडिग व्यवस्थाएं	
	जिला स्तर पर फंडिग व्यवस्थाएं	
	अन्य	
अध्याय– 11	जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण (Procedure and methodology for monitoring, evaluationl, updation and maintenance of DDMP	93
अध्याय– 12	मानक संचालक प्रक्रिया और चेकलिस्ट **STANDARD OPERATING PROCEDURES**	98

परिशिष्टो की सूँची

परिशिष्ट न. 1	दूरभाष नम्बरों की सूची
परिशिष्ट न. 2	UNISDR टर्मिनेलॉजि ऑन डिजस्टर रिस्क रिडक्शन
परिशिष्ट न. 3	जिले में उपलब्ध वायरलेस संचार व्यवस्था
परिशिष्ट न. 4	चिकित्सको की सूची/ निजी चिकित्सालयो की सूची
परिशिष्ट न. 5	चिकित्सको की सूची
परिशिष्ट न. 6	मेडिकल स्टोर्स की सूची
परिशिष्ट न. 7	चिकित्सा सम्बन्धी उपकरणो की सूची
परिशिष्ट न. 8	चल चिकित्सालयो की सूची
परिशिष्ट न. 9	108 एम्बूलेन्स की सूची
परिशिष्ट न. 10	104 एम्बूलेन्स की सूची
परिशिष्ट न. 11	बेस एम्बूलेन्स
परिशिष्ट न. 12	आश्रय स्थलो की सूची
परिशिष्ट न. 13	राजकीय विधालयो की सूची
परिशिष्ट न. 14	सामूदायिक भवनों की सूची
परिशिष्ट न. 15	होटलो की सूची
परिशिष्ट न. 16	विश्राम स्थलो की सूची
परिशिष्ट न. 17	जिले मे उपलब्ध नावो सूची
परिशिष्ट न. 18	नाव चालको सूची
परिशिष्ट न. 19	होमगार्ड स्वय सेवक तैराको की सूची
परिशिष्ट न. 20	स्थानीय गौताखोर की सूची
परिशिष्ट न. 21	पेट्रोल पम्पो की सूची
परिशिष्ट न. 22	गैस एजेन्सियो एव गोदामो की सूची
परिशिष्ट न. 23	ड्रेन व बान्धो एंव उनके भराव क्षमता की सूची
परिशिष्ट न. 24	राजकीय एव गैर वाहनो की सूची
परिशिष्ट न. 25	पुलिस विभाग के पास उपकरणो की सूची
परिशिष्ट न. 26	सिरोही कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबन्धक में उपलब्ध राहत सामग्री सूची
परिशिष्ट न. 27	क्रेन, जेसीबी, गैस कटरस इत्यादि उपक्रम की सूची
परिशिष्ट न. 28	आग से निपटने हेतु उपलब्ध साधन व उपकरण की सूची
परिशिष्ट न. 29	भूकम्प के दौरान उपयोग में आने वाली उपक्रम की सूची
परिशिष्ट न. 30	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् भण्डारो की सूची
परिशिष्ट न. 31	स्वयं सेवी संस्थानो की सूची
परिशिष्ट न. 32	राहत कार्य मे आनेवाली अन्य प्रकार की सूविधाओ की सूची

INSPECTION OF FOREST FIRE AFFECTED AREA AT MOUNTABU BY THE DISTRICT DISASTER COMMITTEE YEAR-MARCH 2017

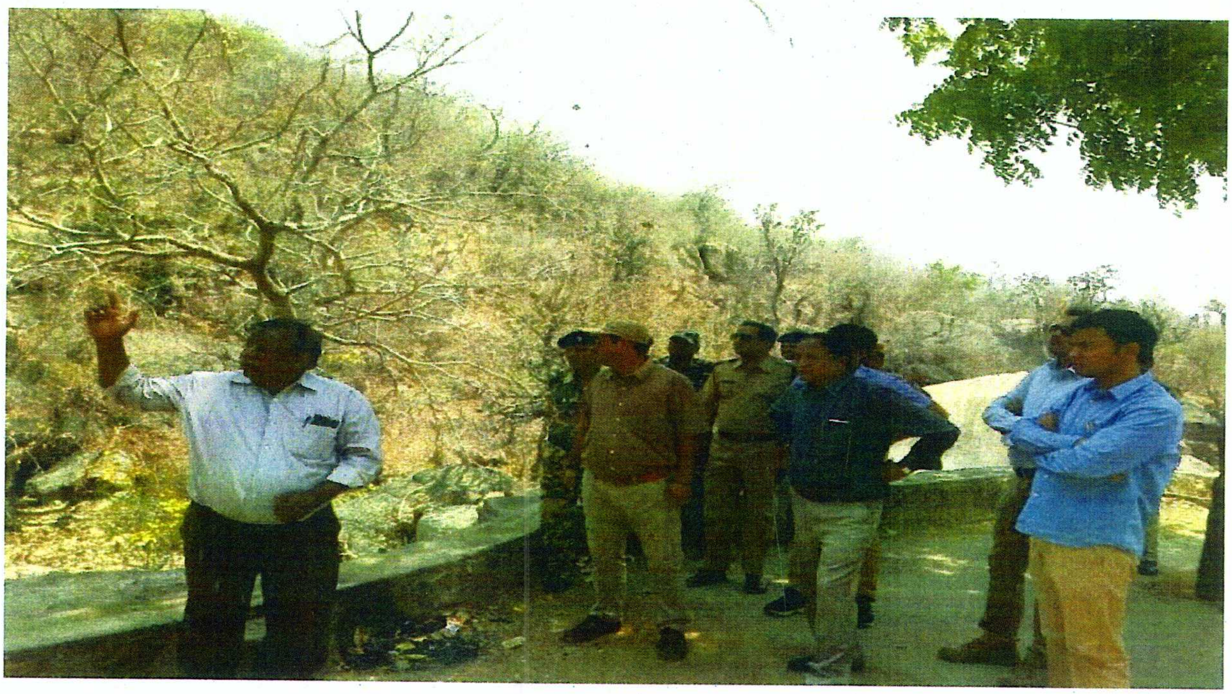

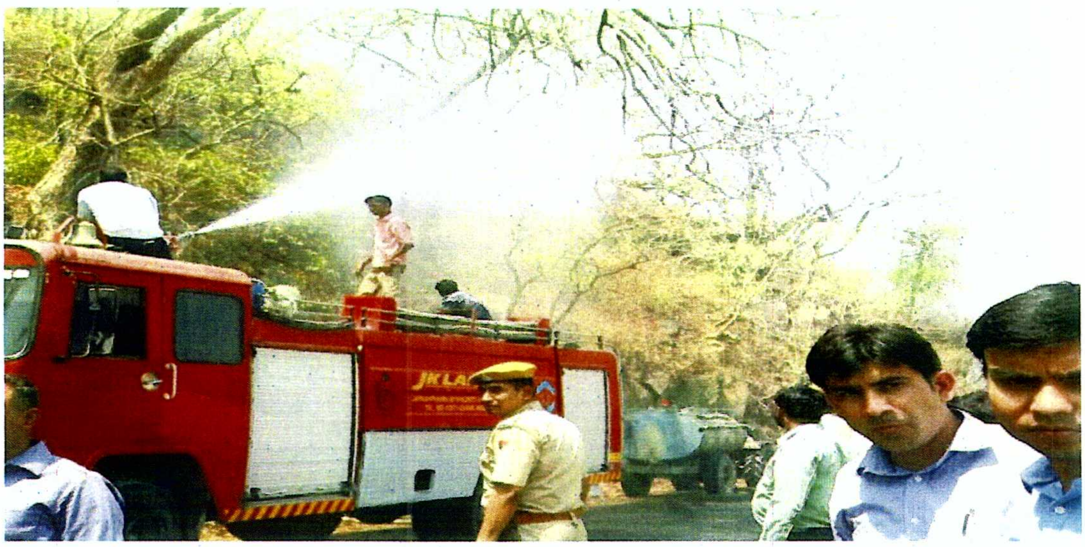

Introduction
District Disaster Management Programme

जिला आपदा प्रबंधन योजना

परिचय–

जिलें के आपदा प्रबन्धन योजना का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक एवं मानवकृत आपदाओं के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने हेतु जिला प्रशासन एवं जन साधारण की क्षमताओं में वृद्धि करना तथा इससे निपटने कम से कम जन–धन की हानि हो अथवा उसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके या बचा जा सकें।

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य Purpose of District Disaster Management Plan

To responds promptly in a coordinated manner in a disaster like situation, it is mandatory to mitigate the potenial of disasters in order to save lives of people and property in Sirohi District.

जिलें में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिलें की तैयारियों को निर्धारित करना।

क्या करना है	अधिकारी व सदस्य	कार्य कैसे किया जाये
आंकलन एवं विश्लेषण	जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद्, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, अतिरिक्त कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि. जल संसाधन, पी.एच.डी., विद्युत, अग्निशामन, सिविल डिफेन्स, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओं, वार्ड/पंचायत प्रतिनिधी	पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं का आंकलन, विश्लेषण एवं चर्चा। नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का रिकोर्ड। पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति। आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय।
परिस्थिति का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना। डेमोग्राफी/मानव के रहन–सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना। हेविटेशन पेटर्न का विस्तृत नक्शा तैयार करना। प्राकृतिक सम्पदा को नक्शे पर दर्शाना। सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं

		सम्पति की सूची तैयार करना। सुरक्षित संसाधन/संभावित नुकसान, सडक, रेल, हवाई अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना।
खतरे का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	पूर्व अनुभव के आधार एवं रिकोर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीकरण करना, अधिक संवदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहां मानव जीवन को खतरा, जिवीकोपार्जन एवं सम्पति के नुकसान की संभावना है।
संवेदनशीलता का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	संवेदनशील जगहों एवं कारकों की अलग–अलग सूचन तैयार कर नक्शा तैयार

जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के लक्ष्य–

जिला सिरोही DDMP के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए है:–

- प्रतिक्रिया कार्यो के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।
- भागीदारी विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।
- कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण करना।
- उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।
- स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।
- सभी सहायता कार्यो का पारम्परिक समन्वय करना।
- राज्य स्तरीय नियत्रंण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

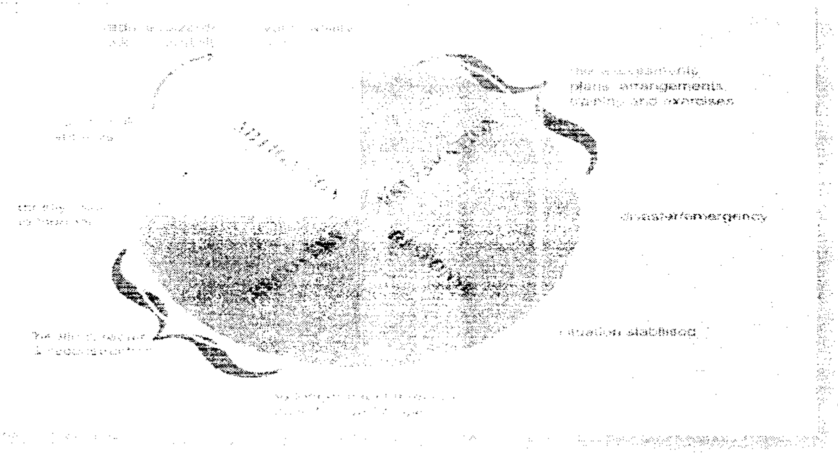

आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

आपदा प्रबंधन अधिनियम 23 दिसम्बर 2005 से लागू किया गया है। यह आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए निर्मित किया गया है। उक्त अधिनियम में आपदा से तात्पर्य किसी क्षेत्र में प्राकृतिक या मानवकृत कारणों से या दुर्घटना या उपेक्षा से उद्भूत ऐसी कोई महाविपत्ति, अनिष्ट विपत्ति या घोर घटना अभिप्रेत है जिसका परिणाम जीवन की सम्पूर्ण हानि या मानवीय पीडाएं या संपत्ति का नुकसान और विनाश या पर्यावरण का नुकासान या अवक्रमण है और ऐसी प्रकृति या परिमाण का है जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय की सामना करने की क्षमता से परे है।

मुख्य बिन्दु:

राष्ट्र व राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन जो आपदा प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण का कार्य करेगा।

- आपदा राहत व बचाव हेतु राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF तथा राज्य आपदा मोचन बल SDRF का गठन प्रत्येक राज्य व जिले में आपदा प्रबंधन योजना होगी जिसमें त्रैमासिक, वार्षिक तथा पंचवर्षिय मूल्यांकन व आधुनिकरण होगा।
- आपदा से निपटने हेतु राष्ट्र–राज्य–जिला के मध्य प्रभावी समन्वय तंत्र विकसित किया जायेगा।आपदा से निपटने हेतु क्षमता वर्धन प्रशिक्षण, पूर्व चेतावनी प्रणाली, पूर्व तैयारी पर विशेष जोर होगा।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम – 2005, महत्वपूर्ण जानकारी

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 3 (1) – राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

ऐसी तारीख से जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें, इस अधिनियम के प्रायोजनों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण नाम से ज्ञात एक प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी।

(2) राष्ट्रीय प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और 9 से अनधिक उतने सदस्य होंगे, जितने केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किये जायें।

धारा 6 (1) – राष्ट्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आपदा का समय पर और प्रभावी मोचन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां, योजनाऐं और मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रीय प्राधिकरण –

(क) आपदा प्रबन्धन के सम्बन्ध मे नीतिया अधिकथित कर सकेगा।

(ख) राष्ट्रीय योजना का अनुमोदन कर सकेगा।

(ग) भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों द्वारा राष्ट्रीय योजना के अनुसार तैयार की गई योजनाओं का अनुमोदन कर सकेगा।

(घ) राज्य योजना तैयार करते समय राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनुसरित किये जाने वाले मार्गदर्शक सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

(ङ) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों या विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं और परियोजनाओं में आपदाओं के निवारण या उसके प्रभावों के शमन के उपायों के एकीकरण के प्रायोजनों के लिए अपनाये जाने वाले मार्गदर्शन सिद्धान्त अधिकथित कर सकेगा।

राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 14 (1) – राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना।

प्रत्येक राज्य सरकार धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात यथाशीघ्र राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य के लिए ऐसे नाम से जो राज्य सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये राज्य आपदा प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

धारा 18 राज्य प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्य – (1) राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां और योजनाऐं अधिकथित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण

धारा 25 – जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन (1) प्रत्येक राज्य सरकार, धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य में प्रत्येक जिले के लिए ऐसे नाम से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करेगी।

(2) जिला प्राधिकरण में अध्यक्ष और 7 से अनधिक उतने अन्य सदस्य होंगें, जितने राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें और जब तक की नियमों में अन्यथा उपबन्ध न किया जाये, इसमें

निम्नलिखित सदस्य होंगे –

(क) जिले का यथास्थिति कलक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या उपायुक्त जो पदेन अध्यक्ष होगा।

(ख) स्थानीय प्राधिकारी का निर्वाचित प्रतिनिधि, जो पदेन सह अध्यक्ष होगा।

(ग) जिला प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी–सदस्य।

(घ) पुलिस अधीक्षक–सदस्य।

(ड़) जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी–सदस्य।

(च) दो से अनधिक जिला स्तर के अन्य अधिकारी, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) ऐसे किसी जिले में जहाँ जिला परिषद विद्यमान है, उसका अध्यक्ष जिला प्राधिकरण का सह अध्यक्ष होगा।

जिलें में विभाग व हिताधारकों एवं उनकी जिम्मेदारिया

जिलें में DDMP योजना से संबंधित विभिन्न कार्य हेतु विभाग, हिताधिकारी व उनका दायित्व निम्न है:–

क्र. सं.	नोडल विभाग	सबंधित आपदा
1	आपदा प्रबंधन व सहायता	ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर, चक्रवात
2	ऊर्जा	विद्युत वितरण, उत्पादन, प्रसारण, सबंधी आपदा
3	गृह	आतंकी हमला, पुलिस बल, कानून व्यवस्था, भगदड़, सड़क, रेल दुर्घटना
4	जल संसाधन	बाढ़, बांध टूटना, बादल फटना
5	सार्वजनिक निर्माणविभाग	भूकम्प, बड़े भवनों का गिरना
6	खान	खान में आग, पानी भरना, डूबना
7	उद्योग	रासायनिक व औद्योगिक आपदा, तेल फैलना
8	नगरीय थ्वकास	शहरी अग्नि
9	राजस्व	गॉव की आग, नाव पलटना
10	वन	वनों में आग
11	चिकित्सा व स्वास्थ्य	जैविक तथा महामारी, खराब खाने से बीमारी
12	कृषि	फसलों का खराबा, टिड्डी दल का हमला
13	पशुपालन	पशु महामारी

DDMP की उपयोग प्रक्रिया

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिरोही विकेन्द्रीकर्त प्रक्रिया का अनुसरण करती है। जिससें संभावित आपदा और उसके प्रभावों तथा आपदा शमन व रोकथाम के उपाय सुझाती है। इसके लिए DDMP मानव संचालन प्रणाली व क्रियान्वयन का अनुसरण करती है।

DDMP मूल्यांकन व आधुनिकीरण

जिला DDMP एक गत्तिक व परिवर्तनशील अभिलेख है। समय व आवश्यकतानुसार DDMP का मूल्यांकन व आधुनिकीकरण सतत् व निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया होगी। DDMP अभिलेख का मूल्यांकन वार्षिक तथा पंचवर्षिय व आधुनिकीकरण प्रस्तावित होगा। DDMP अधिनियम 2005 के अनुसार DDMP में आंशिक रूप से वार्षिक तथां प्रत्येक पांच वर्ष में व्यापक परिवर्तन आवश्यक है। जिला सिरोही DDMP में मूल्यांकन व आधुनिकीकरण में इसी पद्वति का अनुसरण किया जाएगा।

जिले का संक्षिप्त परिचय

भौगोलिक स्थिति

सिरोही जिला राजस्थान राज्य में वर्ष 1849 में सम्मिलित किया गया था। राज्य का एक मात्र पर्वतीय स्थल माउन्ट आबू सिरोही जिले में वर्ष 1956 में सम्मिलित किया गया। इससे पहले आबूरोड तहसील तत्कालीन बोम्बे स्टेट में सम्मिलित थी। यह जिला राज्य एक शान्त एवं हरा भरा जिला है।

सिरोही जिला राज्य के दक्षिण पश्चिम में **अक्षांश 24^0 20′ उत्तर तथा देशान्तर 72^0 16′ पूर्व** में स्थित है। जिसका क्षैफल 5136 वर्ग किलोमीटर जिले के उत्तर पूर्व में पाली, पूर्व में उदयपुर, उत्तर–पष्चिम में जालोर तथा दक्षिण में गुजरात राज्य का बनासकांठा जिला स्थित है।

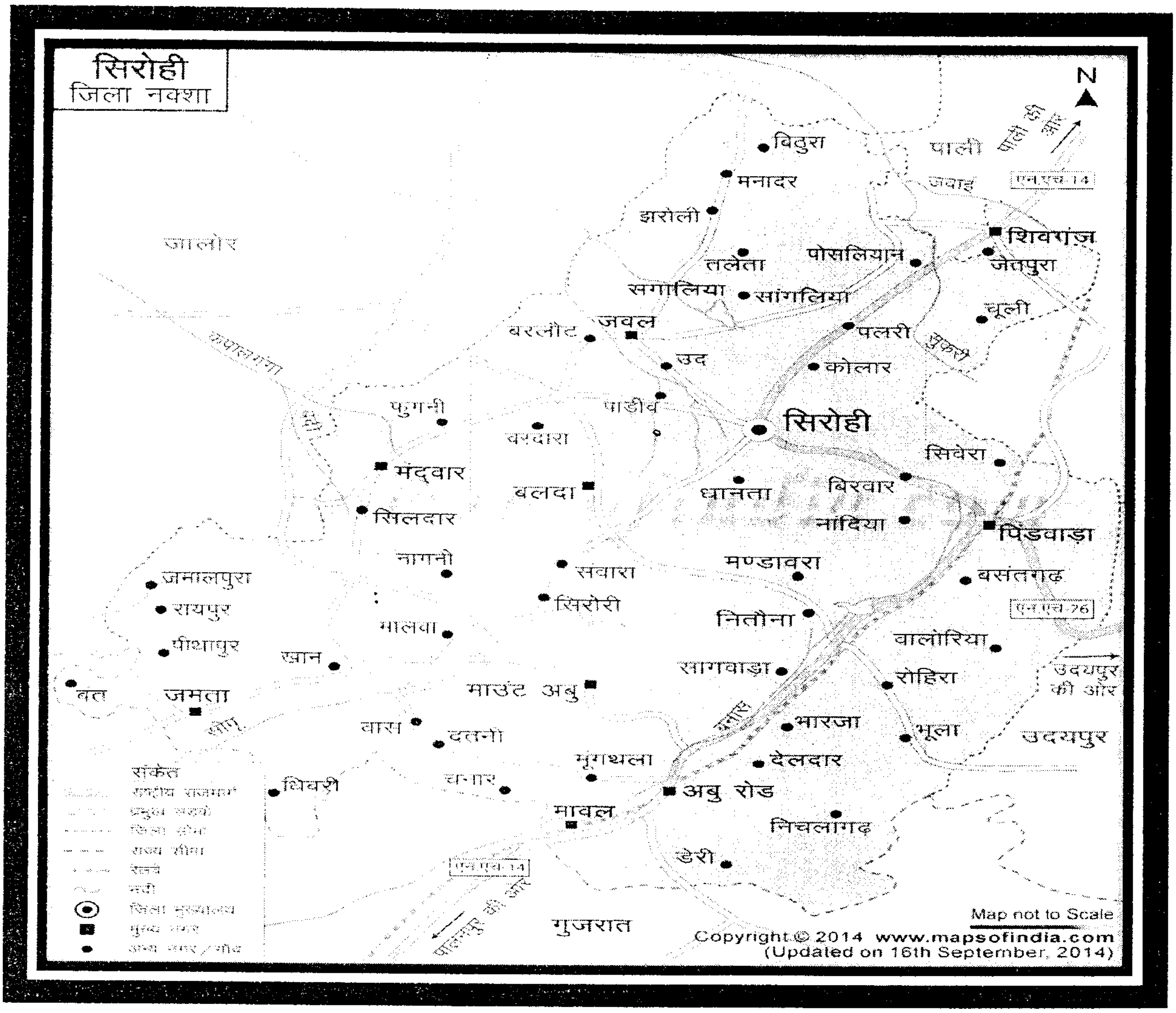

जिला सिरोही राज्य के दक्षिण पश्चिम	अक्षांश 24^0 20′ उत्तर देशान्तर 72^0 16′ पूर्व					
जिले का कुल क्षैत्रफल	कुल क्षैत्रफल 5136 वर्ग कि.मी					
	ग्रामीण	508980 वर्ग कि.मी				
	शहरी	46.20 वर्ग कि.मी				
जनसंख्या 2011	तहसील नाम	कुल जनसंख्या	पुरूष	स्त्री	अनु जाति	अनु जनजाति
	सिरोही	186079	94753	91326	43537	15032
	शिवगंज	142329	73042	69287	27650	23070
	पिण्डवाडा	261686	134882	126804	29035	109506
	आबूरोड	224404	116769	107635	25171	114360
	रेवदर	221848	114785	107063	76470	30502
	योग	1036346	534231	502115	201863	292470

प्रशासनिक संरचना

सिरोही जिला निम्नलिखित 5 उपखण्डों एवं पांच तहसीलों में विभाजित है :–

क्र.सं.	उपखण्ड	स्थानिय निकाय (नगर पालिका)	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की कुल संख्या		
					आबाद	गैर आबाद	कुल
1.	सिरोही	सिरोही,(नगर परिषद)	सिरोही	31	84	2	86
2.	शिवगंज	शिवगंज	शिवगंज	24	70	1	71
3.	मा.आबू	मा.आबू	आबूरोड	32	82	3	85
4.	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	37	107	1	108
5.	रेवदर	आबूरोड	रेवदर	38	127	0	127

जिले में एक जिला परिषद, 5 पंचायत समितियां, 162 ग्राम पंचायतें एवं 5 शहरी स्थानीय निकाय है,

भौतिक स्वरूप

क्षेत्रफलः–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जिले का कुल क्षेत्रफल 5136 वर्ग कि.मी. है। इसकी जनसंख्या 851107 है तथा घनत्व 166 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है।

मृदा (मिट्टी) :–

जिले की सामान्यतः मिट्टी उपजाऊ है एवं कृषि योग्य है। जिले के पूर्व में पहाडी इलाका है।

भू उपयोग :–

जिले का कुल क्षेत्रफल 12,79,858 एकड है जिसमें से 537000 एकड भूमि कृषि योग्य है इस कृषि योग्य भूमि में से कुल 227000 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। इस सिंचित क्षेत्र में से 60455 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा बांधों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हं।

क्र.सं.	भूमि का उपयोग	क्षेत्रफल	प्रतिषत (हैक्टेयर)
1	वन	152495	24.84
2	गैर कृषि उपयोगों में भूमि	102558	16.71
3	बंजर एवं अकृषित भूमि	42063	6.85
4	अन्य अकृषित भूमि (पड़त भूमि के अतिरिक्त)	25498	4.15
5	कृषि योग्य खाली भूमि	38676	6.30
6	पड़त भूमि	85689	13.96
7	बोया गया कुल क्षेत्रफल	166805	27.17
	योग	613784	

जलवायु :–

जिले की जलवायु सामान्य एवं स्वास्थ्यवर्धक है। जनवरी महीने के मध्य अधिकतम तापमान का क्रम 23^0 सै. रहता है जबकि मध्य दैनिक न्यूनतम तापमान का क्रम 8^0 सै. रहता है। मार्च के महीने से तापमान क्रमषः बढता जाता है। सामान्यतः मई उष्णतम महीना होता है जबकि माध्य दैनिक अधिकतम तापमान का क्रम 40^0 सै. रहता है। दिनों में पृथक रूप से दिन का तापमान अधिक से अधिक 47^0 सै. तक जा सकता है। नवम्बर मध्य से जनवरी तक मौसम ठंडा रहता है। मानसून में जो कि जून के तृतीय सप्ताह से प्रारम्भ होकर सितम्बर माह के मध्य तक चलता है, वातावरण आर्द रहता है। जिले के पर्वतीय स्थल माउन्ट आबू पर अधिकतम तापमान 38. 3^0 सै. तथा न्यूनतम तापमान (–) 1.1^0 सै. रहता है तथा मौसम खुशनुमा रहता है।

वर्षा :–

जिले में औसत वर्षा 60.40 से.मी. (23.88 ईंच) होती है। जिले में एक दिन (24 घन्टे) में मैदानी क्षेत्र में अधिकतम वर्षा 36.20 से.मी. (14.28 ईंच) दिनांक 14/8/1941 को तथा माउन्ट आबू में इसी दिन 48.40 से.मी. (19 ईंच) वर्षा मापी गई थी।

कुल वार्षिक की लगभग 95 प्रतिषत वर्षा जून से सितम्बर के महीने में होती है। इनमें से जुलाई व अगस्त भारी वर्षा के होते है। जनवरी एवं फरवरी माह में भी यदा कदा वर्षा होती है।

Rainfall data (Tehsil Wise)

year	Abu Road	Mt.abu	Reodar	sirohi	Pindwara	Sheoganj	Total	Av.
2014	820	1172.06	590	387.6	446	307.6	3723.26	620.54
2015	1437	1837	727.7	781.6	740.7	430.1	5954.9	992.48
2016	733	1362.2	533	794.2	944	982.3	.5348.7	891.45

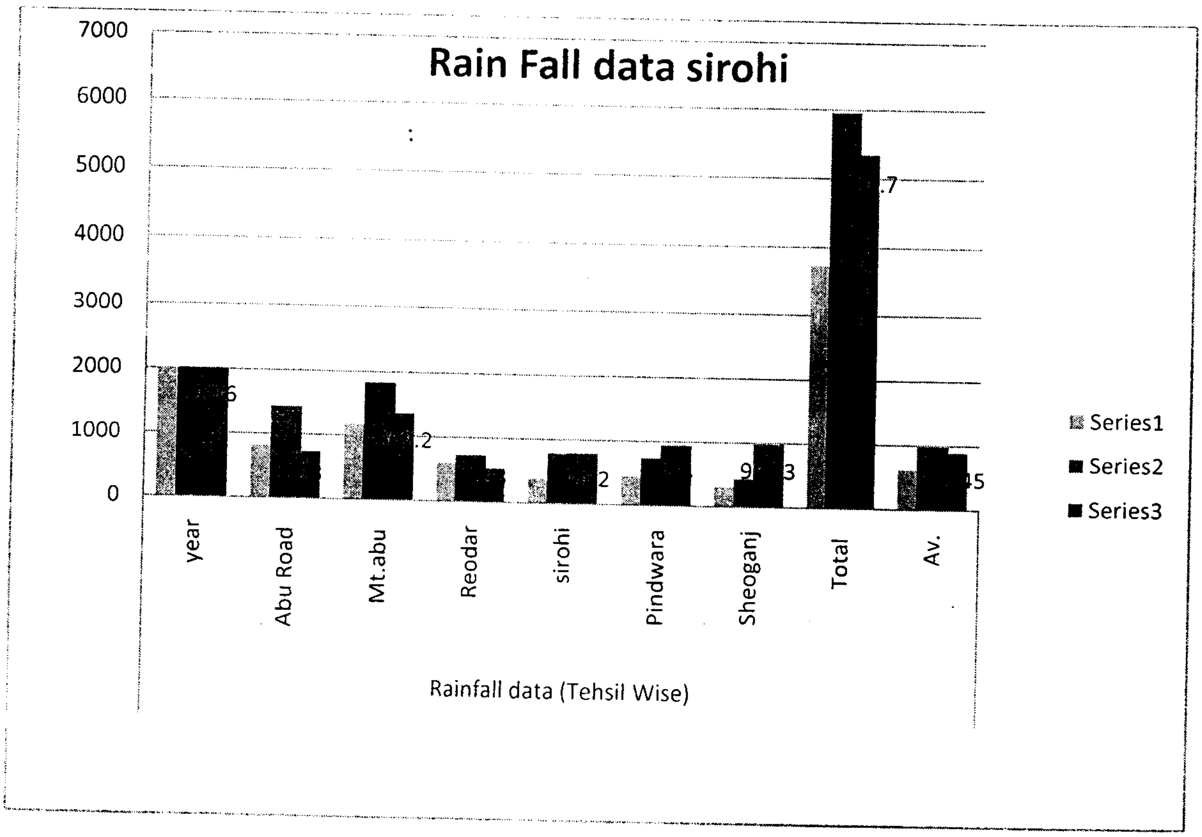

जिले के प्रमुख नदियां, बांध, तालाब

नदिया :– पश्चिम बनास नदी, सीपू नदी, खारी (कृष्णावती) नदी, सूकडी नदी, बाण्डी नदी, सूकल नदी जिले की प्रमुख नदियां है।

जल संसाधन खण्ड के अधीन व पंचायत के अधीन एवं जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर के अधीन सिरोही जिलें में कुल 58 बांध, तालाब आते हैं जिनकी पूर्ण भराव क्षमता 6421.50 (मिलीयन घन फीट) (Mcft) हैं तथा इनके द्वारा 60455 एकड भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। (तीन सौ हेक्टर सिंचाई क्षमता के तालाबों को पंचायती राज. संस्थानों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। सिरोही जिलें में प्रमुख बांध वेस्ट बनास बांध, अणगौर बांध, ओडा बांध, धान्ता बांध, कामेरी बांध, पोईदरा बांध, बगेरी बांध, मूंगथला बांध, टोकरा बांध, बूटरी बांध, उडवारिया बांध, मण्डार नाला (प्रथम) बांध हैं।

जल संसाधन खण्ड सिरोही के अधीन		
पंचायत समिति, सिरोही		
क्र.सं.	बांध का नाम	ग्राम पंचायत
1.	अणगौर	खाम्बल
2.	धान्ता	सिंदरथ
3.	कामेरी	पाडीव
4.	निम्बोडा	जैला
5.	न्वारा	न्वारा
6.	बरलुट	ब्रलुट
7.	पोईदरा	सनपुर
8.	आखेलाव	सिरोही
9.	मानसरोवर	सिरोही
10.	वराल	डोडुआ

जल संसाधन खण्ड सिरोही के अधीन		
पंचायत समिति, रेवदर		
क्र.सं.	बांध का नाम	ग्राम पंचायत
1.	टोकरा	सिरोडी
2.	बूटरी	मकावल
3.	उडवारिया	उड़वारिया
4.	मण्डार नाला न.1	भैरूंगढ
5.	पंचदेवल	जीरावल
6.	सुकली सेलवाडा	स्लेवाडा
7.	करोडीध्वज	अनादरा

जल संसाधन खण्ड सिरोही के अधीन		
पंचायत समिति, पिण्डवाडा		
क्र.सं.	वांध का नाम	ग्राम पंचायत
1.	वेस्ट बनास	धनारी
2.	गंगाजली	काछोली
3.	वालोरिया	वालोरिया
4.	कादम्बरी	काटल
5.	भूला	सनवाडा
6.	सरूपसागर	सिवेरा
7.	वसा	वासा

जल संसाधन खण्ड सिरोही के अधीन		
पंचायत समिति, आबूरोड		
क्र.सं.	बांध का नाम	ग्राम पंचायत
1.	बगेरी	चण्डेला
2.	मुंगथला	मुंगथला
3.	थ्गरवर	ब्हादुरपुरा
4.	कुई सांगना	खडात
5.	वाजना	ब्हादुरपुरा
6.	महादेव नाला	आमथला
7.	चिनार	चण्डेला
8.	ओर नाला	खडात
9.	भैंसा सिंह	भैंसा सिंह

जवाई नहर खण्ड		
क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	बांध का नाम
1.	पिण्डवाडा	केर
2.	पिण्डवाडा	मण्डवाडा
3.	पिण्डवाडा	फाटकेश्वर

Akhelao Minor Irrigation Project

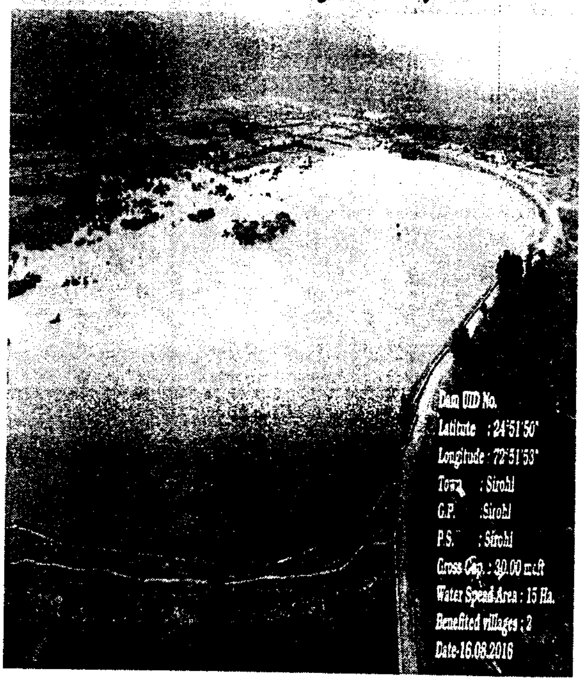

Swaroopsagar Minor Irrigation Project

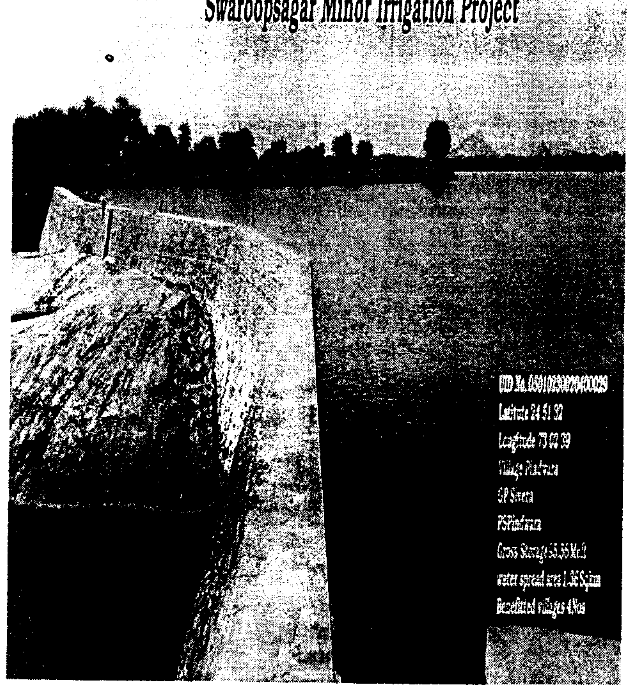

झीले एवं तालाब :– जिले में माउन्ट आबू पर्वतीय जिले में माउन्ट आबू पर्वतीय स्थल पर नक्की झील है। यह झील आबू पर्वत का सर्वोतम रमणीय स्थल एवं हृदय सरोवर है। एक लोकोक्ति के अनुसार देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था।

जिले के मुख्य तालाब नक्की झील, चन्देला जुबली तालाब, सिवेरा, अखेलाव, लाखेराव, मातरमाता तालाब, दूधिया तालाब, विसोला तालाब तथा नीलोरा तालाब है।

आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति :–

प्रमुख फसले :–

जिले में रबी की फसले प्रमुख है तथा साथ में खरीफ एवं जायद की फसले भी बोयी जाती है।

रबी :– गेहूं, जौ, चना, सरसो, अलसी, मटर, जीरा, धनिया, मैथी, अरण्डी, सौफ, इसबगोल आदि।

खरीफ :– कपास, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली, तिल, उड़द, मूंग, मोठ आदि। इसके अतिरिक्त जिले में व्यावसायिक दृष्टि से फल और सब्जियों बोई जाती है। पपीता, नीबू और आम के पेड आमतौर पर पाये जाते है। नदियों के पेटों में विशेषतः बनास नदी के पेटे में फल और सब्जियां जैसे खरबूजा, ककडी, टमाटर खूब पैदा किये जाते है। नदियों के पेटे बैंगन, प्याज, लहसून आदि की खेती के उपयोग में भी लिये जाते है। फल व सब्जियां प्रचूर मात्रा में अन्य जिलों को निर्यात किये जाते है।

प्रमुख फसलों का औसत उत्पादन

क्र.सं.	फसलों का नाम	वर्ष (कि.ग्रा. प्रति हैक्टर)
1	बाजरा	1200
2	ज्वार	800
3	गेहूं	2500
4	मक्का	900
5	जौ	3700
6	चना	1400
7	तिल	500
8	कपास	2500
9	मूंगफली	2100

प्रमुख उद्योग :–

वर्तमान में जिले में 8 उद्योग बड़े तथा 12 मध्यम श्रेणी के उद्योग उत्पादनरत है। जिले के खनिज पदार्थों की अधिकता होने के कारण खनिज आधारित उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। बडे उद्योगों में पोर्टलैण्ड सीमेन्ट, सिन्थेटिक यार्न, हाईटेन्सन इन्सुलेटर, तिरूपति फाईबर, आर.पी.आर.एल., मार्बल, ग्रेनाईट, पोलिमर्स/रेजिन्स तथा खनिज चूर्ण आदि का उप्पादन होता है। इसी प्रकार मध्यम श्रेणी के उद्योगों में सीमेन्ट, मार्बल व ग्रेनाईट की टाईल्स व स्लेब्स धागे, एच–एसीड, आई.आर. डब्ल्यू पाईप्स व ट्यूब्स, एच.डी.पी.ई. वूवन चेक्स, टूविस्टींग एवं टेक्स्च्युराईजिंग धागों का उत्पादन होता है। जिले के औद्योगिक क्षैत्र के रूप में विकसित हो रहे पिण्डवाडा तहसील में मै. बिनानी सीमेन्ट, जिसमे पोर्टलैण्ड सीमेन्ट का उत्पादन होता है इसके अतिरिक्त मै. लक्ष्मी सीमेन्ट लि. जे.के. पुरम एवं मै. वालकेम इन्डिया लि. सिरोही रोड़ में भी सीमेन्ट के कारखाने है। भारजा में मैसर्स गुजरात केबल्स लि. जिसके टेलीफोन केबल्स के उत्पादन की इकाईयां है।

अन्य उल्लेखनीय उद्योगों में यहां तलवार व कटारें बनाने का कार्य भी होता है। इसके अतिरिक्त गांव की पुरानी दस्तकारी जैसे कुम्हारगिरी, कुल्हारगिरी, सुनारगिरी, चमडे का काम, बढ़ईगिरी बुनने एवं कातने के कार्य होते है।

संचार एवं यातायात :–

सिरोही जिला मुख्यालय रेल लाईन से जुडा हुआ नही है। यद्यपि जिले में से रेल लाईन गुजरती है पश्चिमी रेलवे की दिल्ली–अहमदाबाद–मुम्बई बडी लाईन पर सिरोही रोड़ (पिण्डवाडा), बनास, सरूपगंज तथा आबूरोड रेलवे स्टेषन स्थित है।जिले में वायुयान सेवा उपलब्ध नहीं है। जिला मुख्यालय पर ही वायुयान उतरने के लिये हवाई पट्टी बनी हुई है।

जिले में **दो राष्ट्रीय राजमार्ग 14 व 76 नम्बर** है जो जिले को ब्यावर, पाली, सिरोही–आबूरोड–पालनपुर व पिण्डवाडा–उदयपुर, निम्बाहेडा, चित्तौडगढ़, कोटा, शिवपुरी (मध्यप्रदेश) से जोड़ते है।

जनसंख्या घनत्वः जनगणना वर्ष (2011)(व्यक्ति/वर्ग कि.मी.

जनसंख्या श्रेणी	आबाद ग्रामों की संख्या	कुल ग्रामों का प्रतिशत
200 से कम	35	7.17
200 - 499	41	8.4
500 - 1999	266	54.51
2000-4999	121	24.8
5000-9999	21	4.3
10000 से अधिक	4	0.82
योग		100

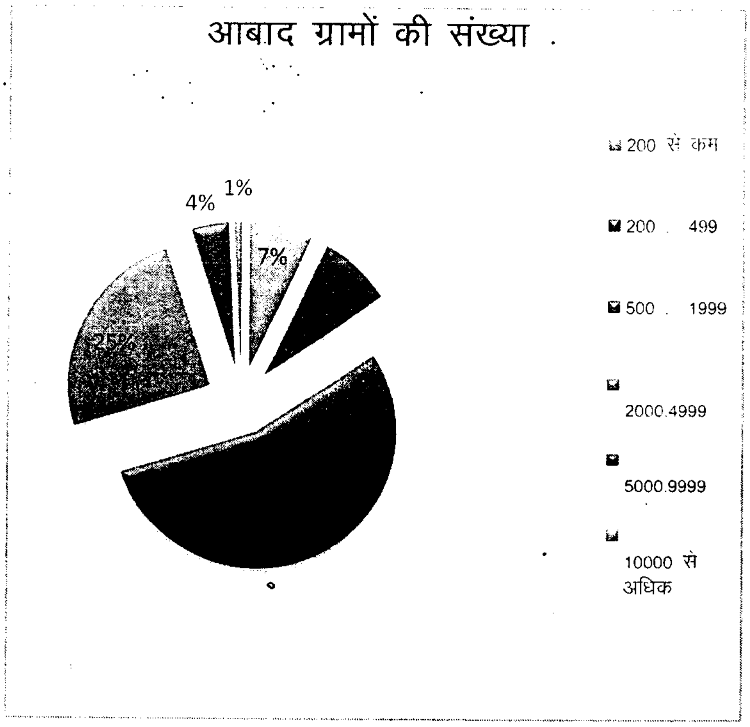

वर्ष 2011 की जनपगणा के अनुसार सिरोही जिले की जनसंख्या के आंकड़ें निम्नानुसार है

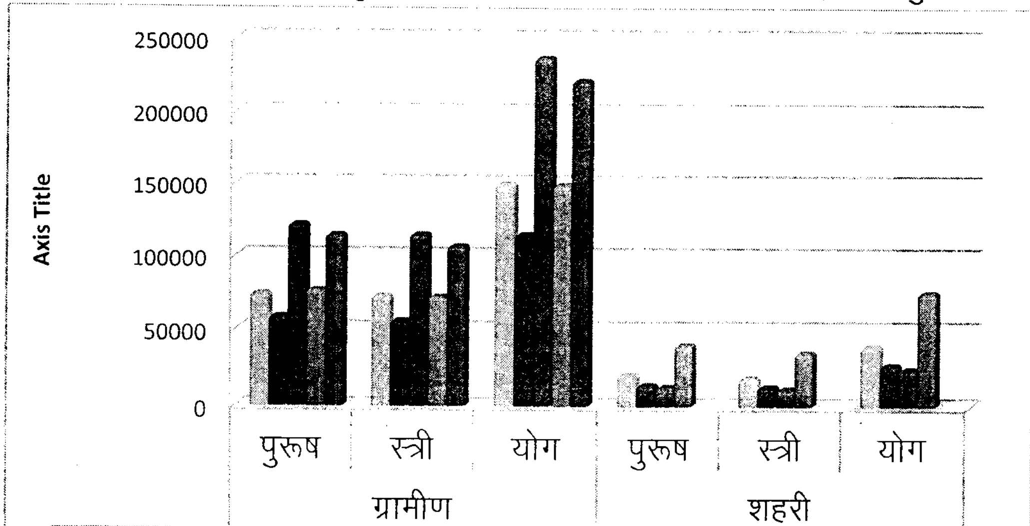

	ग्रामीण			शहरी		
	पुरूष	स्त्री	योग	पुरूष	स्त्री	योग
सिरोही	74141	72709	149850	20612	18617	39229
शिवगंज	58981	56150	115131	14061	13137	27198
पिण्डवाडा	122050	115149	237199	12832	11655	24487
आबूरोड	76681	72417	149098	40088	35218	75306
रेवदर	114785	107063	221848			

स्त्रोत– जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011 जिला–सिरोही

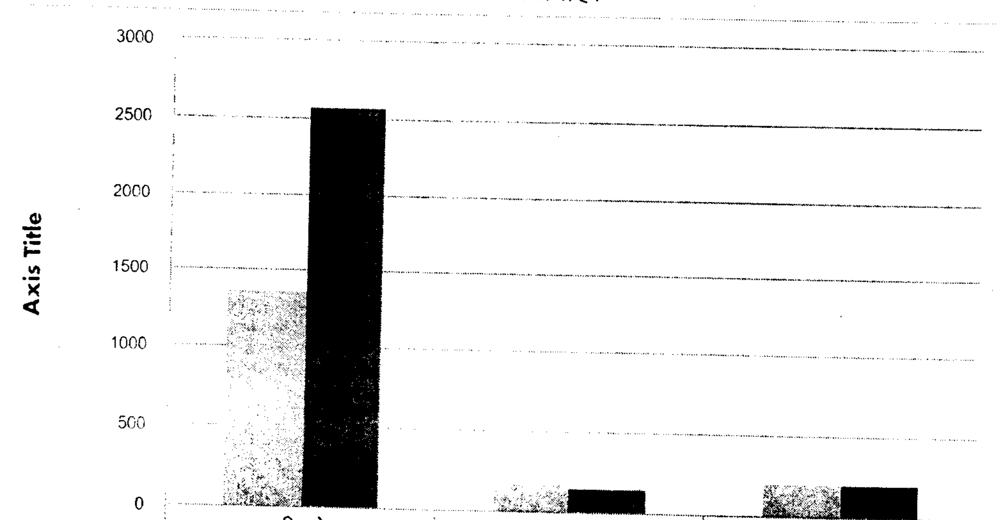

	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	जिला स्तर
सिरोही	1352	174	202
राजस्थान	2570	153	200

स्त्रोत– जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011 जिला–सिरोही

लिंगानुपात

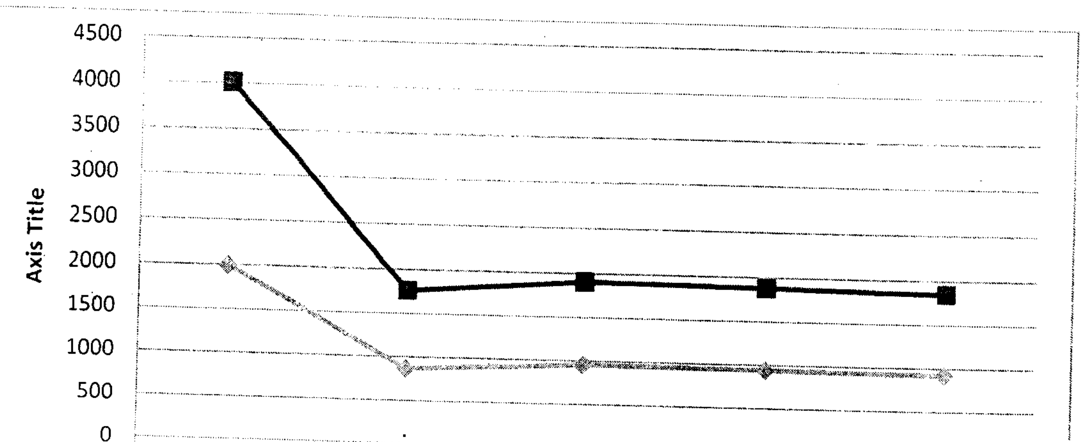

	जनगणना वर्ष	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	जिला स्तर	राज्य स्तर
मतपमे3					
मतपमे2	2011	898	948	940	928
मतपमे1	2001	868	960	943	922

सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

जिले में आयोजित अधिकांश मेले सामाजिक एवं धार्मिक प्रकृति के होते है जो विशिष्ट समय पर लगते है तथा इनका व्यापारिक महत्व होता है। ये मेले मनोरंजन एवं लोगों को एकत्रित होने के प्रमुख साधन है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकायों को आमदनी भी सुलभ कराते है जिले में कुल 21 मेले आयोजित किये जाते है। इनमें सारणेश्वर महादेव मेला सिरोही में, सारणेश्वर पषुमेला कालका जी तालाब सिरोही, गौतम जी मेला चांदला (पोसालिया) में एवं वास्तानजी का मेला ईसरा, रघुनाथ मेला आबूपर्वत प्रमुख है।

ऐतिहासिक एवं धार्मिक केन्द्र :—पौराणिक काल से यह केन्द्र ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों एवं चिंतकों का केन्द्र रहा है। वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, दत्तात्रेय का गुरूशिखर पांडवों की गुफा, भीम गुफा, राजा हरिशचन्द्र की गुफा, भृर्तहरि की गुफा, राजा गोपीचन्द की गुफाएं इसके प्रमाण है।

शिव मंदिर :— इस जिले में पशुपति शैव धर्म का प्रभाव अधिक रहा। यहां दुर्लभ त्रिमुख शिव में लकुलीश शिव की मूर्तियां कई मंदिरों में पाई जाती है। कासिन्द्रा, निबोरा, वरमाण के मंदिरों में ऐसी मूर्तियां है। पिण्डवाडा के पास गोपेश्वर व रामेश्वर, दांतराई का जोगेश्वर तथ पालडी के पास गणकेश्वर का मंदिर प्रसिद्ध है। मूंगथला का मुद्‌गेश्वर, रोहिडा का सोमनाथ, अजारी का मारकुण्डेश्वर, लौटाणा का सूरतानेश्वर नांदिया का ऋषेश्वर तथा सिरोही का सारणेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है।

सूर्य मंदिर :— इस क्षैत्र में दृशदुर एवं कोणार्क शैली से प्रभावित सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ इनमें वरमाण ब्रह्मस्वामी सूर्य मंदिर, बसंतगढ़ का सूर्य मंदिर तथा अंनादरा के पास करोडीध्वज का सूर्य मंदिर प्रसिद्ध है।

विष्णु मंदिर :— आबूरोड के पास पौराणिक काल का ऋषिकेश, कानवट का शैषभामी मंदिर, पिण्डवाडा का लक्ष्मीनारायण, परशुराम, गोपालजी एवं श्यामलाल जी के मंदिर प्रसिद्ध है।

जैन मंदिर :— जैन मंदिरों में आबूपर्वत स्थित देलवाडा की विमलवसहि व लूणवसहि भव्यता नक्काशी तथा अलंकरण के लिये विश्वविख्यात है। सिरोही से 12 कि.मी. की दूरी पर तीनो ओर से पहाडियों की गोद में स्थित मीरपुर का जैन मंदिर प्राकृतिक सौंदर्य एवं शिल्प कला के संगम का अनुपम उदाहरण है।

बामनवाडजी का महावीर स्वामी को समर्पित मंदिर अपनी भव्यता के प्रसिद्ध है। सिरोही नगर में देषसरिया मंदिर गली के नाम से प्रसिद्ध गली में 15 जैन मंदिर कतारबद्ध है। सिरोही में 20वीं सदी के अंतिम दषक का श्री योग्श्वर सर्वधाम माननीय आस्थाओं का संगम स्थल है।

आबूपर्वत पर नक्की झील, सनसेट प्वाईट, टॉडरॉक, देलवाडा का जैन मंदिर, गुरूशिखर, अचलेश्वर महादेव मंदिर, गौमुख एवं वषिष्ठ आश्रम, गौतम आश्रम, अर्बुदा देवी का मंदिर इत्यादि ऐतिहासिक स्थल है।

Hazard, Vulnerability, Capacity and Risk managment
आपदा सुभेद्यता, जोखिम विश्लेषण व क्षमता मूल्यांकन

सिरोही जिलें की सम्भावित आपदाओं की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रो का चिन्हिकरण किया गया हैं। जिनका उल्लेख इस प्लॉन में विभिन्न आपदाओ से बचाव हेतु आपदा गठित होने पर किये जाने वाले प्रयास (Prevntive & Mitigation Measures) को उल्लेख करते हुये विभिन्न विभागवार प्रतिकिया योजना **(Response Plan)** तैयार की गई। आपदा प्रबन्धन पर गठित सरकार की हाई पावर कमेटी 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित कर मुख्यतः पांच भागों में वर्गीकृत किया गया है।

1. water and climate Related	1. Floods and Drainge Managements 2. Cyclones 3. Cloud burst 4. snow Avalances 5. Thunder & Lighiting 6. Hailstorm 7. Tornadoes & Hurricanes 8. Droughts 9. Sea Erosion 10.Heat and cold waves
2. Geologically Related	11.Earthquakes 12.Land slides & Mudflows 13.Dam Bursts &Dam Failures 14.Mines Fires
3. Chemical,Indutrial and Nuclear Realted	15.Chemical and Industrail Disasters 16.Nuclear Disasters
4. Accidental Related	17.Road , Rail and other Transportation accidents including waterways 18.Mine Flooding 19.Major Building collapse 20.Serial Bomb Blasts / Riot 21.festival reltead Diasters 22.Urban Fires 23.Village Fires 24.oil spill 25.boat capsizing 26.Forest Fires 27.Electraical Disasters & Fires
5. Bilologically Related	28.Biological Disasters & Epidemics 29.Food Poisoning 30.Cattle Epidemics 31.Pest Attecks

सिरोही जिलें की आपदा व जोखिम की संवेदनशीलता आंकलन के लिए जिलें के अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों, गैर–सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबंधन योजना पर बैठक में जिलें में होने वाली सम्भावित आपदाऐं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटाने के लिए जिलें की क्षमता का आंकलन किया। कार्यशाला में जिलें में संभावित आपदाऐं चिन्हित कि गई इनमें से मुख्यतः 5 आपदाओं के लिए विस्तृत एवं विशिष्ठ कार्ययोजना एवं अन्य आपदाओं के लिए सामान्य कार्ययोजनाओं की अनुशंषा की गई।

संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवदेनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।

लोग + स्थिति + स्थान + समय + घटना

भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।

आर्थिक, सामाजिक संवेदनशीलता–

सामाजिक एवं परिस्थितिक दृष्टि से कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा विपदा और संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। गरीबी और संसाधनों की कमी संवेदनशीलता पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है।

सिरोही जिलें में मौसम में घटित होने वाली आपदाओं का विवरण

जोखिम	माह											
	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
भूकम्प												
सूखा												
टाग												
बाढ												
रेल दूर्घटना												
सढक दूर्घटना												
बादल का फअना												
बेर												
तापघात												
जोखिम												

Inventory capacity analysist resources in District
जिलें में क्षमता विश्लेषण संसाधनों की सूची

Capacity/Resources	Number/Details		Further Details
District EOC	Address: Control Room Collectrate, Sirohi Phone No. 02972225327 Toll Free no. 1077 General Phone 0297221240 Fax -02972-221240 Mail- reliefsectionsirohi@gmail.com		Details of necessary equipment & Resources
Nearest Army Camp	Address: Phone No. Toll Free no. Fax Mail address		Refer to Annsure परिशिष्ठो में सूची
PRI Representatives	Panchayat	162	Refer to Annsure परिशिष्ठो में सूची
	Block	5	
	Muncipal town	5	

HR trained in Disaster Management	NDRF officials, Home Guard, volunteers and NCC, trained in different schemes		Refer to Annsure परिशिष्ठो में सूची
Road Connectivity	National higways- state higways-		In map
Railway connectivity	Length in KMs		Refer to Annsure परिशिष्ठो में सूची
	Stations		
police force	Human resource		Refer to Annsure परिशिष्ठो में सूची
	Vehicles		
Health Care	Hospitals(Govt.)		Refer to Annsure परिशिष्ठो में सूची
	Hospitals(Pvt.)		
	Numbers of doctors		
	Numbers of ANM's		
	Bloolds bank		
	Red cross society office		Refer to Annsure परिशिष्ठो में सूची
	Primary Health Centres		
	Community Health Centres		
	Ambulance		
	Number of Asha workers		
	Veterinaty hospitals		
Rescue operation	Human resource in fire and rescue department	Sanctioned strength-	Refer to Annsure परिशिष्ठो में सूची
		Present strength-	
		Vacancy-	
	Fire engines		
	Recovery vehicles		
	Earth moving vehicles		
	Ambulance		
	Bullet (water mist)		
Communication	BSNL offices in the		Refer to Annsure

	district		परिशिष्ठो में सूची
	Other mobile networks		
	Visual media		
	Dailies		
	Radio station		
	HAM radio		
Public Tube wells			Refer to Annsure परिशिष्ठो में सूची
Public distrubtion shops			
NGO's			
Resurvoir			
Ponds	15		
Dam	38		
Major plan projects in the district			

सिरोही जिलें में आपदा एवं जोखिम का विश्लेषण

जोखिम का प्रकार	आने का समय	प्रभाव	संवेदनशील क्षेत्र
बाढ	जुलाई–सितम्बर	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन,जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव	निचले क्षेत्र, भाहरी क्षेत्र
भूकम्प	कभी–भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन,जीविकोपार्जन, पर्यावरण पर प्रतिकुल प्रभाव	ऊंची ईमारत, कमजोर मकान,अपार्टमेन्ट,दुकान,मॉल,पुल,बांध, घनी आबादी बस्तियॉ
अग्नि / दावानल	मार्च–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, सम्पति का नुकसान	भाहरी क्षेत्र, रीको औधोगिक क्षेत्र, वनीय क्षेत्र, आबू पर्वत
सडक दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	जिले के सभी भाग
ओलावृष्टि	मार्च–मई	फसल का नुकसान	जिले के सभी भाग
रेल दुर्घटना	कभी भी	मानव एवं सम्पति का नुकसान	पिण्डवाडा, आबूरोड
महामारी	कभी भी	शारिरीक	जिले के सभी भाग
रसायन दुर्घटना	कभी भी	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, साधन, सम्पति का नुकसान	औधोगिक क्षेत्र, हाईवे एवं सडक परिवहन
बिजली का गिरना	अप्रैल–अगस्त	मानव का नुकसान	जिले के सभी भाग
तापघात	अप्रैल–जून	जीवन का नुकसान, जीवन रक्षक सामग्री, पर प्रभाव	जिले के सभी भाग

Assessment of crtical capacities within sirohi Capacities related to health care(DISTRICT HOSPITAL, CHC-9 PHC -29,108 Ambulance, 104 Janani express, Base Ambulance)

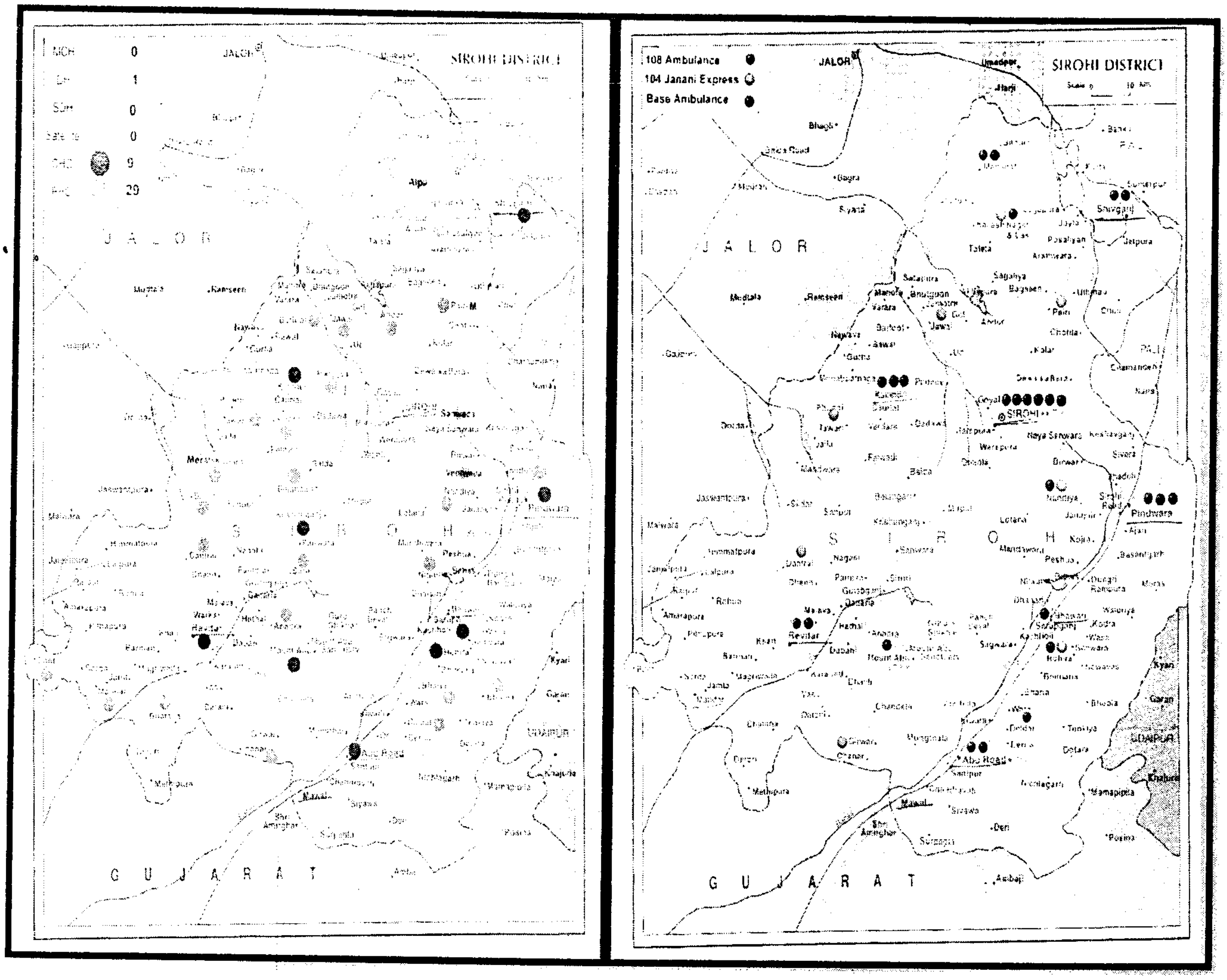

Source: NRHM, sirohi **Distribution of resources of health care across sirohi district**

जिलें की सम्भावित आपदाएँ, नाजुक क्षेत्र (Vulnerable Areas) व विभागवार प्रतिक्रिया योजना (Response Plan)

सिरोही जिलें की सम्भावित आपदाओं की दृष्टि से नाजुक क्षेत्रो का चिन्हिकरण किया गया हैं। जिनका उल्लेख इस प्लॉन में विभिन्न आपदाओ से बचाव हेतु आपदा गठित होने पर किये जाने वाले प्रयास (Prevntive & Mitigation Measures) को उल्लेख करते हुये विभिन्न विभागवार प्रतिकिया योजना **(Response Plan)** तैयार की गई

सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता हैं जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पडता हैं। इसकी प्रभावशीलता निरंतर बढती हैं जाती हैं तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती हैं। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागो में विभक्त किया हैं – प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती हैं जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती हैं। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति हैं जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षो से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य हैं तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता हैं।

सूखा धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा हैं जिसके सामान्य संकेत वर्षा का कम होना या समय पर न होना या कम जलसग्रहण होना, भू–जल स्तर का कम, फसलों का नष्ट, जलाशयों में पानी का अभाव होना।

वर्षा :–

Rainfall data (Tehsil Wise)

year	Abu Road	Mt.abu	Reodar	sirohi	Pindwara	Sheoganj
2001	525	1286	691	521	516.6	605.4
2002	216	425.5	239	192.4	283	246
2003	927	1629.6	808	683	652	531.4
2004	482	1203.5	529	290	432	258
2005	644	1360	544	817.3	1138	328.2
2006	1270	2514.5	1312	1188.4	1760	965
2007	723	1385	657	613	1000	453
2008	677	998	430	278	302	207
2009	447	630	321	391.6	491.3	275.8
2010	459	1623	862	787.7	903.7	635.1
2011	1016	2077	735	749	1335.6	553.6
2012	637	1355	538	741.8	679.8	434.6
2013	967	1683	766	714.4	480	380.2
2014	820	1172.06	590	387.6	446	307.6
2015	1437	1837	727.7	781.6	740.7	430.1
2016	733	1362.2	533	794.2	944	982.3

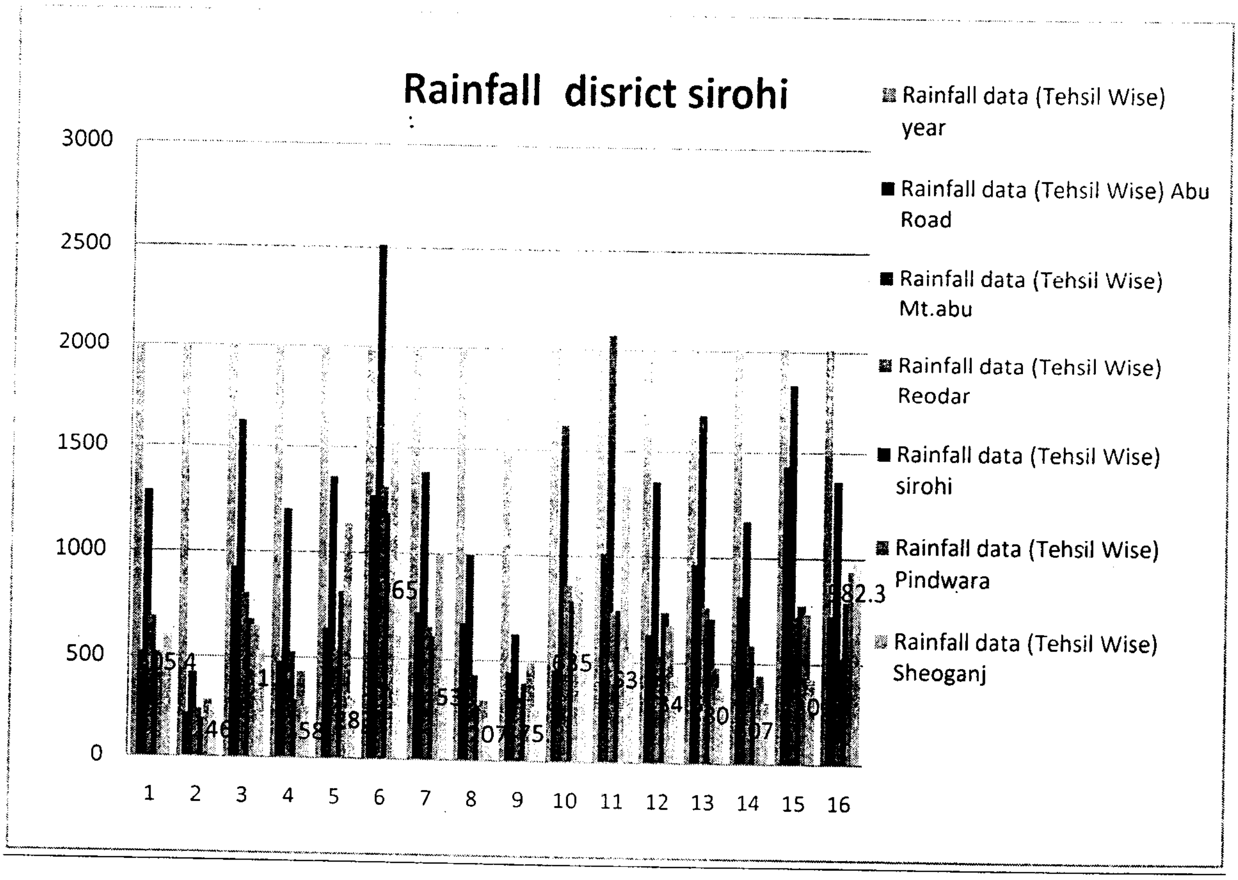
Rainfall disrict sirohi
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Rainfall data (Tehsil Wise) year
Rainfall data (Tehsil Wise) Abu Road
Rainfall data (Tehsil Wise) Mt.abu
Rainfall data (Tehsil Wise) Reodar
Rainfall data (Tehsil Wise) sirohi
Rainfall data (Tehsil Wise) Pindwara
Rainfall data (Tehsil Wise) Sheoganj

सूखे से बचाव की कार्य योजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या है। परन्तु कुछ दीर्घकालिन योजना उपाय बनाकर इस सूखा धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा हैं जिसके सामान्य संकेत वर्षा का कम होना या समय पर न होना या कम जलसग्रहण होना, भू–जल स्तर का कम, फसलों का नष्ट, जलाशयों में पानी का अभाव होना।

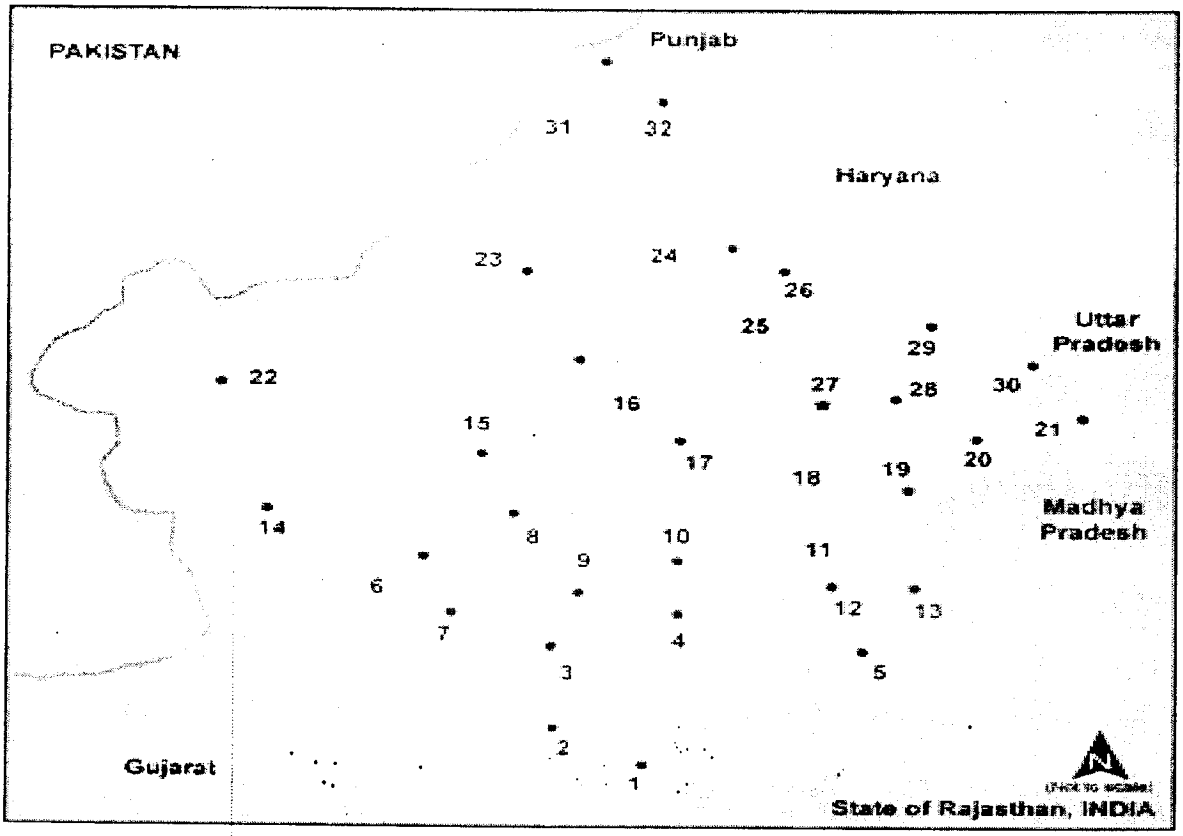

दीर्घकालिन उपाय	सूखे से पूर्व तैयारी	सूखे के समय कार्ययोजना
1. वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना। 2. पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना। 3. पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविरण । 4. पानी के संग्रहण एवं भू–कम्पों का पुनर्भरण। 5. मिट्टी व नमी का सरक्षण। 6. अत्यधिक मात्रा में पेड लगाना तथा पेडों की कटाई को:	1. अकाल प्रभावित क्षेत्रो का चिन्हिकरण। 2. चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवो का चिन्हिकरण। 3. जानवरो के लिये शिविरो के स्थान चिन्हित करना। 4. पेयजल की उपलब्ता सुनिश्चित कराना। 5. स्वंयसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना। 6. सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लडने हेतु	1. सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना। 2. सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएँ काम में लेना।

रोकना। 7. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजो का उपयोग। 8. कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारो व परम्परागत उधोगो को बढावा देना। 9. स्वंय सहायता समूहो का गठन करके लोगो में पानी बचाने के लिये जागरूकता लाना।	तैयारी करना। 7. रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यो आदि की विकास योजना तैयार करना।	

जिला प्रशासन	सहायता विभाग सूखा नियत्रंण कक्ष की स्थापना करेगा। हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना। परम्परागत जल स्त्रोंतो जैसे बावडी,टांको आदि का पुनः जीविकरण। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम "जैसे वृद्वावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएँ, मध्याहन योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन। पशुओ के लिये चारा डिपो स्थापित करना (परिशिष्ट संख्या 14) क़िसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना। अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यो हेतु मजदुरो को समय पर भुगतान।
चिकित्सा विभाग	प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना। मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये चिकित्सकीय एवं पेरोमेडिकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था। राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
पशुपालन विभाग	मवेशियों के लिये शिविर लगाना। संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिये पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना। बडी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयॉ एवं समय पर उनका संचालन करना। पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना।
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी	प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करनां। पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, केनवास बैग व हैण्ड पाईप लाईन की व्यवस्था करना। ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओ का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयनं
सिंचाई	सिंचाई के लिये पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना। राहत कार्यो के अंतर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
कृषि विभाग	खेती के लिये बीज तथा कीटनाशक दवाईयॉ उपलब्ध कराना। फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशो की व्यवस्था करना।
वन विभाग	वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना। ईधन आदि के लिये पेडो की सूखी टहनीयॉ उपलब्ध कराना।
खाध एवं नागरिक आपूर्ति	समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा,

	अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन। काम के बदले अनाज योजनाओ का प्रभावी क्रियान्वयन।
समेकित बाल विकास सेवाएँ	बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओ का प्रभावी क्रियान्वयन। राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध करानां।

सूखे से बचने के लिये क्या करे, क्या न करें ।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियों, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करे।
- पानी की बचत करे तथा इसे बर्बाद होने से रोके। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरंत नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितना आपको प्यास हैं। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोडने से पानी बर्बाद होता हैं, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड जाये तो उसे पेड पौधों में डालें।
- पाईप लाईन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहें।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सडक अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करे तथा लिकेज को रोकने के प्रयास करें।
- घरो में वे ही पौधें लगाये जिन्हें कम पानी की जरूरत होती हैं। घास में दो दिन में एक बार पानी दे। फल, सब्जी व कपडें धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में डाले।
- जल संग्रहण हेतु बनाये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलो को अच्छी तरह से बंद करे।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।
- वर्षा के जल को टांके में संग्रकित करना।

बाढ कार्य योजना

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्रा में वर्षा अधिक मात्राा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्रा की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है–विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं। भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्राफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ के कारण होने वाली जन हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्म्क कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता हैं। संरचनात्मक कदमों से बाढ के पानी से नुकसान पहुँचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जा सकता है गैर संरचनात्मक उपायो से नुकसान संभावित क्षेत्रो मे से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरिक किया जाता हैं।

बाढ के मुख्य कारणः–

- ☐ अत्यधिक वर्षा
- ☐ बांध का टूटना
- ☐ पेड़ों की संख्या में कमी
- ☐ वृहत अपवाह क्षेत्रा
- ☐ उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- ☐ अपवाह में अवसादीकरण
- ☐ बादल का फटना
- ☐ भूकम्प

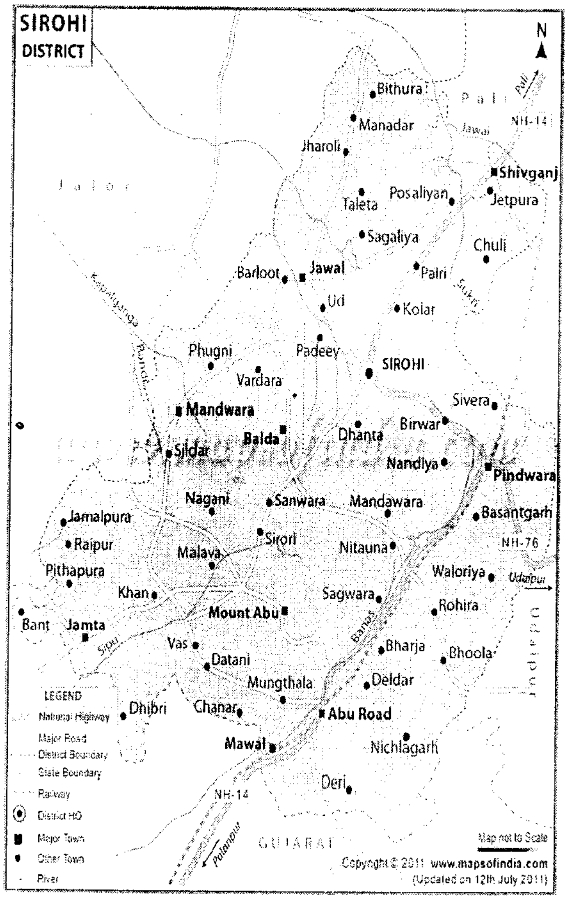

संरचनात्मक उपाय	गैर संरचनात्मक उपाय
1 जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुये अतिक्रमण को मानसुन के आने से पहले हटाना। 2 प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सडक पुलो के नीचे से मिट्टी निकालना। 3 बाढ संभावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना। 4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास तथा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का निरीक्षण जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत। 5. तटबंध पर बनाये गये स्थानीय बांधों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।	1. बाढ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियंत्रित करना। 2. बाढ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना। 3. बाढ से सुरक्षित घरो का निर्माण। 4. बाढ से बचने के लिये जन चेतना शिविरो का आयोजन। 5. बाढ के प्रभाव से बचने के लिये क्या करे क्या न करे को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेडियों, अखबार,दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगो तक पहुंचाना। 6. भू उपयोग को नियमो के माध्यम से नियंत्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता हैं।

बाढ़ से बचाव हेतु प्रशासन के उत्तरदायित्व :

बाढ़ पूर्व तैयारियां :–

बाढ़ द्वारा प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की षिनाख्त करना तथा उनके विस्तृत मानचित्र बनाना।

विगत वर्षो में, दो या तीन बार भीषण रूप से आई बाढ़ का विवरण तैयार किया जाना, जिससे बाढ़ के बाद पुनः सामान्य स्थिति प्राप्त करने के लिए की गई कार्यवाही का उल्लेख हो।

जिन स्थानों पर उचित रूप से पानी का बहाव न होता हो व पानी रूके रहने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे स्थानों को चिन्हित कर उन स्थानो से पानी निकालने संबंधित योजना बनाई जाना।

बाढ़ से बचाव हेतु सुरक्षित स्थानों को चिन्हित करना, जहां अधिक मात्रा में लोगो को ठहराने व पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो। साथ ही पर्याप्त मात्रा में अन्न संग्रहण की व्यवस्था करना। इन स्थानों के बारे में जन–जन को पूर्व में सूचित करना।

जिला मुख्यालय पर कलक्टर की अध्यक्षता में राहत कमेटी बनाना जिसमें विभिन्न विभागों के अध्यक्षों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की सहभागिता हो।

चिकित्सा विभाग को बाढ़ से उत्पन्न बीमारियों से निबटने हेतु दवाईयों व रेस्पोन्स टीम के साथ तैयार रखना।

बाढ़ से प्रभावित जनसंख्या को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए जीप, ट्रेक्टर, बैलगाड़ियों का अग्रिम रूप से प्रबंध रखना जो तीन फुट तक के पानी में परिवहन व्यवस्था में काम आ सके।

बाढ़ से प्रभावित होने वाले चार–पांच गांवो की बचाव व राहत टीम तैयार करना जो आपदा के समय मनुष्यों व जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने व उन्हें राहत सामग्री उपलब्ध कराने में मदद कर सके।

बाढ़ के दौरान तैयारियां :–

निवास क्षेत्र से बाढ़ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु आवष्यक कदम उठाना। बाढ़ के पानी के लिए उचित मार्ग बनाना ताकि यह शीघ्र प्रवाहित हो

जहां भी आवष्यक हो पानी निकालने हेतु फ्लड़ पंप लगाना। बाढ़ के पानी को दूसरी ओर बहाने हेतु नहर/निकास के प्रयोग को संभव बनाना।

बाढ़ के बाद तैयारियां :–

जहां भी संभव हो, लोगों व जानवरों को मूल क्षेत्र में पुनः स्थानांतरित करना।

मकानो की मरम्मत हेतु सहायता प्रदान करना प्रभावित परिवारों को नियंत्रित दरों पर आवष्यक वस्तुएँ और राषन उपलब्ध कराना।

जल्द से जल्द सड़को/रेलवे लाईन का पुननिर्माण कर परिवहन सेवाएँ परिचालित करना। जल्द से जल्द दूरसंचार प्रणाली को प्रारंभ करना।

हानि मूल्याकंन और दावा मूल्यांकन हेतु विषेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।

प्रषासन द्वारा तैयार मानदण्ड़ो पर प्रभावित लोगो को राहत राषि देने की व्यवस्था करना।

बाढ़ कंट्रोल रूम तैयार कर सम्पर्क सूत्र नेटवर्क तैयार करना :–

बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना दिनांक 15 जून से प्रारम्भ कर दी जावे । नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नं. 02971–222336 है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष 15 जून से 30 सितम्बर तक कलेक्ट्रेट परिसर में 24 घण्टें बाढ़ नियंत्राण कक्ष संचालित रहता हैं। जिसके नं0 02972–225327 हैं। बाढ़ नियंत्रण कक्ष पर 24 घण्टें 16 होमगार्ड जवान (तैराक सहित) मय लाईफ जेकेट, रस्से, ड्रेगन लाईट आदि बचाव कार्यों में आवश्यक सामग्री सहित तैनात रहते हैं। बाढ प्रकोष्ठ द्वारा वर्षा के आंकडे बांधो के गेज नदियों में जल प्रवााह, डिस्चार्ज तथा अतिवृष्टि से उत्पन्न संभावित खतरे आदि की सूचना विभाग एवं जिला प्रशासन को प्रेषण किये जानें का कार्य सम्पादित किया जाएगा।

राज्य कन्ट्रोल रूम, जयपुर	0141 2227296 2702480
जिला कन्ट्राले रूम, सिरोही	02972 225327
सिचांई विभाग, सिरोही	02972 222592
प्रभारी अधिकारी (अति.कलक्टर प्रशासन) सिरोही,	02972 220355 मो.
प्रभारी बाढ नियंत्रण कक्ष सिरोही (	

वाहन व्यवस्था :–

वर्तमान में खण्डीय कार्यालय के पास ट्रक, ट्रेक्टर वाहन एवं नाव की व्यवस्था सूची है। अधिक्षण अभियन्ता, सिंचाई अपने स्तर पर नावों की सूची प्राप्त कर नियंत्रण कक्ष एवं टी0डी0आर0 को उपलब्ध करा दें।

वैकल्पिक मार्ग :– सभावित बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर प्रभावित व्यक्तियों को संलग्न सूची में उल्लेखित अनुसार वैकल्पिक मार्ग द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा ।

आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं।

अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।

बाँधों की मरम्मत हेतु सामग्री पहुंचाने वाले रास्ते की सूची संलग्न हैं ।

सिंचाई विभाग

- सुरक्षित स्थानों का चयन परिशिष्टो की सूची
- सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
- वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना।
- सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।

बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें।

- सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलायन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
- अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री तैयार रखना।
- उपलब्ध नावों की सूची परिशिष्टो की सूची
- तैराकों की सूची परिशिष्टो कीं सूची

चिकित्सा विभाग–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है। आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे।

- चिकित्सा अधिंकारी 01
- स्वास्थ्य निरीक्षक 01
- मेल नर्स 01
- एमपीडब्ल्यू 01
- वार्ड बॉय 01
- वाहन चालक मय वाहन 01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं

बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- जिले में बाढ़ की स्थिति से निपटने हेतु नियत्राण कक्ष की स्थापना की गई है जो 24 घण्टे कार्यरत रहेगें।
- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्विकरण हेतु पर्याप्त मात्राा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान् मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सक्रांमक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियत्राण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।
- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्राण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्रा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्रा विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्राण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्रा की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्राण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग–

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकरियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते है।

पुलिस विभाग –

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी–बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरुस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

एन.सी.सी/एन.एस.एस.–

- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र –

जिला मुख्यालय पर 2 अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें वर्तमान में 2 अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। आग की स्थिति से निपटने के लिए 101 पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकाएं

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्रा में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।

मीडिया

समय–समय पर बुलेटिन जारी करना।

आपदा में घायल एवं मृतकों की सूची प्रकाषित करना।

सरकार द्वारा किये जा रहे राहत कार्यो की जनता को जानकारी देना।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदानः–

आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी। आपदा संभावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायलद या मृत लोगो का सीधा संबंध जनसंख्या घनत्व से होता हैं। अतः बाढ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिये तथा अगर पहले से लोग बसे हुये है तो भू उपयोग नियंत्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगो को 'दुसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते है। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिये विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिये। उच्च बाढ संभावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिये प्रकृति व पशुओं के लिये सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिये आरक्षित करना।

हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ संभावित क्षेत्रो में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरो को केवल उन क्षेत्रो में अनुमति दी जानी चाहिये जहॉ पर बाढ नियंत्रण के उपाय कर लिये गये है। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

Tehshil wise Flood Prone Area District Sirohi

तहसील	नदियां	गांव
सिरोही	कृष्णावती, वाडेली (भारी वर्षा के कारण)	जावाल, जामोतरा, भूतगांव, सतापुरा, बरलूट, मण्डवारियां, देलदर
आबूरोड	वेस्ट बनास भारी (वर्षा के कारण)	किवरली, आमथला, तरतोली, कारोली, आबूरोड टाउन, सांतपुर
रेवदर	सीपूनदी, करोटी, लोकल नाला (भारी वर्षा के कारण)	गुलाबगंज, छापोल, करोटी, निम्बोडा, जायठा, भीलडाखेडा, रापुरा, पिलोची सेलवाडा, रोहुआ
शिवगंज	जवाई, सुकडी, घरवट सागरी लोकल नाला	देवली, शिवगंज, बडगांव, चंदाणा, लखमावा, बुडेरी
पिण्डवाडा	पश्चिमी बनास, सूकली	मुरारीखेडा, धनारी, भांवरी, पातुम्बरी, खाखरवाडा, काछोली, नितोडा

जिले के प्रमुख बांध

जल संसाधन खण्ड के अधीन व पंचायत के अधीन एवं जवाई नहर खण्ड, सुमेरपुर के अधीन सिरोही जिलें में कुल 58 बांध, तालाब आते हैं जिनकी पूर्ण भराव क्षमता 6421.50 (मिलीयन घन फीट) (Mcft) हैं तथा इनके द्वारा 60455 एकड भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। (तीन सौ हेक्टर सिंचाई क्षमता के तालाबों को पंचायती राज. संस्थानों को हस्तान्तरित किया जा चुका है। सिरोही जिलें में प्रमुख बांध वेस्ट बनास बांध, अणगौर बांध, ओडा बांध, धान्ता बांध, कामेरी बांध, पोईदरा बांध, बगेरी बांध,

Critical Positions in District Sirohi
Released by control room on 25.07.2017 at 6:00PM

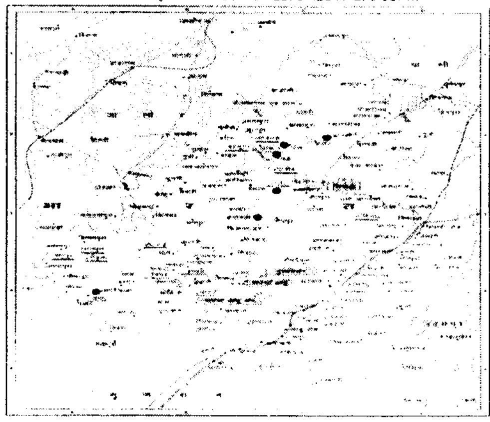

मूंगथला बांध, टोकरा बांबूटरी बांध, उडवारिया बांध, मण्डार नाला (प्रथम) बांध हैं।

Angore Minor Irrigation Project

BAGERI MINOR IRRIGATION PROJECT

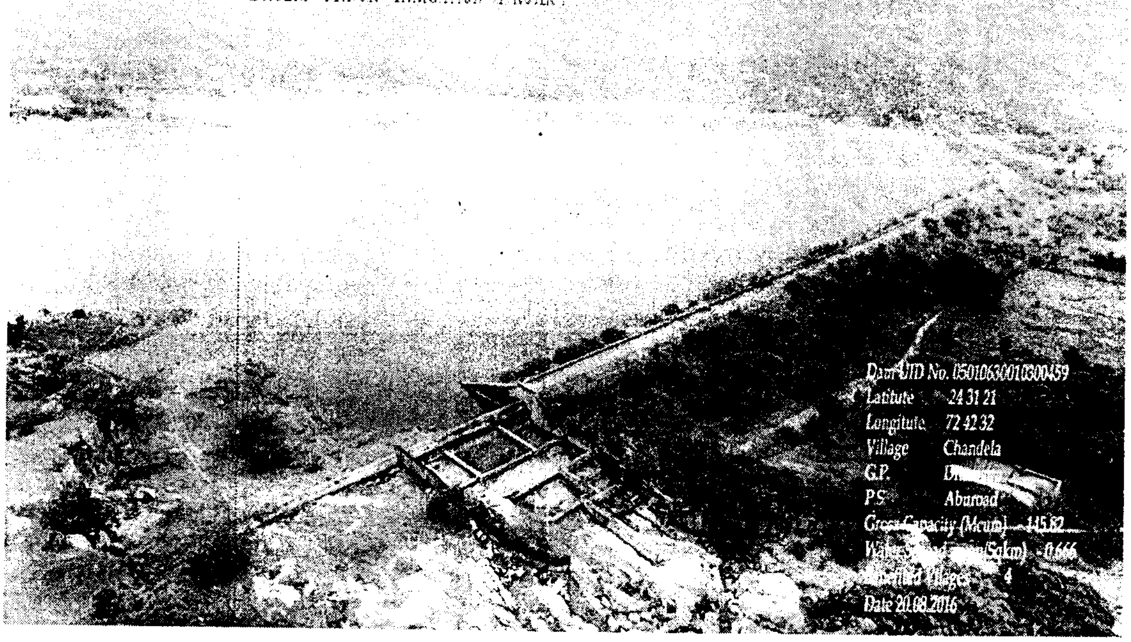

West Banas Medium Irrigation Project

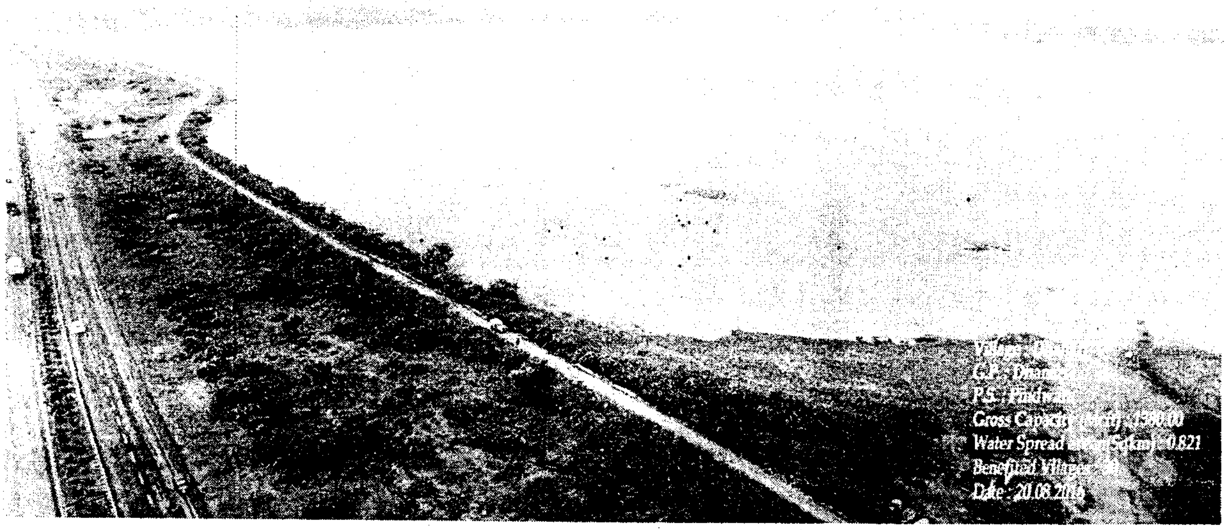

Kameri Minor Irrigation Project

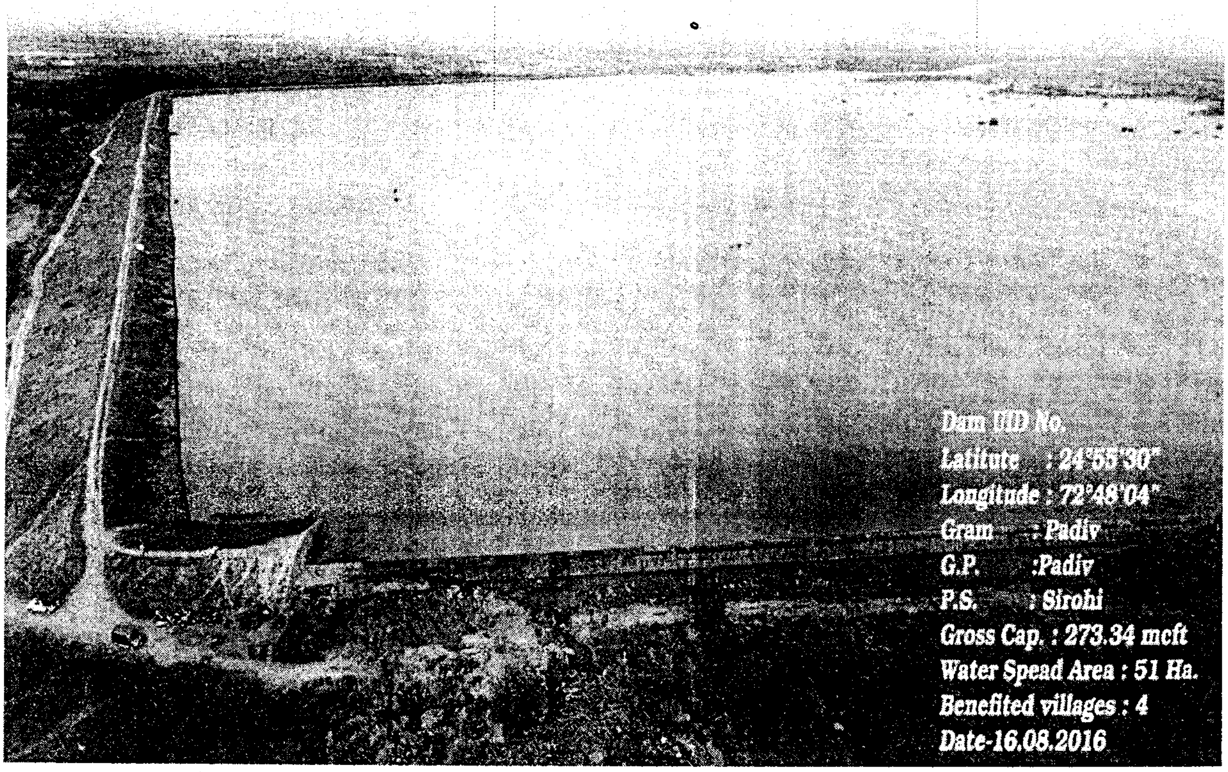

Akhelao Minor Irrigation Project

जिलें में बाढ से प्रभावित गॉवों की सूची
Flood Prone Area/Dams Breakness

तहसील (Tehsil)	बाँध (Dams)	क्षमता मिलियन घनफुट	प्रभावित गाँव/अधिवास Affect Prone Area/Village	जनसंख्या (Population) effected
आबूरोड	वेस्ट बनास	1380.00	धनारी, स्वरूपगंज, भावरी,नई धनारी, काछोली, उडवारिया, भीकाना, नानरवाडा, खाखरवाडा, सांगवाडा,फुलवाईखेडा,भीमाना,भारजा,अचपुरा,कासिन्द्रा ,किंवरली,आमथला,तरतौली,व आबूरोड शहर का नदी के पास का भाग, कारोली।	25000
	बगेरी	124.00	गिरवर, चिनार	1200
	मूंगथला	95.50	मूंगथला, आवल, गोथाडा, धामसरा	1500
	गिरवर	84.91	गिरवर, चिनार	1000
	कुई सागना	70.63	आबूरोड,कुई गॉव	1500
	चंडेलाव	56.00	गिरवर, चिनार, चंडेलाव	2000
	चिनार	53.66	गिरवर, चिनार	700
	वाजणा	15.09	वाजणा	450
	महादेवनाला	50.85	क्यारिया, मूदरला, आमथला, कारोली	850
	मंडोवरी	36.00	आबूरोड, सांतपुर	2000
	श्रानेलाव	08.29	किंवरली	950
	वालोरिया		पुनिया, कम्बोई	550
श्रेवदर	टोकरा	192.15	पीथापुरा, मालगॉव, गुलाबगंज	2500
	दौलपुरा	36.21	धवली, दौलपुरा	1900
	उडवारिया	114.38	सिरोडी, असावा	1500
	बूटडी	156.50	बूटडी, मकावल, भैरूगढ, फतेहपुरा	3500
	मंडारनाला प्रथम	101.74	करेली, भैरूगढ	2000
	करोडी ध्वज	94.94	अनादरा, शेरगढ	4500
	जीरावल	68.85	जीरावल, बीकनवास	2000
	पालडी खेडा	35.66	पालडीखेडा, दत्ताणी	2100
	संगराली खेडा	35.00	गुलाबगंज	500
	बढेची	24.31	बढेची	800
	थल	21.50	थल, लिलोरा, भवानगढ	1000
थसरोही	जावाल	15.02	सीधा कृष्णावती, नदी बरलूट	1000
	धान्ता	277.10	धान्ता गॉव	2000

	अखेलाव मानसरोवर	30.00	भाटकडा, सिरोही, रामपुरा, शान्तिनगर का नाला, नवाखेडा, जीएसएस एवं कॉलोनी	2500
	कमेरी	167.44	बलवंतगढ, पाडीव, मंडवाडा, जावाल	4000
	अणगौर	495.21	पाडीव, अणगौर गॉव की नीचली बस्ती, मंडवाडा, जावाल	15000
	पोईदरा	134.03	पोसीतरा, मंडवाडा का गोलिया, मडिया	5000
	निम्बोडा	33.47	मडिया, आकूना	4200
	चडवाल	27.80	चडवाल, बावली	2100
	फाचरिया	62.26	त्वरी	1500
	टामलारी	15.27	आमलारी, पुनावा	900
	कुरनिया	09.92	रामपुरा	500
	वेलांगरी	31.22	कृष्णगंज, वाडेली	2300
शिवगंज	ओडा बांध	800.00	ओडा, अखपुरा, नारादरा, लौटीवाडा, उम्मेदगढ, माडानी	20000
	बडगॉव	49.63	बडगॉव	1000
	गोढाना	66.12	गोढाना, खेजडिया, केशरिया	4000
	गोढाना धुबाना	07.54	चुली, खेजडिया व वेराजेत पुरा	2000
पिण्डवाडा	भूला गॉव	190.00	रोहिडा, भूला	2000
	लुनेरी	86.14	रोहिडा, लुनेरी	2000
	खारा	24.85	खारा	1000
	केर	197.22	नितोडा, माण्डवाडा, केर	3000
	माण्डवाडा	87.07	नितोडा, माण्डवाडा	5000
	सरूपसागर	95.55	सेवडा, पिण्डवाडा	7000
	कादम्बरी	156.00	पिण्डवाडा	7000
	जुबली	57.37	पिण्डवाडा	3000
बली	आमलिया		आमलिया, आमली, पिण्डवाडा	3000

जिलें में बाढ से प्रभावित गॉवों की जनसंख्या (Popula tion) Affected

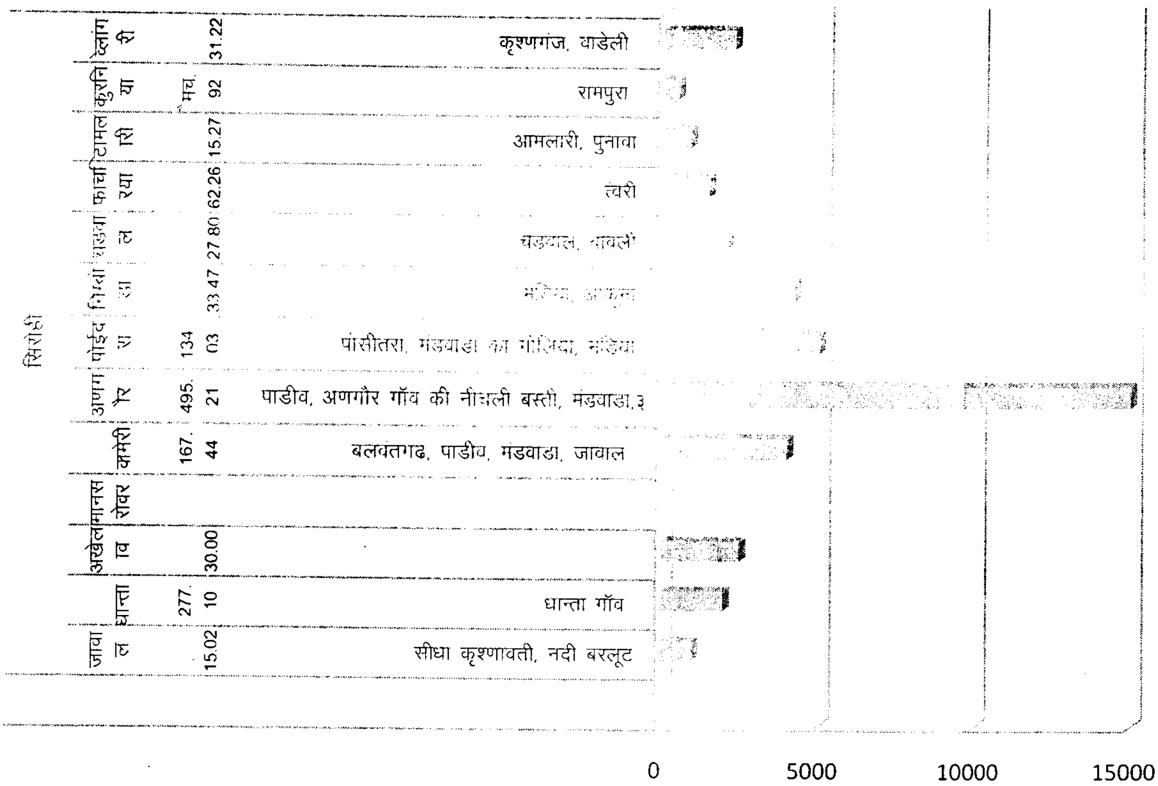

	सिरोही													
	जावाल	धान्ता	अखलाव	मानसरोवर	वामेरी	अणगौर	पोईदरा	निम्बोडा	चडवाल	फाचरिया	टामलारी	कुरनिया	व्लांगरी
	15.02	277.10	30.00		167.44	495.21	134.03	33.47	27.80	62.26	15.27	मच.92	31.22
	सीधा कृष्णावती, नदी बरलूट	धान्ता गॉव	भाटकडा, सिरोही, रामपुरा भान्ति नगर का नाला, नवाखेडा, जीएसएस एवं कॉलोनी		बलवंतगढ, पाडीव, मंडवाडा, जावाल	पाडीव, अणगौर गॉव की नीचली बस्ती, मंडवाडा, जावाल	पोसीतरा, मंडवाडा का गोलिया, मडिया	मडिया, आकूना	चडवाल, बावली	त्वरी	आमलारी, पुनावा	रामपुरा	कृष्णगंज, वाडेली
जनसंख्या ,च्वचनसं जपवदद्ध मभिबजमक	1000	2000	2500		4000	15000	5000	4200	2100	1500	900	500	2300

जनसंख्या Popula tion effected

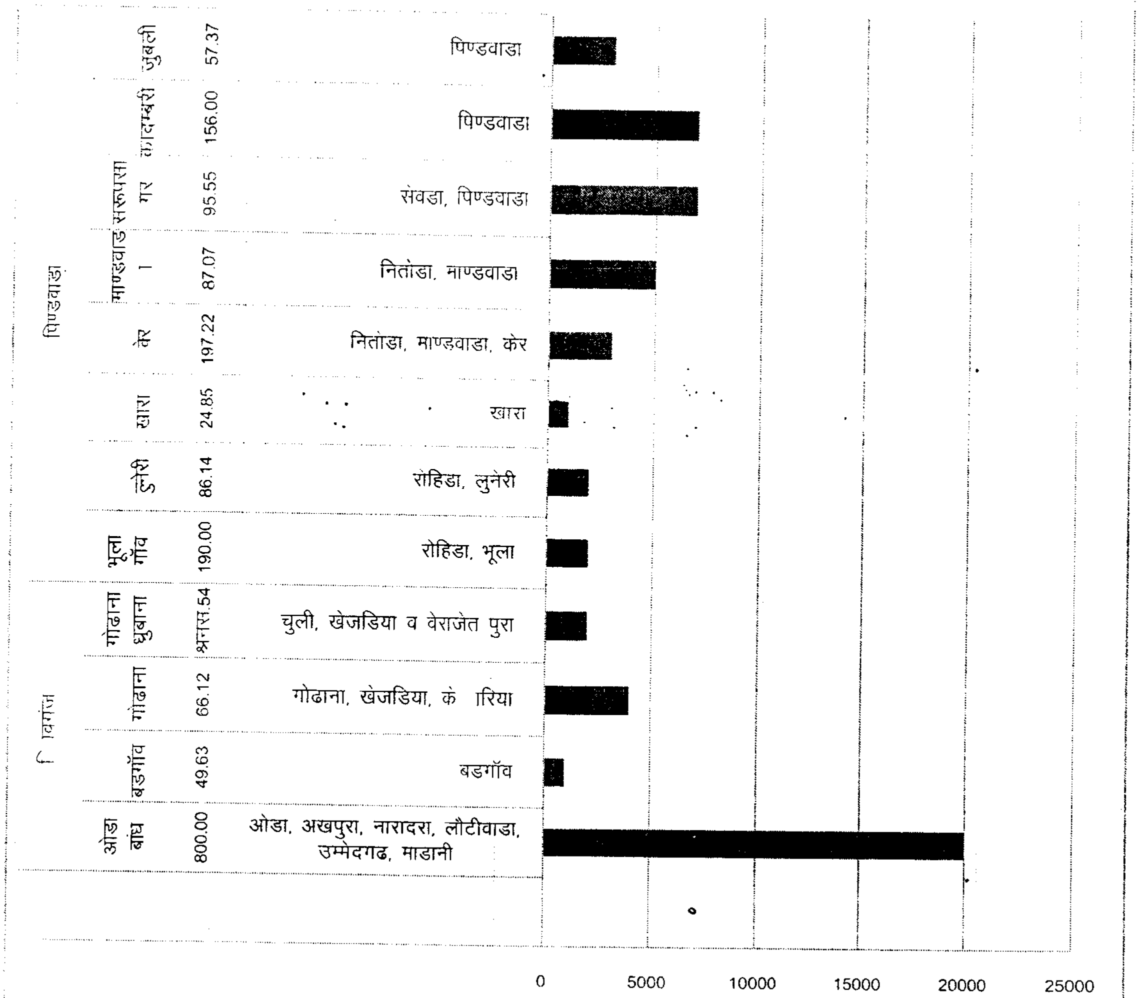

	शिवगंज				पिण्डवाडा							
	ओडा बांध	बडगॉव	गोढाना	गोढाना धुबाना	भूला गॉव	लुनेरी	खारा	केर	माण्डवाडा	सरूपसागर	कादम्बरी	जुबली
	800.00	49.63	66.12	श्रनस.54	190.00	86.14	24.85	197.22	87.07	95.55	156.00	57.37
	ओडा, अखपुरा, नारादरा, लौटीवाडा, उम्मेदगढ, माडानी	बडगॉव	गोढाना, खेजडिया, केशरिया	चुली, खेजडिया व वेराजेत पुरा	रोहिडा भूला	रोहिडा लुनेरी	खारा	नितोडा, माण्डवाडा, केर	नितोडा, माण्डवाडा	सेवडा, पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा
■ जनसंख्या ;च्चनसं जपवदद्ध मिमिबजमक	20000	1000	4000	2000	2000	2000	1000	3000	5000	7000	7000	3000

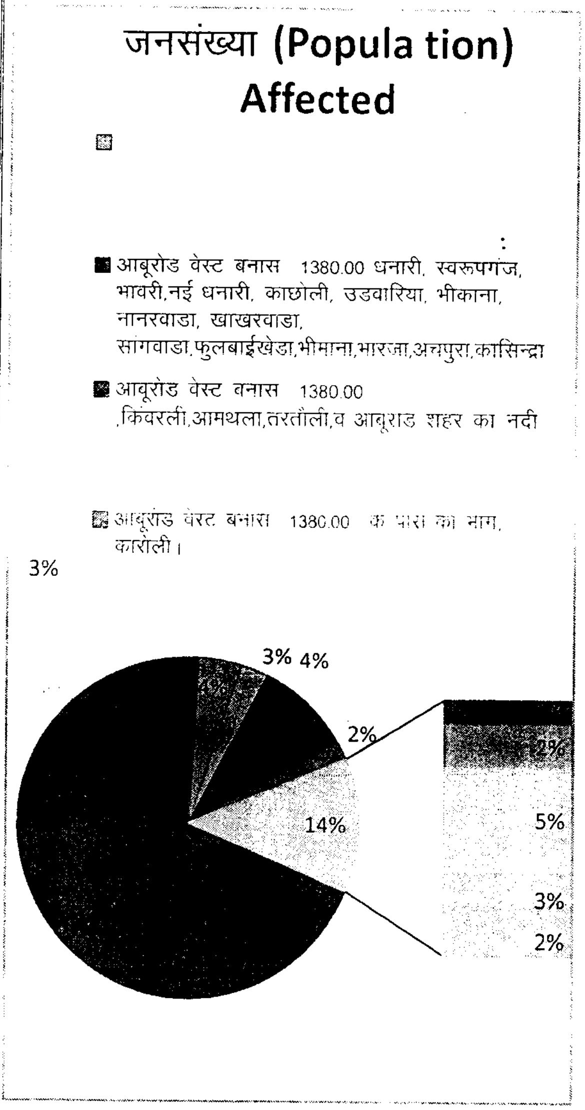

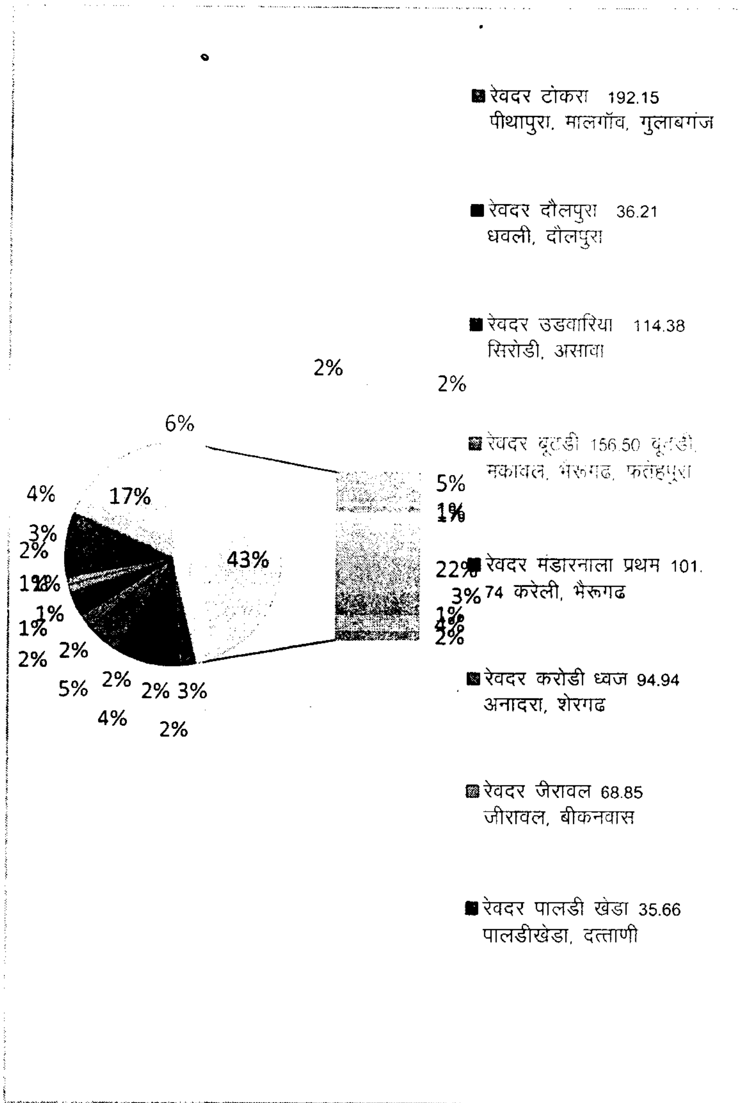

जनसाधारण द्वारा बरती जाने वाली सावधानियां:—

बाढ़ आने से पहले :

यदि कई घण्टों तक तेज बारिष हो रही हो अथवा कई दिनों से धीरे–धीरे बारिष हो रही हो तो बाढ़ आने की सम्भावना से सतर्क हो जायें।संकट कालीन सूचनाओं के लिए रेड़ियो व टेलीविजन को निरंतर ध्यानपूर्वक सुनें।

ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय स्टेषन, लाउड़स्पीकर अथवा अन्य माध्यम से आपको सबसे सही सलाह प्रदान करता है, उसे ध्यान पूर्वक सुने व उनका अनुसरण करें।

बाढ़ के लक्षणों के प्रति सर्तक रहें। चेतावनी का मतलब होता है कि बाढ़ आपके क्षेत्र में आ सकती है अथवा आना आरम्भ हो गयी है।

सबसे महत्वपूर्ण आपका बचाव है। बाढ़ की सम्भावना होने पर तुरन्त अपने परिवार के साथ सुरक्षित स्थान पर चले जायें।

पलायन करते समय अपने पालतू जानवरों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्था करें।

सुरक्षित स्थान न मिलने पर जानवरों को खोल दें ताकि वे स्वयं सुरक्षित स्थान ढूंढ़ सकें।

बाढ़ आने से पहले गाड़ी चलाना अधिक सुरक्षित व आसान होता है इसलिए कोषिष करें कि आप शीघ्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकल जाये।

बाहर निकलने के लिए सुरक्षित स्थान पर पहुंचना सम्भव न हो तो अपने घर में प्राथमिक चिकित्सा का सामान तथा अन्य खाद्य समाग्री व पेयजल पर्याप्त मात्रा में ऊंचे व सुरक्षित व स्थान पर रख लें। अपने घर की नालियों को साफ रखें।

बाढ़ के समय :

अपने घर के सभी विद्युत उपकरणों व मुख्य स्विच को बंद कर दें।

तुरन्त ऊंचे स्थान पर चले जाएं। यदि आप घर के अन्दर, कमरे में हैं, जहां पानी भरना शुरू हो गया हो तो तुरन्त छत पर चले जाएं।

जहरीले जन्तुओं के प्रति सतर्क रहे।

सुरक्षित जल व खाद्य समग्री का ही प्रयोग करें।

यदि आप बाहर हैं तो बाढ़ के पानी से दूर किसी ऊंचे स्थान पर चढ़ जाएं।

यदि आप बहते हुए पानी में आ जाएं जहां पानी आपके घुटने से ऊपर हो तो तुरन्त रूक जाएं तथा दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ें।

अधिकतर दुर्घटनाएं बाढ़ के पानी में तैरने व खेलने से होती है, उनसे बचें।

यदि आप गाड़ी चला रहें हो तो बाढ़ वाले क्षेत्र की तरफ न जाएं।

यदि गाड़ी चलाते समय आप पानी का स्तर बढ़ता हुआ देखें तो तुरन्त अपना रास्ता बदल लें व बहते पानी को पार करने की कोषिष न करें।

तेज बारिष के दौरान पुल, बांध व नदियों से दूर रहें।

बाढ़ के बाद :

बाढ़ के दूषित पानी से कई बीमारियां फैल जाती हैं, प्राथमिक चिकित्सा के लिए तुरन्त नजदीक के अस्पताल अथवा क्लिनिक में जायें।

आपदा प्रभावित क्षेत्र से दूर चले जायें, क्योकि आपकी उपस्थिति अन्य राहत कार्यो में व्यवधान डाल सकती है तथा दूषित पानी व संक्रमित रोग आप पर असर डाल सकते हैं।

अपने क्षेत्र की खबरों को रेडियो, टेजीविजन व लाउडस्पीकर के माध्यम से निरंतर सुनते रहें व निर्देष मिलने पर ही अपने घर में पुनः प्रवेष करें।

बाढ़ प्रभावित इमारतों से दूर रहें क्योकि बाढ़ के पानी से कई–कई बार इमारतों की नींव कमजोर हो जाती है व उनके ढ़ह जाने का खतरा बढ़ जाता है।

इमारत में प्रवेष करते समय पूर्ण सावधानी रखें।

टॉर्च अथवा लालटेन से इमारत की दीवारों, खिडकियों, फर्ष व सीढ़ियों का निरीक्षण करें तथा पूर्ण सन्तुष्टि होने पर ही आगे बढ़े।

खाद्य पदार्थो को ढक कर रखें व पानी को विसंक्रमित करके ही पीयें।

अपने आस–पास के बच्चों, बुजुर्गो व अन्य असहाय लोगो को सहायता उपलब्ध कराने में मदद करें।

सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें।

राहत कार्यो में प्रषासन व सामाजिक कार्यकर्ताओ की मदद करें।

भूकम्प कार्य योजना

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्राात से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से से चारों ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं, उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

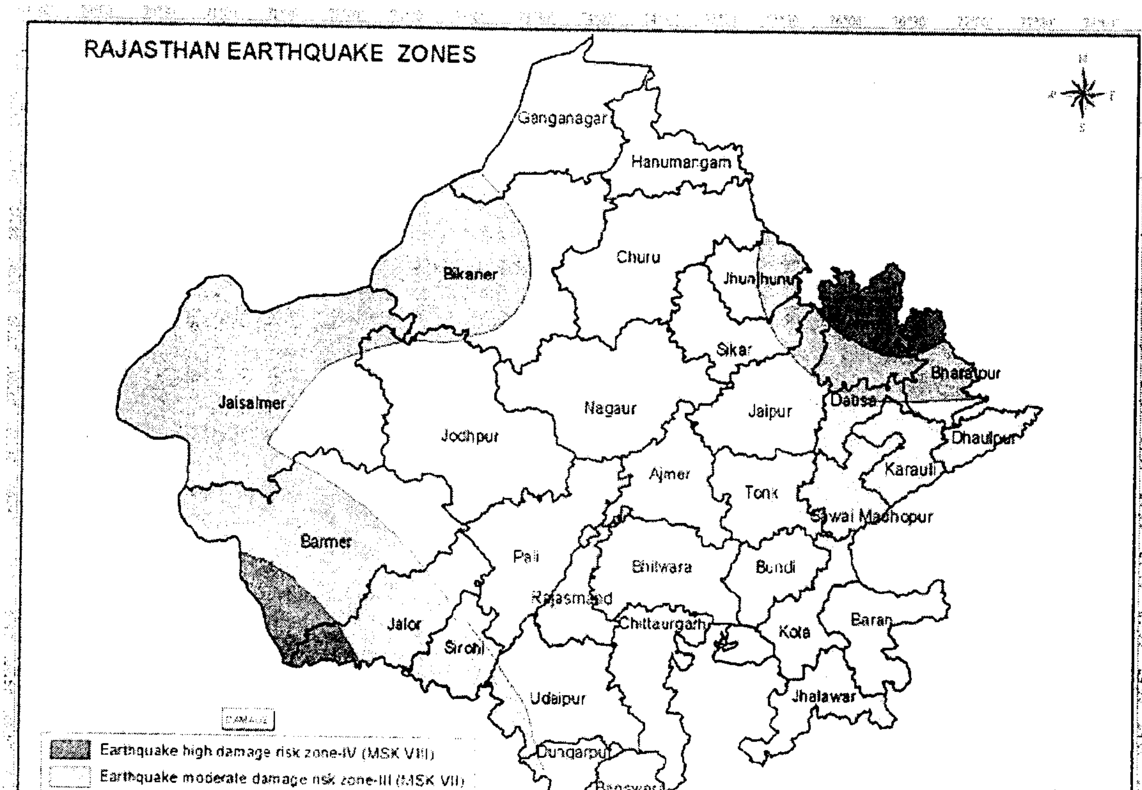

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ☐ ज्वालामुखी क्रिया
- ☐ भ्रंशन
- ☐ भूसंतुलन में अव्यवस्था
- ☐ जलीय भार
- ☐ भूपटल में संकुचन
- ☐ गैसों का फैलाव
- ☐ प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोसन काऊंसिल ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्से तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक पर तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्रा में महसूस किये जाते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	तीव्रता के लक्षण भूकम्पों का प्रभाव)	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिाक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्रा से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं क कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2–6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू–स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1

प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

सिरोही जिले को भूकम्पीय खण्डों की भारतीय मानक स्पेसिफिकेशन के अन्तर्गत खण्ड में रखा गया है एवं भूकम्प के विगत वर्षो के आंकड़ें यह प्रदर्शित करते है। कि हाल के कई वर्षो में यहां कोई विनाशकारी भूकम्प नही आया है। किन्तु बढ़ते शहरीकरण जो ऊंची इमारतों एवं खरीददारी के परिसरों के रूप में बढ़ रहा है चिंता का मुख्य विषय है। परिसरों हेतु आव?यक मानकों का पालन यहां नही किया जाता है।

सिरोही जिले में भूकम्प आने पर जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। एजेन्सी द्वारा भूकम्प से प्रभावित होने वाले सम्भावित क्षैत्राों जेसे महत्वपूर्ण इमारतें ऐतिहासिक स्थल, बांध इत्यादि तथा जोखिम सम्भावित एवं उनकी संरचना को प्रारम्भिक रूप से चिन्हित कर लिया गया है।

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्राण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीड़िया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना। पुलिस प्रशासन
- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।

- राजकीय एवं निजी क्षेत्रा में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नही।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नही लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नही लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मज़बूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मज़बूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्घ अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखे।

आपदा के दौरान व पश्चात

- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वंय की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती हे तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रह। खुले क्षेत्रा में तब तक रूकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लियें सुरंक्षित स्थान है। पत्थर की सरुचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों ऐव पुलों को अवश्य देखों।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 102 को सूचना दें।
- आग की जांच करें।
- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।

सडक दुर्घटनाएँ

सिरोही जिलें में कुल सडकों की लम्बाई 1426.783 कि.मी. हैं। यहॉ सडक दुर्घटना का मुख्य कारण यातायात के नियमों की जानकारी नहीं होना, सडक के दोनो ओर भारी मात्रा में बिलायती बबूलों का होना, जिससे सामने से आने वाले वाहनों का समय पर नजर नही आता तथा वाहनों के द्वारा क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना हैं।

जिला **सिरोही से दो राष्ट्रीय राजमार्ग 14 व 76 नम्बर गुजरते है** जो कि शिवगंज, सिरोही, पिण्डवाडा, आबूरोड आदि स्थानों से गुजरता हुआ पालनपुर–अहमदाबाद को जाता है तथा दूसरा पिण्डवाडा–उदयपुर, निम्बाहेडा चित्तौडगढ को जाता हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गो पर प्रतिदिन लगभग 10 हजार वाहन गुजरते हैं तथा हाईवे पर भारी वाहनों का दबाव बना रहता हैं। यहॉ पर अधिकतर दुर्घटनाएँ ओवर टेंकिग के कारण होती हैं।

सिरोही जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग व राज्य राजमार्गो पर कुछ प्वाइन्ट ऐसे है, जहा अधिकांष सड़क दुर्घटनाये घटती है।

सडक मार्ग	दुर्घटना सम्भावित क्षेत्र
राज्य राज. मार्ग नं. 27	सिरोडी, गुलाबगंज, अनादरा, डबाणी, करोटी, मगरीवाडा, सोनेला
राष्ट्रीय मार्ग नं. 14	**अनादरा चौराहा, बारी घाटा, अंबाजी चौराहा, किंवरली, ओडा, नाका, नया सानवाडा, पालडी, डबाणी, सरगा माता मंदिर के पास, भांवरी चौराहा, पश्चिमी बनास बांध के पास धनारी, चॅवरली रेल्वे फाटक के मोड पर, झाडोली ग्राम के मोड पर**
सिरोही रोड से सिरोही	**बारीघाटा, सिरोही**
राष्ट्रीय मार्ग नं. 76	पिण्डवाडा से उदयपुर सीमा सडक तक

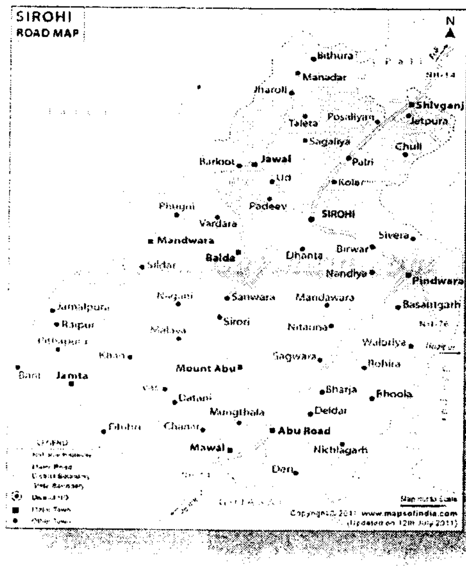

दुर्घटना घटित होने

दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनागस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा निकटस्थ तहसील या उपजिला कलक्टर या जिला कलक्टर कार्यालय या निकटस्थ थाने या उपाधीक्षक पुलिस कार्यालय या पुलिस अधीक्षक कार्यालय को सूचित करें । यदि निकट में टेलीफोन की व्यवस्था नहीं हो तो निकटस्थ ग्राम के पटवारी , ग्रामसेवक , अध्यापक , ए.एन.एम. , सरपंच या अन्य किसी सरकारी कर्मचारी को सूचित करें ताकि वे आगे तुरन्त सूचना को सम्प्रेषित कर सकें । प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि

दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं। घबराइये नही घायल की मदद करना मानवीय दायित्व है।

सिरोही जिलें में पूर्व हुई सडक दुर्घनाओं का ब्यौरा

वर्ष	दुर्घनाएँ	घायल	मृत्यु	कुल
1999	428	606	117	723
2000	420	702	145	847
2001	436	809	144	953
2002	442	823	125	948
2003	444	706	139	845
2004	534	916	130	1046
2005	495	800	158	958
2006	501	839	195	1034
2007	508	916	173	1089
2008	509	868	188	1056
2009	520	1009	178	1187
2010	429	648	189	837
2011	403	749	240	989
2012	381	676	207	883

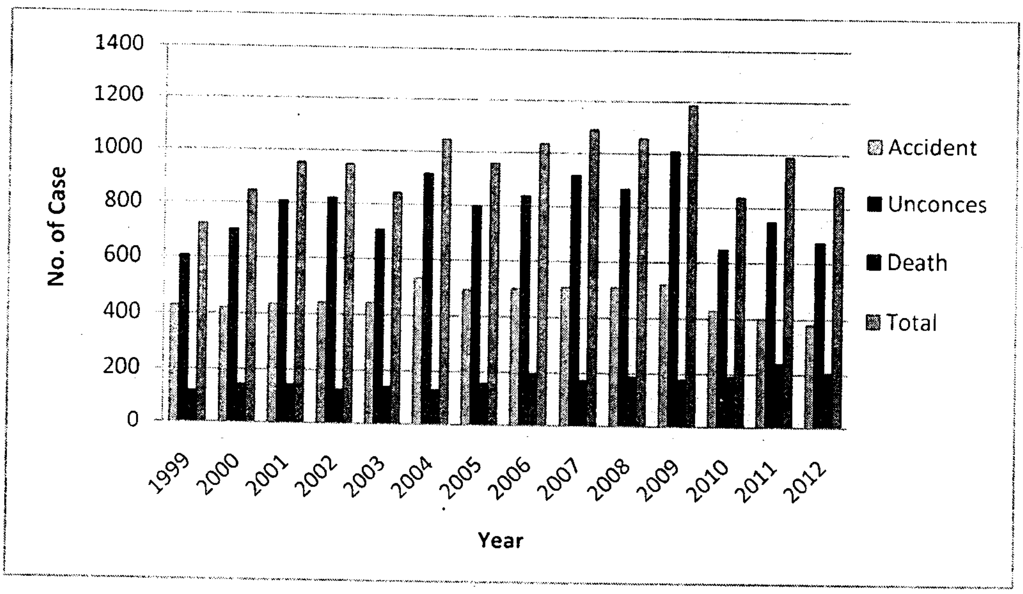

दुर्घटना कार्य योजना

दुर्घटनाएं कहीं भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्थ आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है

कि हम दुर्घटनागस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101, 102, 104 व 108 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व

संरचनात्मक उपाय –

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय – सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए

- ☐ सड़क नियमों का पालन करें।
- ☐ तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- ☐ शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- ☐ हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांध।
- ☐ बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- ☐ हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- ☐ दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें
- ☐ आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- ☐ रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।
- ☐ बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- ☐ बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्त्तव्य

- ☐ दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- ☐ राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- ☐ अफवाहों को फैलने से रोकना।
- ☐ असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- ☐ पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- ☐ जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- ☐ हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

- ☐ जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची
- ☐ डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- ☐ एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना।
- ☐ प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- ☐ दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- ☐ दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- ☐ कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- ☐ संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

- ☐ जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्राण कक्ष स्थापित करना।
- ☐ चिकित्सा व्यवस्था करना।
- ☐ एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- ☐ खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- ☐ पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

- ☐ घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- ☐ वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- ☐ क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद/ पालिका/ पंचायत

- ☐ टैंटों की व्यवस्था।
- ☐ पानी के टैंकरों की व्यवस्था ।
- ☐ अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- ☐ जनरेटरों की व्यवस्था।
- ☐ मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- ☐ दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

अग्नि दुर्घटनाएं कार्ययोजना

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्त्वपूर्ण है । प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। जिले में पेट्रोल पंप, कारखानों, गोदामों, भूमिगत गैस पाइप लाइन, खेत खलिहान, दुकान, सिनेमाघर आदि में कभी भी आग लग सकती है। अतः आग की रोकथाम हेतु आग लगने के प्रकार के अनुसार ही बचाव कार्य प्रारम्भ किया जाता है।

आग लगने के मुख्य कारणः–

(1) शहरो में :–

शहरों में रसोई घर में गैस जलाकर इधर उधर चले जाने से या गैस का पाईप लीक होते रहने से आग लग सकती है।

कभी–कभी पाइप पुराना होने के कारण लीक करने लगता है तथा जैसे ही गैस जलाने के लिए माचिस जलाई जाती है या बिजली का बटन ऑन किया जाता है तो आग लग सकती है।

कच्चे घरों में पुराने तरीके के चूल्हों पर भोजन पकाने के लिए लकड़ी या कोयले की अंगीठी जलाई जाती है, वह भी असावधानी बरतने के कारण आग को बुलावा देती है।

यंत्रो के अधिक गर्म हो जाने अथवा चिंगारियॉ छोडने के कारण।

आजकल शादियों में पंडाल बनाये जाते हैं। वहीं पर भोजन पकाया जाता है, जिसमें गैस की या लकड़ी की भट्टिया जलाई जाती हैं जिससे आग लगने की सम्भावना बनी रहती है। डबवाली अग्निकांड इसका एक उदाहरण है। साथ ही बिजली का शार्ट सर्किट भी इन पंडालो में आग लगने का कारण हो सकता है।

व्यावसायिक और रिहायशी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः होती रहती है क्योकि वहां पर लकड़ी, कपडे, रायायनिक पदार्थ, विद्युत उपकरण, रसोई गैस, मिट्टी का तेल आदि प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि थोड़ी सी असावधानी के कारण आग लगने का कारण बन सकते है।

बिजली फिटिंग में लापरवाही के कारण।

उत्पादन स्थल एवं स्टोर स्थल को अलग करने के लिए दीवन होना।

कपड़े, प्लास्टिक, लकड़ी एवं कागज के उद्योगों में असावधानी के

कारण। पैकिंग सामग्री के असावधानी पूर्वक प्रयोग के कारण।

ज्वलनशील पदार्थो के अधिक मात्रा में एक स्थान पर एकत्रित होने से भी आग लग सकती है। बहुमंजिली इमारतों में यह आग भयावह रूप धारण कर लेती है।

शहरों में भी कई खाली प्लाटों में झाड़–झंकाड़ उगे रहते हैं जहां लापरवाही से बीड़ी फेंक देने से उनमें आग लग सकती है, जो आसपास के मकानों के लिए खतरनाक हो सकती है।

वर्षा ऋतु में कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग सकती है।

कपास की मंडियो में कपास के ढेरों में असावधानीवश आग लग सकती है।

पेट्रोल पम्पों, गैस एजेंसियों एवं छविगृहों में भी थोडी सी असावधानी आग लगने का कारण हो सकती है। जिससे जान माल की अपार हानि हो सकती है।

औद्योगिक इकाईयों में अत्यधिक ज्वलनशील रसायनो का भंडारण अथवा असावधानीपूर्ण प्रयोग भी भयंकर आग का कारण हो सकते हैं।

कई स्थानों पर कई परिवार बिजली के तारों से सीधे ही तार लगाकर बिजली ले लेते हैं। कभी–कभी यह भी आग लगने का कारण हो सकता है।

(2) गांवो व जंगल मे :–

ग्राम्य क्षेत्रों में कच्चे मकान व फूस की झोपड़ियों में बीडी एवं सिगरेट पीकर एवं माचिस आदि जलाकर इधर–उधर फेंक देने से आग लगने की संभावना अधिक रहती है।

बिजली के शॉर्ट सर्किट होने के कारण भी यह संभावना रहती है।

शुष्क प्रदेश होने के कारण पहाड़ों एवं जंगलों में पेडों के आपसी रगड़ से आग लगने की संभावना रहती है एवं जंगलों में आग शीघ्रता से फैल जाती है।

कई लोग बिस्तरों में लेटकर बीड़ी व सिगरेट पीते रहते हैं। यह आग को निमंत्रण देने का एक साधन है।राख में बिना बुझी आग आदि इधर–उधर फेंकने से, जलती हुई चिमनी आदि के बिना ढ़के होने से और कचरे आदि बचे हुए पदार्थो को असावधानीपूर्वक जलाने से भी आग लगने की संभावना रहती है।

आतिशबाजी करने से, सूखी घास में आग लगा देने और एक घर से दूसरे घर में असावधानीपूर्वक आग ले जाने से भी आग लग सकती है

अधिकांश गावों में अभी भी मिट्टी के दीपक या चिमनी अथवा लालटेन जलाकर रोशनी की जाती है जिसकी वजह से थोडी भी हवा चलने पर या थोड़ी भी लापरवाही के कारण कच्चे व फूस के घरो में आग लगने की संभावना रहती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के द्वारा खेतों में आग लगाकर छोड देने से, फसल पक जाने के बाद खलिहानों में बीड़ी सिगरेट माचिस आदि का लापरवाही से प्रयोग करने से और फसलों की कटाई के उपरान्त सूखे डंढलों को लापरवाही से जला देने के कारण भी हवा चलने से चारों ओर आग फैलकर भयावह रूप धारण कर सकती है।

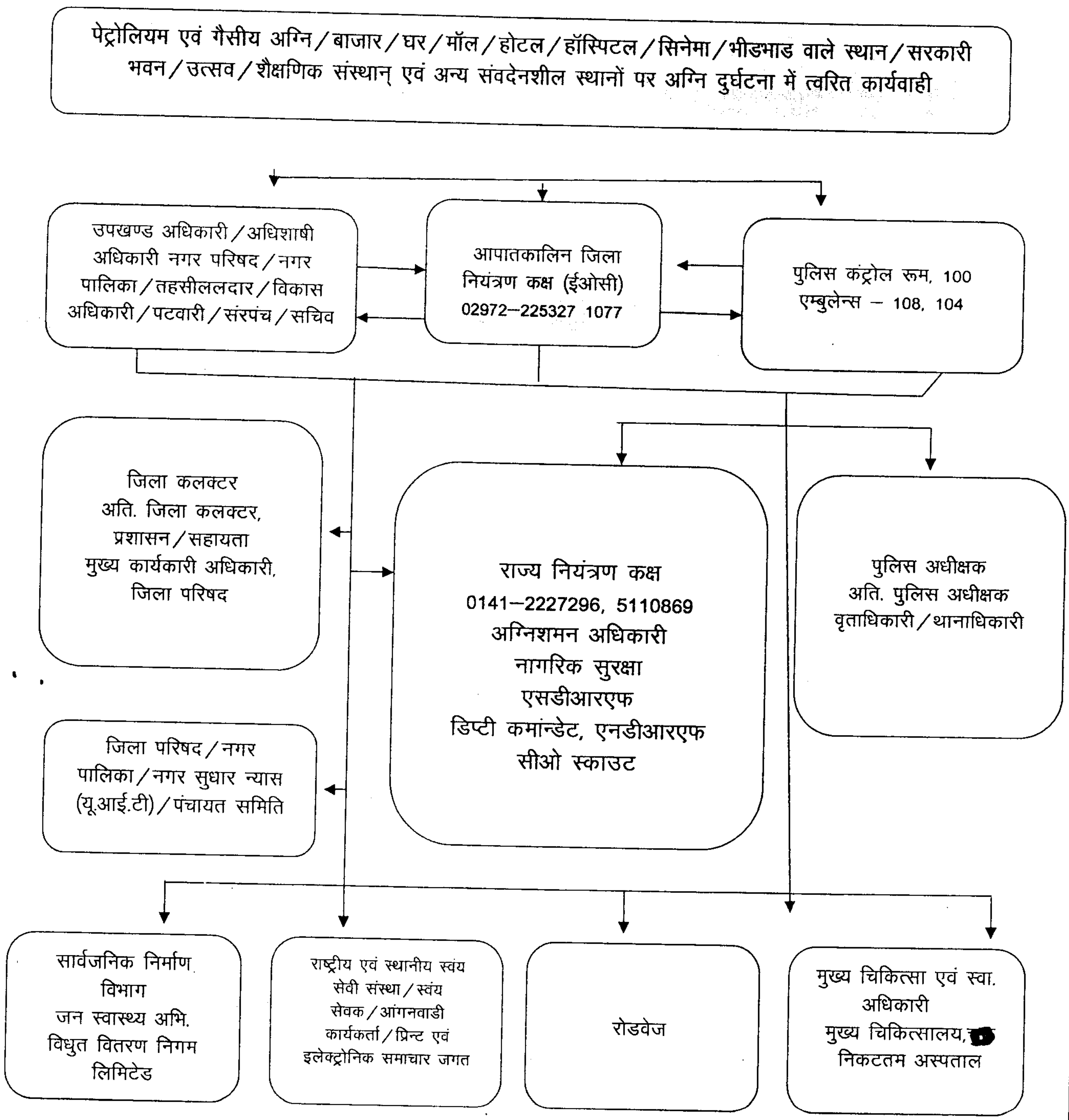
पेट्रोलियम एवं गैसीय अग्नि/बाजार/घर/मॉल/होटल/हॉस्पिटल/सिनेमा/भीड़भाड़ वाले स्थान/सरकारी भवन/उत्सव/शैक्षणिक संस्थान् एवं अन्य संवदेनशील स्थानों पर अग्नि दुर्घटना में त्वरित कार्यवाही
उपखण्ड अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी नगर परिषद/नगर पालिका/तहसीलदार/विकास अधिकारी/पटवारी/संरपंच/सचिव
आपातकालिन जिला नियंत्रण कक्ष (ईओसी) 02972–225327 1077
पुलिस कंट्रोल रूम, 100 एम्बुलेन्स – 108, 104
जिला कलक्टर अति. जिला कलक्टर, प्रशासन/सहायता मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
राज्य नियंत्रण कक्ष 0141–2227296, 5110869 अग्निशमन अधिकारी नागरिक सुरक्षा एसडीआरएफ डिप्टी कमांन्डेट, एनडीआरएफ सीओ स्काउट
पुलिस अधीक्षक अति. पुलिस अधीक्षक वृताधिकारी/थानाधिकारी
जिला परिषद/नगर पालिका/नगर सुधार न्यास (यू.आई.टी)/पंचायत समिति
सार्वजनिक निर्माण विभाग जन स्वास्थ्य अभि. विधुत वितरण निगम लिमिटेड
राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्वंय सेवी संस्था/स्वंय सेवक/आंगनवाडी कार्यकर्ता/प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक समाचार जगत
रोडवेज
मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी मुख्य चिकित्सालय, निकटतम अस्पताल

बम विस्फोट/आतंकवादी घटना

वर्तमान परिस्थति में दुनिया भर में आतंकवाद चरम सीमा पर हैं। आतंकवादियों द्वारा आतंक फैलाने के लिये आम तौर पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया बम विस्फोट हैं। इस क्रिया का मुख्य उदे य लोगों में आतंक फैलाना तथा जान–माल को अधिक से अधिक हानि पहुँचाना हैं। यह विस्फोट अधिकतर ऐसे इलाको में किया जाता हैं जहाँ अधिक लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं। मंदिर, मस्जिद, रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड, हवाई अड्डा, स्कुल, सरकारी संस्थान एवं महत्त्वपूर्ण नेता आतंकवादियों के निशाने पर हैं लेकिन सिरोही जिलें में गत वर्षो में इस प्रकार की घटना घटित नही हुई हैं।

अगर बम फट गया हो तो प्रशासन द्वारा त्वरित की जाने वाली कार्यवाही

1. बम विस्फोट या आतंकवादी घटना के तुरंत बाद जिलें में कार्यरत एंटी टेरेरिस्ट स्कवाड (एटीएस) की बटालियन घटना वाले स्थान को चारों तरफ से घेर लेगें। साथ में बम डिस्पोजल की टीम भी रहती हैं जो क्षेत्र में पाये गये बम को निष्क्रिय करने का काम करती हैं। तथा बम की रासायनिक गुणों का पता लगाती हैं।
2. हताहतों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानें की व्यवस्था करगें।
3. एक बम विस्फोंट के तुरंत बाद उसके आस–पास दूसरा बम विस्फोंट हो सकता हैं। इसलिये अधिक सक्रियता बरतेगें।
4. घटना की सम्पर्ण सूचना तुरंत अपने उच्च अधिकारियों एवं प्रशासन को देगें।
5. मलबे में दबे हताहतों को निकालने के लिये बचाव दल आने तक स्थानीय लोगों की मदद से कार्यवाही करेगें।
6. आतंकवादियों को पकड़ने एवं अन्य जानकारी उपलब्ध कराने में सक्रियता दिखायेगें।
7 खुफिया तंत्र के साथ समन्वय कर बम विस्फोंट एवं अन्य आतंकवादी घटनाओं को रोकने में प्रशासन को सहायता देगें।

Institutional Arrangments for DM

आपदा प्रबंधन हेतु जिलें की संस्थागत व्यवस्थाएं

आपदाओं के प्रबंधन हेतु जिला कलक्टर उत्तरदायी रहेंगे तथा इसके लिये आपदा के समय अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करतें हुए निर्णय लियें जावेंगे। किसी भी विभाग को आपातकालीन सेवा प्रदान करने के दिशा निर्देश दिये जावेंगे। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) जिला आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगे

District Disaster Management Authority

District Disaster Management Authority has been established in sirohi under section 25 (1) of the Disaster Management Act 2005 vide notification F8(4)-DM&R/DM/03/19361,dated Sept. 6, 2007 for all the districts. DDMA is responsible for formulation of Disaster Management plan at the district level and ensure compliance of the NDMA/SDMA/SEC guidelines for prevention, mitigation and response at the district level by the concerned departments. The DDMA is headed by the District Collector to act as the planning, coordinating and implementing body for management of disasters at the district level and take all necessary measures for the purposes of management of disasters in accordance with the guidelines laid down by NDMA and SDMA. It has the responsibility to prepare the Disaster Management Plan for the district.

आपदा प्रबंधन हेतु जिलें की संस्थागत व्यवस्थाएं

- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- जिला नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम)
- उपखण्ड स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति
- ग्राम स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति

स्थायी व्यवस्थाः— प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ 8 (4) आ.प्र. एवं स.आ./आ.प्र./19361 दिनांक 06.09.2007 द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं कर्त्तव्यों का क्रियान्वयन करेगा। जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिसमें निम्मांकित सदस्यों को सम्मिलित किया गया है:

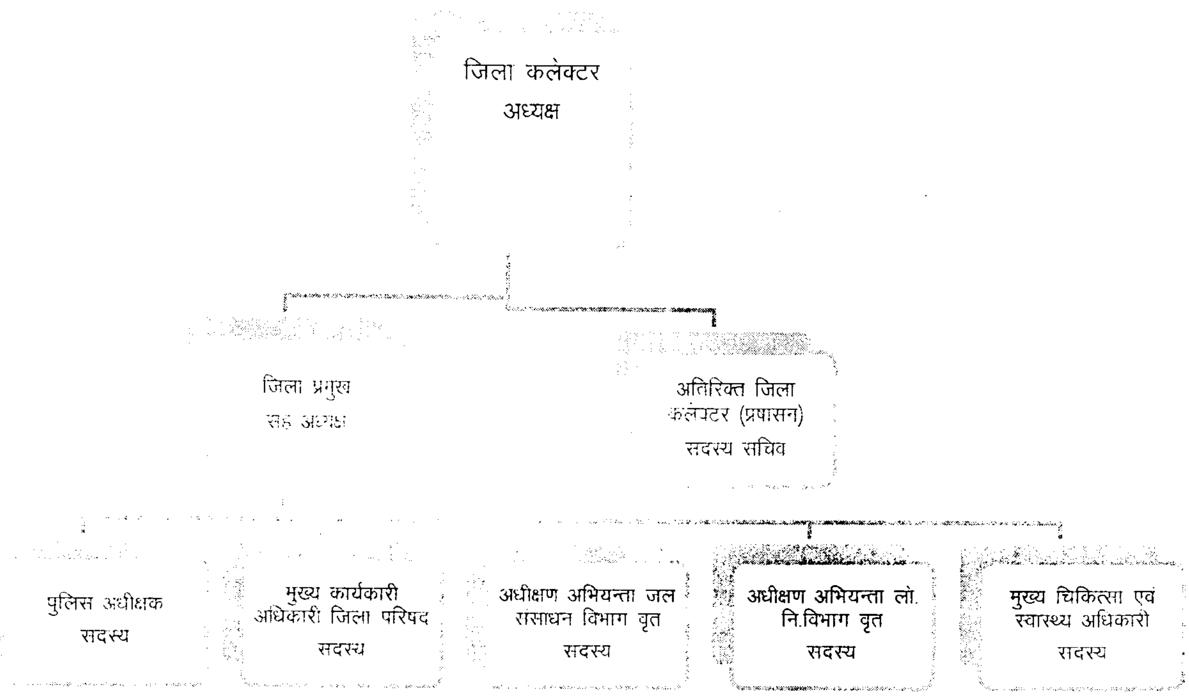

क्र. सं.	पद नाम			
1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष	221187	8764038291
2	जिला प्रमुख	सह अध्यक्ष	222419	8094363650
3	पुलिस अधीक्षक	सदस्य	220718	9414086888
4	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद	सदस्य	221058	9460948989
5	अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन)	सदस्यसचिव	220355	9829441699
6	अधीक्षण अभियन्ता लो.नि.विभाग वृत	सदस्य	222588	9414145764
7	अधीक्षण अभियन्ता जल संसाधन विभाग वृत	सदस्य	222336	
8	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	222259	9414154849

STD CODE- 02972

जिला कलेक्टर संसाधनों एवं दक्ष लोगों की सूची तैयार करवायेगे तथा प्रत्येक विभाग अप्रैल के प्रथम सप्ताह में संसाधन सूची में संशोधन करेगा तथा सूचना सचिव सहायता को भेजेगा।

- उपखण्डों पर नोडल अधिकारियों को नियुक्त करना तथा आदेश देना। इससे आपदा आने पर अधिकारी स्वयं चार्ज सम्भाल लेंगे।
- जिले में आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना जो कि 24 घंटे कार्यरत होगा।

जिला संकट प्रबन्धन समूह :

इसका मुख्य उत्तरदायित्व समय–समय पर खतरनाक उद्योगों से होने वाली दुर्घटना की रोकथाम एवं सुरक्षा जाँच करना, उद्योगों में मॉक ड्रिल करवाना एवं रासायनिक दुर्घटना अधिनियम 1996 के नियम 8 के अन्तर्गत आपातकालीन तैयारी योजना एवं प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करना है।

जिला कार्यकारी समिति (डीइसी)

इसका मुख्य कार्य जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यक्रम को सहयोग करना है। जिला कलक्टर के आदेश से इस समिति का अध्यक्ष अतिरिक्त कलक्टर राजस्व/सहायता होता है।

तहसील आपदा प्रबन्धन समिति

तहसील स्तर पर तहसीलदार समिति का अध्यक्ष होगा, एवं अन्य तहसील एवं विभाग तहसीलदार को आपदा प्रबन्धन में मदद करेंगे। नायब तहसीलदार, गिरदावर, विद्युत विभाग,जल संसाधन विभाग, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पुलिस, कृषि विभाग, पंचायत समिति,ब्लॉक चिकित्साधिकारी, नगरपालिका/नगर परिषद, पशुचिकित्सक, महिला बाल पर्यवेक्षकइत्यादि समिति के सदस्य रहेंगे। तहसील की आपदा प्रबन्धन योजना राष्ट्रीय/राज्य/जिला आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगी। तहसील आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय संसाधन का विकास, दक्षता एवं स्थनीय प्रशासन एवं नागरिक का प्रशिक्षण, वर्ष मेंएक बार योजना का संसोधन एवं नवीनीकरण करना होगा।

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति

ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का अध्यक्ष मनोनीत सरपंच होगा और सम्बन्धित पटवारी, ग्राम सचिव समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, पशुचिकित्सा विभाग, स्थानीय पुलिस विभाग, कृषि विभाग, स्वयं सेवी संस्था, सेना से सेवानिवृत दक्ष व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता समिति के सदस्य होंगे।ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय प्रशिक्षण, दक्षता एवं संसाधन काविकास, आपदा के समय जिलाप्रशासन एवं बाहरी सहायता मिलने के पूर्व तक बचाव एवंसहायता प्रदान करना एवं जान–मान के नुकसान को रोकना है। प्रत्येक ग्राम की अपनी आपदा प्रबन्धन योजना होगी, जो राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तहसील आपदा प्रबन्धन योजना के अनुरूप होगा, जिसे वर्ष में एक बार संसोधित एवं नवीनीकरण करना आवश्यक होगा।

नियंत्रण कक्षः–

- नियंत्रण कक्ष जिला कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित है।
- नियंत्रण कक्ष में कुल छः व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (दो व्यक्ति हर पारी में)
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व दूरभाष नम्बर होंगे।

आपदा के दौरान विभिन्न विभागों की भूमिकाएं

कलक्टर की भूमिका	सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटाने के लिए सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना। आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनवाना। आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इक्टठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना। सभी विभागों में समन्वय करना। समय–समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतू सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।
जिला प्रशासन	आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए सर्वेक्षण दल की स्थापना करना। रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान कराना। नियंत्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित कराना। सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय कराना। प्रभावित लोगो को समुचित सहायता की व्यवस्था करना। प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना। विभिन्न बचाव कार्यों के लिए धन की व्यवस्था कराना। दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार कराना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउंटर बनाना। जरूरत पडने पर सेना से सहायता लेना। सभी तहसील, पंचायत समिति स्तर पर राहत टोलियां नियंत्रण कक्षों की स्थापना व निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करना।
पुलिस विभाग	राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिरोही अनरेस्ट तथा सडक दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोडल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ, भूकम्प, आग या काई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है। शांती व्यवस्था बनायें रखने हेतु पुलिस बल उपलब्ध है। विशेष परिस्थितियों में पुलिस बल की आवश्यकता होने पर एम.बी.सी., डी.जी.पी., रजिर्व बल, आर.ए.सी. एवं पडौसी जिलों से पुलिस बल प्राप्त किया जावेगाा। आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यो में प्रशासन की मदद करना। खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना। लोगों के जान–माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना। बाढ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित

	स्थानों पर स्थानान्तरित करना।
नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड आईड्स तथा एन. सी.सी.	आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे। नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढुंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेंगे। कानूनी व्यवस्था में मदद करना। स्वयं सेवकों को आवश्यक उपकरण सहायता व सामग्री की व्यवस्था करना।
चिकित्सा विभाग	विभाग में नियंत्रण कक्ष की स्थपना करना। आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकितसकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे। अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम व आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना तथा डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके। एम्बुलेंसो की व्यवस्था करना। अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना। जिलें में उपलब्ध मोबाईल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना। ब्लड बैंकों सें आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुचाने के लिए संपर्क करना। मृतकों के निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद्/निगम की मदद लेना।
सिंचाई विभाग	आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यटी पर बुलायेंगे। आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना। विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से संपक्र कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना। आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गो की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके। आवष्यकतानुसार आपदा क्षेत्र में श्रमिक उपलब्ध कराना। राहत सामग्री की उपलब्धता सुनिष्चित करना। सभी गेंग हटों पर दो दो ट्रक रेती आवष्यकतानुसार गेंती, फावडे, तगारियां आदि तैयार रखना, दो दो हजार खाली कटटे तेयार रखवाना ताकि आवष्यकता होने पर उन में रेती भरवाकर राहत स्थल तक भिजवाया जा सके। आपदा के दौरान टूटी सड़कों पुलियाओं पर चेतावनी सूचक बोर्ड लगवाना। आपदा प्रभावित जनता को/राहत षिविरों में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना। टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना। प्रभावित क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों की मरम्मत तथा नये हैण्ड पम्प खोदना।

	पेयजल प्रदुषित होने से रोकना, आवष्यकतानुसार ब्लीचिंग कार्य। जल निकासों की समुचित व्यवस्था करना। पशुओं के पेयजल स्थलों पर पानी के शुद्धिकरण एवं मरम्मत व्यवस्था। जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना। आवष्यकता पडने पर विषेष राहत दस्तों, गोताखोंरों, ड्रिलींग पम्प, क्रेन एवं जनरेटर्स आदि की व्यवस्था। पेयजल के वैकल्पिक स्त्रोतों का चिन्हीकरण। कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था तथा अधीनस्थ कार्यालयों को राहत कार्य हेतु विषेष निर्देष जारी करना।
विद्युत वितरण निगम	प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना । वर्षा से पूर्व सभी विद्युत प्रवाह लाईनों की जांच करना तथा लाईनों को छूते हुए वृक्षों की छंटाई करना। कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था तथा अधीनस्थ कार्यालयों को राहत कार्य हेतु विषेष निर्देष जारी करना। बाढ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में इलेक्ट्रोंक्युषन रोकने हेतु उपाय करना, रेस्टोरेषन। आग लगने पर प्रभावित स्थानों का तुरन्त विद्युत विच्छेद करना। भूकम्प : भूकम्प आने पर विद्युत विच्छेद, राहत षिविरों में प्रकाष व्यवस्था की वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा भूकम्प प्रभावित विद्युत लाइनों का रेस्टोरेषन करना। ओला वृष्टि संपक्र : ओला वृष्टि तथा अति वृष्टि के दौरान प्रभावित लाइनों का रेस्टोरेषन कर विद्युत प्रदाय तंत्र को तुरन्त सुचारु करना आंधी व तुफान के समय विद्युत संचार विच्छेद करना तथा आंधी व तुफान के बाद विद्युत व्यवस्था का रेस्टोरेषन करना। लू–ताप घात के दौरान बिजली की निरन्तर सप्लाई बनाए रखना। कुऑ ढहने की घटना होने पर रेस्टोरेषन कार्य तथा प्रकाष की व्यवस्थता करना।
दूर संचार विभाग	आपदा काल में क्षतिग्रत संचार व्यवस्था को शीघ्र दुरस्त करवाना। महत्वपूर्ण दूरभाष लाइनों को बनाये रखना। प्रभावित स्थलों पर विभागीय राहत दलों की तैनाती सुनिचित करना। आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)। अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना। आवष्यकता होने पर मोबाईल दस्तों का गठन करना। आपदाओं की पूर्व तैयारी रखना । जनता तक सही सूचना संप्रेषण को सुनिष्चित करना। टूटी हुई संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना। कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था तथा अधीनस्थ कार्यालयों को राहत कार्य हेतु विषेष निर्देष जारी करना।
पशुपालन विभाग	मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना। महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिडकाव तथा सफाई की व्यवस्था करना।

	आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निषमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निषमन यन्त्र, अग्निषमन वाहन आदि) वर्षा काल आरम्भ होने से पूर्व बडे नालों की सफाई करवाना, मृत पशुओं को हटवाना तथा शहरी क्षेत्र में पानी एकत्रित होने वाले स्थानों को चिन्हित करना। स्वाभाविक बहाव वाले क्षेत्रों में किये गये अतिक्रमणों को हटवाना। कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था तथा अधीनस्थ कार्यालयों को राहत कार्य हेतु विषेष निर्देष जारी करना।
परिवहन विभाग	आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना। निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से संपर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।
स्वंयसेवी संगठन एवं जन स्वयंभागिता	आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

Prevention and Mitigation
रोकथाम व शमन उपाय

सिरोही जिलें में गठित होने वाली प्रमुख प्राकृतिक व मानवकृत आपदाओं में दावानल (अग्नि), बाढ, सुखा, सडक दुर्घटना, महामारी प्रमुख है। आपदा की रोकथाम के लिए समय रहतें कार्यवाही करकें सम्भावित प्रतिकुल प्रभाव सें बचा जा सकता हैं। मानवकृत आपदाओं की तरह प्राकृतिक आपदाओं को टाला नहीं जा सकता। लेकिन जोखिम भरें क्षेत्रों में विकास कार्यो की उचित योजनाओं के माध्यम से इन खतरों और जोखिम आपदाओं में परिवर्तित होने से रोका जा सकता है। उसी प्रकार शमन एक ऐसा कार्य है, के तहत ढाचागत उपायों के द्वारा जोखिम भरें क्षेत्रों के नुकसान को व्यवस्थित योजनाओं के माध्यम से कम किया जा सकता है।

प्राकृर्तिक एवं मानव–कृत आपदाओ में के कारगर प्रबंधन के लिए प्रयुक्त उपायो में रोकथाम शमन संबंधी पहलू भी शामिल होने चाहिए **जैसे पूर्व चेतावनी प्रणाली।** राज्य में संभावित विभिन्न आपदाओ के प्रबंधन में नोडल डिपार्टमेंट्स को शामिल करना भी जरूरी है
रोकथाम संबंधी कार्यों में आपदाओं से होने वाले जोखिमों के स्तर की पहचान और निर्धारण करना और उससे जान माल तथा पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कार्यवाही करना शामिल है। यह काम कानून बनाकर उन्हें लागू करके किया जा सकता है,

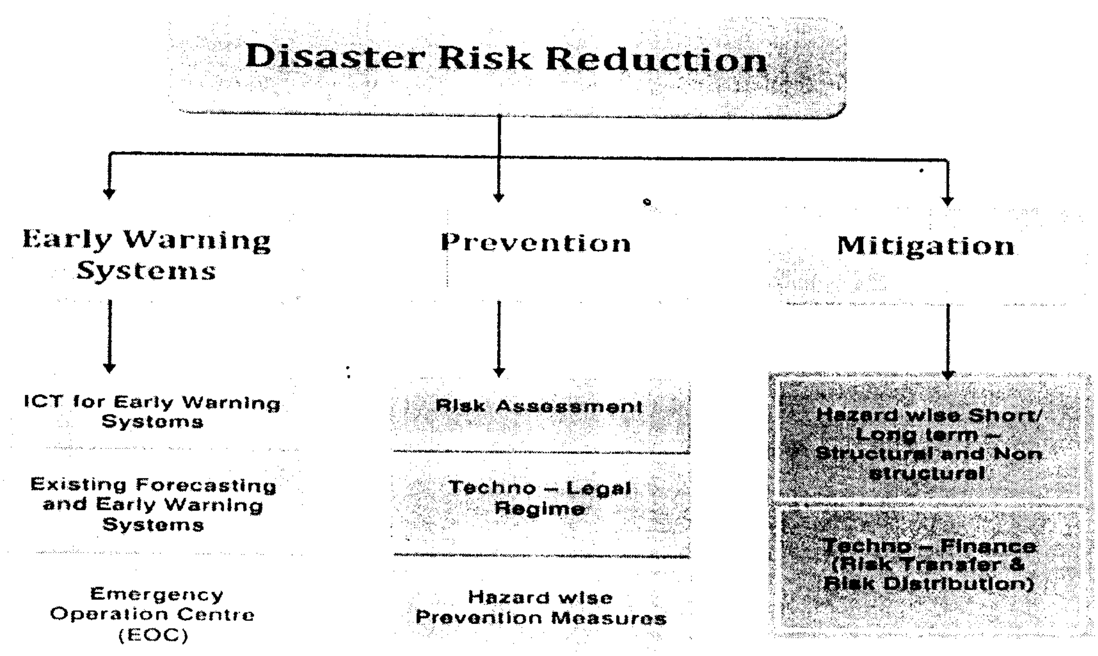

जोखिम मुल्यांकनः–

जोखिम मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे संभावित जोखिम की प्रकृति और उसके विस्तार का निर्धारित किया जाता है। यह कार्य संभावित आपदाओं और वर्तमान सुभेद्यता स्थिति के विश्लेषण के माध्यम से किया जाता है आपदा और सुभेद्यता स्थिति मिलकर जान–माल, रोटी–रोजी और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते है

आपदा सुभेद्यताओं से निपटने के लिए जरूरी है कि सभी विभाग, एजेंसिया, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिकारी सभी आपदा उन्मुखी क्षेत्रो का जोखिम एवं सुभेद्यता मूल्यांकन करायें। हैजर्ड जोनेशन मैपिंग और जीआईएस एवं रिमोट सेसिंग डेटा पर आधारित सुभेद्यता विश्लेषण एक अनिवार्य जांच घटक होना चाहिए। सभी रासायनिक दुर्घटनाओं के प्रति उन्मुख जिलो के लिए एक हैजर्ड एंड कॉन्सिक्वेन्श मैपिंग ऑन जीआईसी प्लेटफार्म्स तैयार किया जाना जाहिए।

तकनीकी एंव कानूनी व्यवस्थाः–

आपदाओ के विपरीत प्रभावो को कम करने के लिए एक अनुकूल तकनीकी एवं कानूनी व्यवस्था का होना जरूरी है। इसके लिए कारगर नीतियों और कानूनो का बनाया जाना तथा राज्य के विभिन्न, स्थानीय निकायों एवं एजेसियो द्वारा उनको लागू किया जाना भी आवश्यक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर संस्थागत एवं समन्वय प्रक्रियाओं का प्रावधान किया गया है।

सुरक्षित निर्माणः–

भूकम्प जैसी आपदांए गलत तरीके से डिजाइन और कमजोर इमारते लोगो की मौत का कारण बनती है। नई इमारतो में सुरक्षित निर्माण और प्रमुख इमारतो में रीट्रोफिटिंग को वरीयता दी जायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य सरकारी कल्याण व विकास योजनाओ के तहत् बनने वाले मकानो के डिजाइन और विशेषताओं को आपदा प्रबंधन की दृष्टि से जांच जायेगा। इंजीनियर्स, आर्किटेक्टस, ठेकेदारो और राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। प्रमुख इमारतों यथा विद्यालय, अस्पताल इत्यादि की भूकम्परोधी बनाया जायेगा एवं उनमें अग्नि सुरक्षा उपकरण लगाये जायेगे।

सभी विभाग एवं एजेंसियो के लिए आपदानुसार रोकथाम के उपाय

आपदा	उपाय
बाढ़	1. बाढ़ की तीव्रता कम करने हेतु भू–संरक्षण, कैचमेट एरिया ट्रीटमेंट, वन संरक्षण और विस्तारीकरण, जल प्रबंधन और चेक डेक के निर्माण कार्यो को बढ़ावा एवं पुलियो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निरंतन कार्य करवाना। 2. बाढ़ग्रस्त क्षेत्रो में समय से चेतावनी देने के लिए स्थानीय नेटवर्क को मजबूत करना। 3. बाढ उन्मुखी क्षेत्रों में जान–माल नुकसान कम करने के लिये संबंधित कानूनो कीद जानकारी प्रदान करना। 4. जल बहाव, नहरों की क्षमता और जल संतुलन संबंधी सर्वे अध्ययन। 5. बाढग्रस्त इलाकों में भवन निर्माण कार्यो में बाढ नियमावली की अनुपालना सुनिश्चित करना। 6. आश्रय स्थलों का निर्माण एवं संम्भाव्य आश्रय स्थल यथा स्कूल, सामुदायिक भवन आदि की चिन्हीकरण। 7. सामुदायिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाना।

दावानल	1. वनों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों का माइक्रो–जोनेशन। 2. पूर्व चेतावनी एवं निगरानी हेतु रिमोट सेसिंग तकनीक का प्रयोग 3. आधारभूत संरचनाओं का अधततीकरण एवं नवीनीकृत आग प्रतिरोधक तकनीकों का प्रयोग 4. समुदाय के लिये आग से निपटने के प्रशिक्षणकार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन 5. महत्वपूर्ण भवनों यथा सरकारी ईमारत, विधालय, अस्पताल, उधोग, गोदाम इत्यादि में निकासी मार्गो की सुनिश्चितता। 6. समय–समय पर मॉक अभ्यासों का आयोजन
सूखा	1. सतही एवं भू–जल का संयुक्त प्रयोग 2. कुओं, तालाबों, बावडीयों आदि का जीर्णोद्वार 3. बरसात संबंधी आंकडे प्राप्ति हेतु रेन गॉज स्टेशनों का विस्तारीकरण 4. फसल एवं पशु बीमा को प्रोत्साहित करना।
महामारी	1. लक्षित टीकाकरण अभियान 2. कुओं, ट्यूबवेलों, तालाबों आदि के जल नियमित उपचार 3. सुरक्षित सेनिटेशन एवं हाइजीन, घरेलु जल उपचार, ओआरएस के प्रयोग, अन्य निरोधक दवाईयों के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार 4. स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों/प्रशिक्षणों का आयोजन
आतंकवाद	1. इलेक्ट्रोनिक एंव प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी 2. सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थानों, संस्थानों व होटलों में सीसीटीवी एवं एक्सेस कंट्रोल रूम की व्यवस्था 3. सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित प्रवेश व्यवस्था का निर्माण, 4. गुप्त सूचना तंत्र का विकास 5. विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत आंकडों के इन्टेलिजेंस विश्लेषण हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोंग 6. प्रमुख प्रतिष्ठानों पर उच्च सुरक्षा प्रबंध 7. मीडिया, संचार व सूचना तकनीक एवं सोशल नेटवर्क का प्रयोंग
सडक दुर्घटनाएं	1. संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्डो, स्पीड ब्रेकर्स, गार्ड स्टोन्स का प्रयोग 2. उच्च जोखिम क्षेत्रों में मार्गो का विस्तरीकरण, समतलीकरण एवं अन्य आवश्यक निर्माण कार्य 3. वाहन पंजीकरण एवं लाइसेंस जारी करनें में मानकों का सख्ती से प्रयोग 4. राजमार्गो पर सुरक्षा नियमों की कडाई से पालना हेतु पेट्रोलिंग आदि का प्रयोग
भूकम्प	1. आम जनता को जागरूक करना तथा मीडिया के माध्यम से करो और मत करो की जानकारी देना 2. रीट्रोफिटिंग उपायों की जानकारी देना 3. समय–समय पर मॉक अभ्यास आयोजित करवाना 4. शहरी/ग्रामीण इलाकों में भवनों के निर्माण कार्य में भूकम्प नियमावली की अनुपालना सुनिश्चित करना
औद्योगिक/रासायनिक	1. औद्योगिक इकाइयों, शिक्षण संस्थाओं, स्वास्थ्य संस्थानों, सार्वजनिक स्थनों एवं सरकारी इमारतों की जोखिम सुरक्षा का विश्लेषण विभिन्न मानकों के प्रयोग से करना 2. खतरनाक औद्योगिक इकाइयों के आस–पास बसावट प्रतिबंधित करना 3. पर्यावरण पर औद्योगिक दुष्प्रभाव कम करनें हेतु आस–पास हरित पट्टी क्षेत्रों के रूप में विकास

विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के आपदानुसार शमन उपाय

आपदा / संबद्ध विभाग	ढांचागत उपाय	गैर–ढांचागत उपाय
बाढ (संबद्ध एजेंसिया: जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग)	1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना। 2. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाउस तथा चलित पम्पों की मरम्मत। 3. सुरक्षित आश्रय घरों का निर्माण। 4. बरसात के अतिरिक्त पानी के निकास के लिए वर्तमान जलनिकासी तंत्र में क्षमतावर्धन एवं नये नालों का निर्माण।	1. बाढ की भविष्यवाणी और चेतावनी तंत्र सुदढीकरण। 2. शहरी और गांवों में बाढ शमन के लिए निर्माण कार्यो की विभिन्न योजनाओं में समन्वय। 3. मानव–जीवन, पशुधन एवं सम्पत्ति बीमा स्कीमों करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करवाना। 4. स्वयंसेवकों एवं तकनीकी व्यक्तियों का क्षमता वर्धन। 5. पशुधन सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम। 6. प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं सहित प्रशिक्षित मेडिकल प्राथमिक कार्यकर्ताओं को तैयार करना।
आग (संबद्ध एजेंसिया: जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, अग्निशमन केन्द्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनटीपीसी अग्निशमन केन्द्र)	1. शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से उंची इमारतों में अग्नि सुरक्षा मानकों की सख्ती से अनुपालना। 2. अग्नि सुरक्षा के लिए जरूरी उपकरणों का आंकलन, खरीद एवं अवास्थिति।	1. समुदाय के लोगो को आग से निपटने / बचाव के तरीकों के बारें में निरंतर प्रशिक्षण। 2. समाय–समय पर विभिन्न स्थानों पर वर्ष भर मॉक अभ्यास आयोजित करवाना एवं उसमें आम भागीदारी। 3. प्रमुख भवनों जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गोदाम, उद्योग, अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अनिवार्य रूप से अग्नि आपदा निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना। 4. अग्नि दुर्घटनाएं रोकने के

		लिए करों और मत करों का विस्तृत प्रचार–प्रसार
भूकम्प (संबंद्ध एजेंसियाः जिला प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्थानीय निकाय, विद्युत विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)	1. शहर, कस्बों एवं गांवों में सभी असुरक्षित इमारतों में रीट्रोफिटिंग 2. सभी इमारतों में भूकम्प सुरक्षा से संबंधित कानूनों का सख्ती से अनुपालन 3. शहर, कस्बों व गांवो में भूकम्परोधी निर्माण	1. प्रमुख भवनों जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, गोदाम, उद्योग, अन्य सार्वजनिक भवनों पर का सुरक्षा अंकेक्षण करवाया जाना। 2. भूकम्प रोधी विशेषज्ञों, रामिस्त्रियों इंजीनियर्स का क्षमतावर्धन। 3. सभी विद्यालयों, अस्पतालों, सार्वजनिक इमारतों में मॉक अभयास 4. रोगी सुरक्षा आधारित विकास एवं निकासी योजनाएं
सूखा (संबंद्ध एजेंसियाः जिला प्रशासन, जल संसाधन विभाग, कृषि, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, स्थानीय निकाय, भू–संरक्षण विभाग, बैंक)	1. रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स तैयार करना जैसे कुएं, तालाब, चेक डेम, फार्म पोण्ड इत्यादि। 2. मृदा एवं नमी संरक्षण उपाय 3. शुष्क कृषि पद्धति को बढावा। 4. वनीकरण। 5. लम्बी अवधि की सिंचाई परियोजनाएं।	3. वाटरशेड एवं वाटर हारवेस्टिंग तकनीक के बारें में प्रशिक्षण 4. फसलों बीमा को प्रोत्साहन

Prepardness Measures तैयारी उपाय

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की घारा 2(m) तैयारी को निम्न रूप से परिभाषित करती है:–

"(m)" Preparedness" means the state of neediness to deal with a threatnening disastar situation or disastar and the effects there of;" Preparedness is a key link between the pre-impact and post impact phases of a disaster event.

आपदा प्रबंधन नीति और प्रशासनिक फैसलों और परिचालन गतिविधियों, जो सभी स्तरों पर आपदा के विभिन्न चरणों (पूर्व आपदा, आपदा घटना और बाद आपदा) से संबंधित स्तरों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है

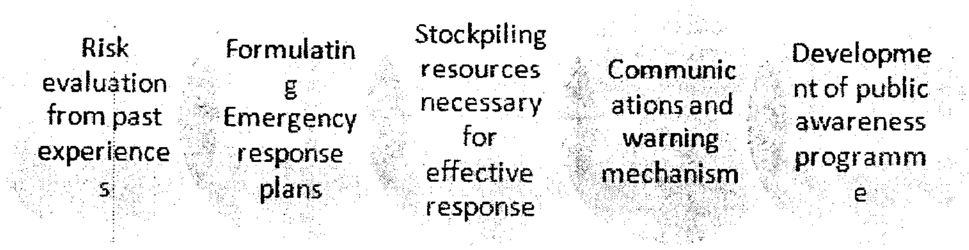

आपदा प्रबंधन तैयारी के लिए विभिन्न स्तर पर कार्ययोजना

क्या करना है	अधिकारी व सदस्य	कार्य कैसे किया जाये
आंकलन एवं विश्लेषण	जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, आयुक्त नगर परिषद्, अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, अतिरिक्त कलक्टर सहायता/प्रशासन, नगर नियोजक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशुपालन अधिकारी, सा.नि.वि. जल संसाधन, पी.एच.डी., विद्युत, अग्निशामन, सिविल डिफेन्स, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, एनजीओं, वार्ड/पंचायत प्रतिनिधी	पूर्व की घटित विभिन्न आपदाओं का आंकलन, विश्लेषण एवं चर्चा। नुकसान एवं सेवेरिटी के प्रभाव का रिकोर्ड। पूर्व चेतावनी का विश्लेषण एवं प्रकृति। आपदा के वक्त बचाव एवं राहत का आंकलन एवं समन्वय।
परिस्थिति का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व	संभावित नुकसान, प्रभावित क्षेत्र का भौगोलिक एवं टॉपोग्राफी का नक्शा बनाना। डेमोग्राफी/मानव के रहन–सहन का विस्तृत विवरण तैयार करना। हेविटेशन पेटर्न का विस्तृत

	जनप्रतिनिधी	नक्शा तैयार करना। प्राकृतिक सम्पदा को नक्शे पर दर्शाना। सभी तरह के जिविकोपार्जन एवं सम्पति की सूची तैयार करना। सुरक्षित संसाधन/संभावित नुकसान, सडक, रेल, हवाई अड्डे की सूची तैयार कर नक्शे पर दर्शाना।
खतरे का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण °के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरिय आपदा प्रबंधन :कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	पूर्व अनुभव के आधार एवं रिकोर्ड के अनुसार आने वाले खतरों को चिन्हीकरण करना, अधिक संवदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण जहां मानव जीवन को खतरा, जिवीकोपार्जन एवं सम्पति के नुकसान की संभावना है।
संवेदनशीलता का विश्लेषण	जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य, डीडीएमसी सदस्य व विभिन्न विभागों के अध्यक्ष व कार्मिक, उपखण्ड स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, ग्राम पंचायत स्तरिय आपदा प्रबंधन कमेटी के सदस्य, एनजीओं व जनप्रतिनिधी	संवेदनशील जगहों एवं कारकों की अलग–अलग सूचन तैयार कर नक्शा तैयार

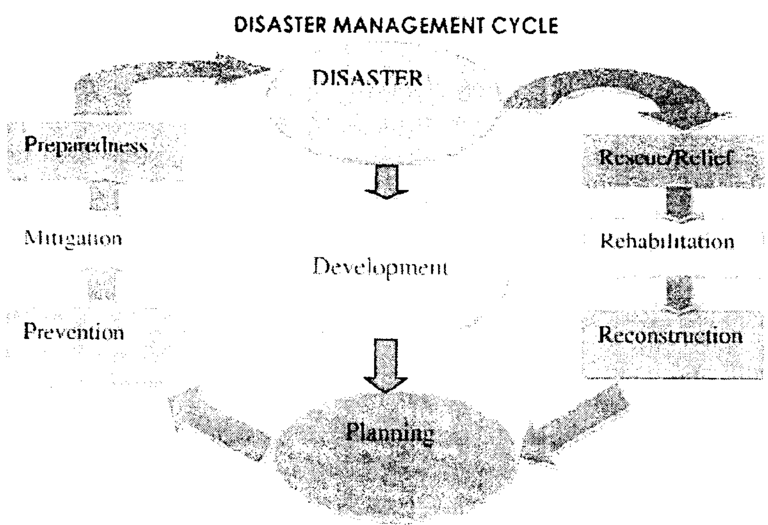

संसाधनः— अतः आपदा प्रबन्धन की तैयारी के लिये सबसे पहले संसाधनों की आवश्यकता होगी। जिला आपदा प्रबन्धन के पास आपदा प्रबन्धन के लिऐ अपेक्षित सरकारी–गैर सरकारी संसाधनो को चिन्हित कर सूचीबद्व किया गया है। इसमें मानव संसाधन सामग्री संम्मिलित हैं जिसकी सूचि इंन्वेंट्री के रूप में इस प्लान के संलग्न है।

- यहॉ ये सुनिश्चित किया जायेगा कि आपदा की स्थिति में संसाधनो को OPTIMUM (नितान्त आवश्यक) प्रयोग हो तथा आपदा समाप्ति पर तुरन्त सामान्य स्थिति (DECOMISSIONING) बहाल की जायें।
- संसाधनों की सूची को प्क्त्छ्ध्क्त्छ पर न्च्क।ज्म किया जायेगा।
- यहॉ यह भी उल्लेखित किया जाना उचित है कि यह सूची निरन्तर और सतत् रूप से न्च्क।ज्म की जाती रहेगी।

समुदाय आधारित आपदा प्रबन्धन

- आपदा जैसी परिस्थिति का सामना कोई एक संस्था/व्यक्ति नही कर सकता। जिला आपदा प्रबन्धन अभिकरण का प्रयास होगा कि आपदा प्रबन्धन को प्रत्येक अवस्था में समुदाय का सहयोग लिया जाये। उसे आपदा प्रबन्धन की तैयारियों के सम्बन्ध में विश्वास में लिया जाये तथा उनसे अपेक्षित सहयोग व सहायता के लिये प्रेरित किया जावे। इस क्रम में सिरोही में कार्यरत लायन्स क्लव/लियो क्लव अध्यक्ष भारतीय रेडफ्रास की जिला ईकाई, निजी चिकित्सालय) है।
- राजकीय महाविघालय सिरोही की छैध्छब्ब ईकाई जिनके अधिकारी निम्न है को आपदा प्रबन्धन से जोडा जाना प्रस्तावित है।

आपदा किट तैयार करना

जनसमुदाय को संभावित आपदा के समय तद्नुरूप किट तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा । इस आपदा किट में निम्न सामग्री होगी– **पर्याप्त जल, सूखा भोजन फ्लेश लाइट (बैटरी सहित) रेडियो(चेतावनी सुनने हेतु) प्राथमिक उपचार किट आवश्यक दवाईयॉं (बुखार, दस्त, पेट दर्द) मल्टीपरपज टूलबॉक्स सैनीटेशन आइटम व्यक्तिगत दस्तावेजों की प्रति (पहचान पत्र की प्रति) घर, कार इत्यादि की चाबियॉ मोबाइल फोन विथ एक्स्ट्रा बैट्री अतिरिक्त धन परिवार के फोन नम्बर कम्बल क्षेत्र का मानचित्र प्लास्टिक शीट्स** उक्त आपदा किट में आपदा अनुसार या क्षेत्र विशेष अनुसार सामग्री कम या अधिक हो सकती है।

Capacity Building क्षमता वर्धन

किसी भी आपदा प्रबंधन की तैयारी के लिए क्षमता building वर्धन एक प्रमुख अवयव है जिसमें जानकारी प्रसार प्रशिक्षण, शिक्षा, शोध एवं विकास के माध्यम से मानव संसाधनों के सर्वागीण विकास पर बल दिया जाता है। आपदा प्रबंधन में बहुत सारे कार्य आते है, जिसमें प्रमुख रूप से योजना, रोजमर्रा के प्रबंधन क्रियाकलाप, बहुआपदा ऑपरेशन क्राईसिस मेनेजमेन्ट, समुत्थान और विशेष कार्य शामिल है। इसलिए संस्थागत विशेषज्ञता और क्षमता बढानें के लिए उपयुक्त संस्थागत प्रशिक्षणएवं ओरिएन्टेंशन प्रोग्राम की जरूरत होती है।

क्षमता निर्माण से तात्पर्य है व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की क्षमताओं में अभिवृद्धि से है जो निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु विशिष्ट उपायों द्वारा संभव की जाती है। आपदा प्रबंधन मे क्षमता संवर्धन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपदा के समय किए जानें वाले रांहत व बचाव कार्यो में प्रशिक्षित व्यक्ति अप्रशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में अधिक दक्षता व क्षमता से प्रतिक्रिया कर सकता है।

विभिन्न स्तर पर क्षमता संवर्धन व प्रयास

- **प्रशिक्षण**
- **मोकड्रील्स एवं अनुरूपण अभ्यास**
- **पाठ्यक्रम में आपदा का समावेश**
- **जनजागृति , समुदाय आधारित कार्यक्रम**
- **उपकरणों की सुगमता**

किसी भी आपदा प्रबन्धन की तैयारी के लिये क्षमता वर्धन एक महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपदा प्रबन्धन को क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण का संस्थागत रूप प्रदान करता हैं।

क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण का संस्थागत रूप		
राष्ट्रीय स्तरीय	राज्य स्तरीय	जिला स्तरीय
• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकारण • विश्व बैंक, नाबार्ड, यूनिसेफ • राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण तकनीकी संस्थान व वि. वि., एनसीसी, एनएसएस, स्काउट • एनजीओं	• एडमिसट्रेटीव ट्रेनिंग • स्टेट सेन्टर फॉर डिजास्टर मेनेजमेंट • राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थान व वि.वि. • एनजीओं, एनसीसी, स्काउट	• जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारीयों का कोर ग्रुप तैयार करेगा। कोर ग्रुप जिलें स्तर पर आपदा क्षमता संवर्धन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर प्रशिक्षण प्रदान करवायेंगे। • जिला स्तर पर कोर ग्रुप का पेनल का गठन • जिला स्तरीय तकनीकी व प्रबंधन संस्थान • महाविधालय विधालय

		• ईकाई एनसीसी व स्काउट

प्रशिक्षण जरूरतों का मूल्यांकनः–

आपदा प्रबंधन विभागों जैसे पुलिस विभाग, अग्निशमन, स्वास्थ्य, राजस्व, वन आदि के कुछ कर्मचारियों का चयन करेगी, जिससें प्रशिक्षकों का एक कोर ग्रुप किया जा सके।

जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तर पर प्रशिक्षणः–

मास्टर ट्रेनर्स जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विभिन्न सहभागियों को प्रशिक्षित करेंगे। जिन सहभागियों को प्रशिक्षित किया जायेगा उनमें एनजीओंज, समाजसेवक, युवा संगठन, नेशनल कैडेट कौर्प्स, नेशनल सर्विस स्कीम, स्काउट गाईडस, नेहरू युवा केन्द्र संगठन, स्कूल अध्यापक व छात्र शामिल होगें।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेन्ट ऑथोरिटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप त्वरीत अनुक्रिया तंत्र कों सटीक बनाने के लिए प्रशिक्षण देना।

अन्य विशेष प्रशिक्षणः–

- जन प्रतिनिधियों का एक दिवसीय ओरियन्टेशन प्रोग्राम।
- पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्साकर्मी, एम्बुलेंस चालकों, दवा विक्रेताओं को महामारी, रासायनिक आपदाओं, एन्टीडोज, मॉस कैजुअल्टी, मानसीक उपचार जैसे विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा कर प्रशिक्षित किया जावेगा।
- मीडियाकर्मियों को आपदा प्रबंधन में मीडिया की भूमिका विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित किया जायेगा।
- विधालयों–महाविधालयों मं विधार्थियों कों बचाव, जोखिम, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, स्वयं बचाव, आदि पर समय–समय पर प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा।

मॉक ड्रिल्स एवं अनुरूपण अभ्यास

प्रशिक्षण के साथ–साथ, यह भी महत्वपूर्ण है कि मॉक ड्रिल्स और अनुरूपण के माध्यम से आपदा तैयारी के स्तर का परिक्षण किया जाए।

सभी विधालयों, अस्पतालों, प्रमुख सरकारी इमारतों, सिनेमाघरों, स्पोर्ट्स क्लबों/मैदानों और बडे कॉरपोरेट हाउसेज में आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों द्वारा मॉक ड्रिल्स किये जायेंगें जिससे यह पता चल सके कि सुरक्षा प्रणाली में क्या खामियां है। इसका एक उद्वेश्य इन संस्थानों का क्षमतावर्धन भी है, जिससे जान–माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। इन मॉक ड्रिल्स में पुलिस कर्मी, अग्निशमन कर्मचारी, चिकित्सा दल, पैरामैडिक्स, बचाव दल और विशेष रिसपॉन्स दल (बाम्ब डिसपोजल स्कवैड, एटीएस) भाग लेंगें। सभी सार्वजनिक स्थल, परिवहन केन्द्र, औद्योगिक इकाइयां और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान मॉक ड्रिल्स और अनुरूप अभ्यास के लिए उचित स्थान है। निजी कंपनिया एवं औद्योगिक इकाइयां भी अपनी अपनी ऑन–साइट एवं ऑफ–साइट आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करेंगीं।

जिला पुलिस विभाग, होम गार्ड्स, सिविल डिफेंस कर्मी, अग्निशसन कर्मचारी, एसआरटीज, आदि समय–समय पर विभिन्न आपदाओं के लिए मॉक ड्रिल्स आयोजित करेंगें इस काम में **जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और स्तर पर रिलीफ कमिश्नर सहयोंग देगें**। अग्निकाण्ड और भूकम्प के लिए साल में कम से कम दो बार मॉक ड्रिल्स आयोजित करना अनिवार्य है।

मॉकड्रिल हेतु उत्तरदायी संस्थायें व संसाधन–

- मॉकड्रिल एक अनुरूपण अभ्यास है जो आपदा के पूर्व तैयारी का जायजा लेने तथा कमियों को समझने में सहायक होता है। DDMP में वर्णित कार्य योजना अनुरूप सभी प्रशासनिक स्तरों व विभागों को तैयार करने हेतु जिला स्तर पर मॉकड्रिल हेतु जिला आपदा प्रबंधन प्रभारी नोडल अधिकारी होगा जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार मॉकड्रिल हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी करेगा। क्षेत्रवार तथा प्रशासनिक इकाई वार बार–बार आने वाली तथा सम्भावित प्राकृतिक आपदाओं हेतु गहन मॉकड्रिल अभ्यास में लाया जावेगा। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तथा औद्योगिक इकाइयों के मॉकड्रिल हेतु उनके कार्यकारी अधिकारी नोडल अधिकारी होगें।

जिले में आपदा मॉकड्रिल समय सारणी

	समय											
संभवित आपदा	ज्नवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	ज़ुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टू.	नवम्बर	दिस.
बाढ़												
सूखा												
भूकम्प												
अग्नि												
सडक दुर्घटना												
औद्योगिक / रासायनिक दुर्घटना												

आपदा संबंधित उपकरणों की उपलब्धता

आपदा आने की शुरूआती अवस्था में लोंगों की जानें बचाने में कारगार रिसपॉन्स प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा, रिसपॉन्डर्स का ज्ञान एवं निपुणता और तलाश एवं बचाव ऑपरेशंस की प्रभावशीलता जरूरी उपकरणों का उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन जरूरी उपकरणों की पहचान करनके, रिसपॉन्डर्स द्वारा इन उपकरणों का सही समय पर प्रयोग रिसपॉन्स ऑपरेशंस के लिए बडा निर्णायक होता है। इसलिए इन उपकरणों का पूर्ण संग्रहण और इन तक आसान पहुचं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

ये उपकरण फर्स्ड रिसपॉन्ड्सर्स जैसे अग्नि शमन सेवा, पुलिस, सिविल, डिफेंस स्टेट डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स, चिकित्सा दल आदि को उनकी जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराये जाने चाहिए।

किसी भी आपदा प्रबंधन की आपतकालीन हैंडलिंग विशेष मशीनरी और उपकरणों पर निर्भर करती है। इसलिए आपदा प्रबंधन के सफल अभियान आधुनिक उपकरणों और आपदा सलि पर उनकी उपलब्धता पर निर्भर करते है। इन उपकरणों के संचालन एवं रख–रखाव के लिए एक विशेष प्रशिक्षण डिजाइन किया जायेगा और इन उपकरणों के संचालकों को उनका प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क्र. स.	सामग्री का नाम	संख्या
1	लाइफ जैकेट	5
2	जीवन रक्षक ट्यूब	5
3	बेल्चा	5
4	फावड़े	12
5	स्ट्रेचर	2
6	रस्सा	120
7	रस्सा	60
8	गमबूट	0
9	ड्रेगन लाइट जिला कार्यालय पर	5
10	ड्रेगन लाइट सभी एस.डी.ओ./तहसीलदारों के पास	8
11	इमरजेंसी लाइट	8
12	सभी तहसीलदारों के पास	5
13	स्काउट एवं गाइड आपदा राहत केन्द्र र,पेच	36

Response and Relife Measures
राहत एवं प्रत्याक्रमण

अभिप्राय व आवश्यकता –

सभी आपदाऐं, आकस्मिक घटनाएं एवं संकटकालीन घटनाएं अत्यंत गतिशील होती है और अफरातफरी फैलाने वाली होती है। जिससें शारीरिक, मानसीक तथा भावात्मक विकास भी पैदा हो जाते है। राहत एवं प्रत्याक्रमण वे उपाय है जो आपदा से पूर्व तथा आपदाकाल व आपदोत्तर दशा में जनजीवन की सुरक्षा करना, उनकी मुसीबतों को दूर करना, सम्पति को सुरक्षित बचाना, आपदा द्वारा किए गए नुकसान से निपटना शामिल है।

राहत व प्रत्याक्रमण सामान्यतः अत्यन्त विघटकारी तथा विषम परिस्थितियों में चलाये जाते है। अक्सर उनका क्रियान्यवन बहुत कठिन होता है। इन अभियानों के लिए बडी तादाद में मानव संसाधन, उपकरणों व अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है, अतः ठोस योजना, प्रबन्धन, प्रशिक्षण और प्रत्याक्रमण टीम के बिना इन अभियानों को आशातीत सफलता नहीं मिल पाती। आपदा के प्रत्युत्तर में कार्यवाही जितनी तत्परता व कुशलता से की जाये नुकसान व जोखिम को उतना ही कम किया जा सकता है।

Response and Relife Measure

Before Disasterer er	चेतावनी, आवश्यक तैयारी
During Disaster	प्रथम प्रत्याक्रमण–राहत
After Disaster	राहत– समुत्थान

समयानुसार राहत एवं प्रत्याक्रमण एक गतिक प्रक्रिया है। इसमें आपदा पूर्व, आपदा के दौरान तथा आपदोपरांत किये जाने वाले कार्य सम्मिलित है। अतः इस कार्य को तीन चरणों में सम्पादित किया जाता है।

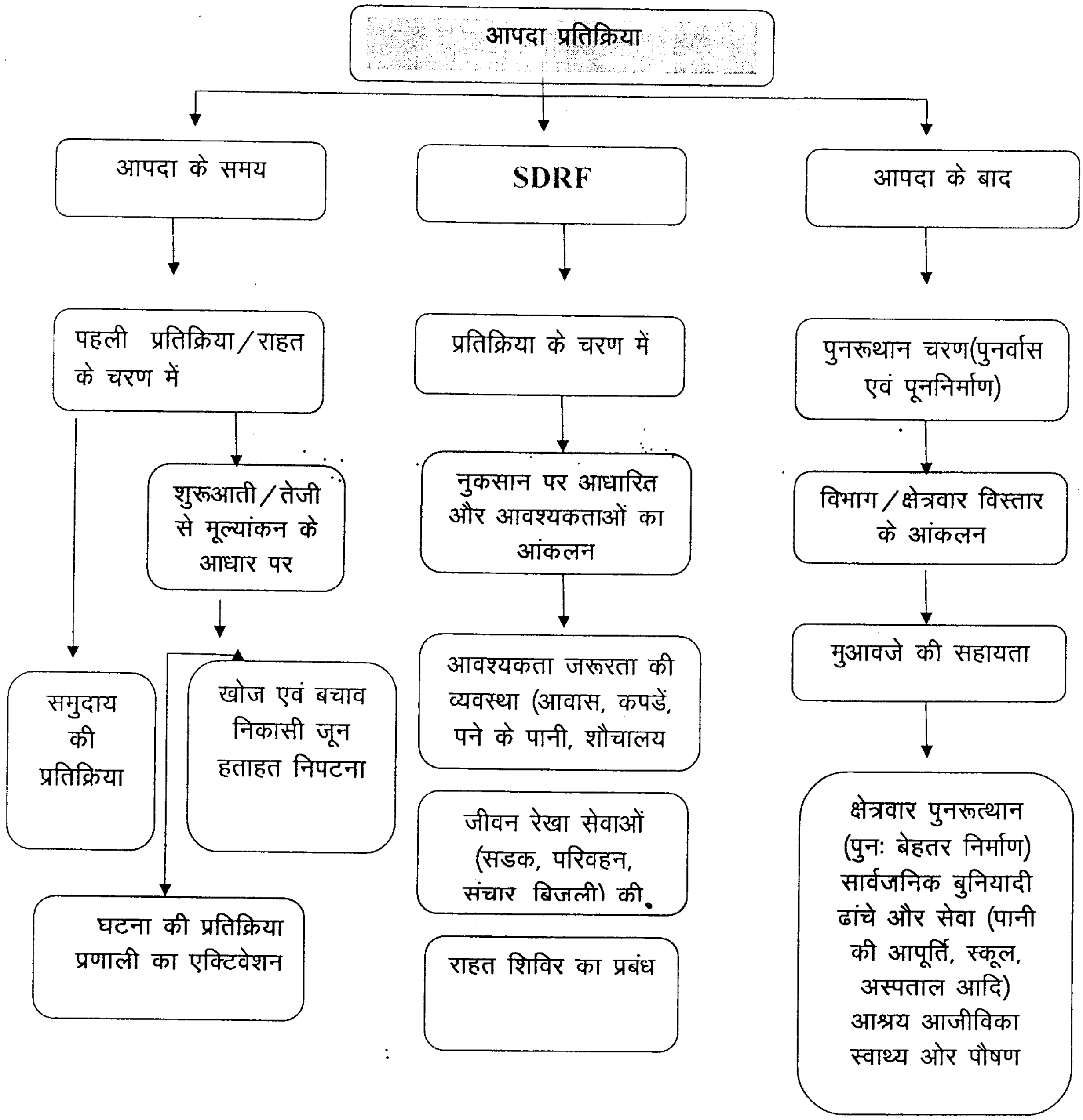
आपदा प्रतिक्रिया
आपदा के समय
SDRF
आपदा के बाद
पहली प्रतिक्रिया/राहत के चरण में
प्रतिक्रिया के चरण में
पुनरूथान चरण(पुनर्वास एवं पूननिर्माण)
शुरूआती/तेजी से मूल्यांकन के आधार पर
नुकसान पर आधारित और आवश्यकताओं का आंकलन
विभाग/क्षेत्रवार विस्तार के आंकलन
समुदाय की प्रतिक्रिया
खोज एवं बचाव निकासी जून हताहत निपटना
आवश्यकता जरूरता की व्यवस्था (आवास, कपडें, पने के पानी, शौचालय
मुआवजे की सहायता
जीवन रेखा सेवाओं (सडक, परिवहन, संचार बिजली) की
घटना की प्रतिक्रिया प्रणाली का एक्टिवेशन
राहत शिविर का प्रबंध
क्षेत्रवार पुनरूत्थान (पुनः बेहतर निर्माण) सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और सेवा (पानी की आपूर्ति, स्कूल, अस्पताल आदि) आश्रय आजीविका स्वाथ्य ओर पौषण

समुदाय पहले प्रतिक्रयक (रिसपॉन्डर्स)

किसी भी भाग में जब कोई आपदा आती हैं समुदाय को ही सबसे ज्यादा तकलीफ उठानी पडती हैं – चाहे वो बाढ या भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदा हो या मानवकृत आपदा जैसे आतंकवादी आक्रमण । इससे जानमाल और मानसिक एवं सामाजिक सदमें के रूप में भारी नुकसान होता हैं।इस तरह की परिस्थितियों में, निश्चित रूप से समुदाय पहले प्रतिक्रियक के रूप में सामने आते हैं और बाहर से राहत पहुँचने तक अपने लोगों की हर संभव सहायता करते हैं। इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिये समुदायों के मजबूतीकरण के लिये समुदाय/आधारित उपाय आपदा पूर्व प्रक्रिया के रूप में लागू करना जरूरी हैं जैसे आपदा जोखिम कम करने के लिये आपदा तैयारी। सामान्यतः आपदा स्थल तक बाहर से सहायता पहुँचने में 12 से 48 घंटे लग जाते हैं। इसलिये इस संकट की घडी में समुदाय द्वारा जल्द कार्यवाही करना अति महत्वपूर्ण हैं जिससे जानमाल का कम से कम नुकसान हो और समुत्थान प्रक्रिया तेजी से शुरू की जा सके।

किसी आपदा या संकट स्थिति के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्स एवं राहत उपायों के लिये प्रमुख कारक संसाधन संस्थानों की मुस्तैदी

आपदा या संकट स्थिति के लिये अल्पकालिक सूचना पर भी रिस्पॉन्ड करने के लिये संसाधन संस्थानों (सरकारी एवं गैर–सरकारी) की मुस्तैदी रिस्पॉन्स ऑपरेशंस के लिये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। कभी–कभी सिर्फ एक संस्थान की असफलता पूरे रिस्पॉन्स अभियान को गडबडा सकती हैं। हालांकि आपदा प्रबंधन ऑथोरिटीज को एक बात ध्यान में रखनी चाहिये कि संसाधन संस्थानों के रिस्पॉन्स लीड–टाईम की भिन्नता में समन्वय करने की कोशिश करें।

रिस्पॉन्स सिस्टम का सक्रियकरण

तुरंत एवं कारगर रिस्पॉन्स के लिये एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता हैं जो आपदा प्रबंधन अधिकारियों ओर संसाधन संस्थानों का सक्रियकरण कर सके। इसलिये राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार एक इंसिडेन्ट रिस्पॉन्स सिस्टम का गठन किया जायेगा।

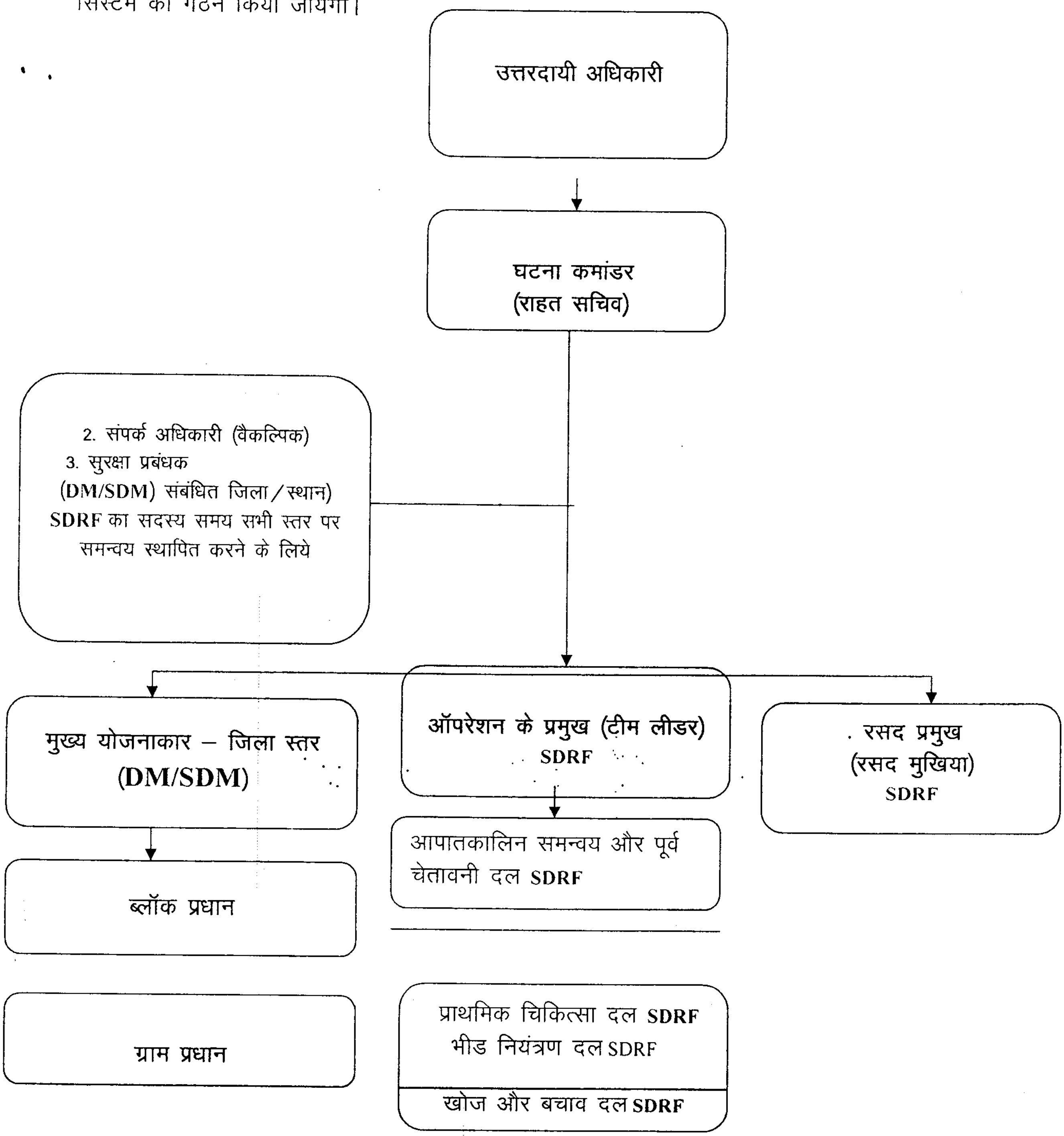

Reconstruction, Rehabilitation and Recovery Measures
समुत्थान, पुनर्निमाण, पुनर्वास

अभिप्राय व महत्व

समुत्थान पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास आपदा प्रबंधन का अंतिम चरण है। इस अवस्था में आपदा के पश्चात पुनः एक बेहतर, सरक्षित एवं ज्यादा समुत्थानशील समाज का निर्माण किया जाता है। अतः यह एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें विपत्ति को अवसरों में बदला जा सकता है।

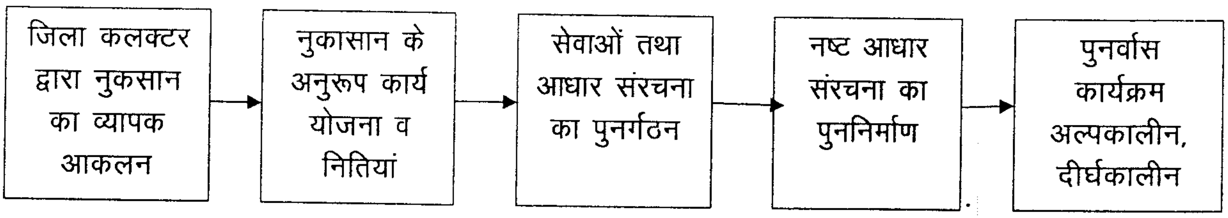

Damage Evaluation नुकसान का आंकलन

जिला कलक्टर आपदा के दौरान सार्वजनिक, निजी सम्पति एवं फसल, अन्य महत्वपूर्ण ढांचों के अन्य नुकसान का आंकलन किया जाएगा। DDMP संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिक बचाव एवं पुनर्निवास का कार्य करेंगे। द्वारा आपदा से हुए नुकसान का आंकलन किया जाएगा। जिनकें निर्देश पर स्थानीय स्तर की एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी आंकलन के पश्चात रिपोर्ट कार्यालय में सौपेगी।

जिला कलक्टर यह निर्धारित करेगा की आपदा का स्तर क्या है। ताकि किस स्तर पर पुनर्रुत्थान कार्यक्रमों की आवश्यकता है। नुकसान के आंकलन के पश्चात यह निर्धारित किया जाएगा कि किस स्तर पर प्रयासों की आवश्यकता है।

SI. No.	Damage	Evaluating Authority
1.	Human lives & injuries	CM&HO
2.	Loss of animals and livestock	animal husbandry & veterinary services
3.	Damages to dwelling houses, public Buildings	Tahsildar & CEE, PWD.
4.	Roads, Dams, bridges, culverts, drainages	CEE-PWD, ZP & irrigation dept.
5.	Crops	Land & Agriculture department
6.	Power lines	Electricity department
7.	Communication lines	BSNL
8.	Railway lines	Railway engg. Dept.

नीति निर्धारण

समुत्थान, पुनर्निमाण व पुनर्वास हेतु निर्धारित नीति

पुनर्गठन

जिला कलक्टर द्वारा नुकसान का आंकलन कर नोडल विभाग तथा उत्तरदायी अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश प्रदान किए जाएगें। पुनर्स्थापना व पुनर्गठन के कार्यो हेतु अलग–अलग विभाग नोडल विभाग का कार्य करेंगे।

पुनर्गठन अथवा पुनर्स्थापना के अन्तर्गत आवश्यक सेवाऐं सम्मिलित की जाती है। इसके अन्तर्गत आने वाली सेवाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है।

बुनियादी सेवाएं	अत्यावश्यक सेवाएं
बुनियादी सेवाओं में जलपुर्ति, सेनिटेंशन वेस्ट मैनेजमेंट, सीवरेज आदि आती है। इन सेवओं की शीघ्रताशीघ्र व्यवस्था की जानी चाहिए। सम्बन्धित विभागों तथा विशेष एजेन्सीयों व एनजीओं की सहायता से यह कार्य संभव है।	ये सेवाएं जीवन रेखा कही जाती है। जैसे विद्युत, संचार, परिवहन आदि। इन सेवाओं की पुनर्स्थापना अतिआवश्यक है, क्याकिं राहत तथा प्रत्याक्रमण इन्ही सुविधाओं पर निर्भर है।

पुनर्निर्माण तथा मरम्मत कार्य

आपदा के समय आवसीय भवनों तथा प्रशासनिक अन्य भवनों को नुकसान तथा आपदा के पश्चात मरम्मत कार्य व पुनर्निर्माण कार्य की आवश्यकता होती है। आवसीय ढांचों के पुनर्निर्माण मे शहरी व ग्रामीण इलाकों में के सभी प्रभावित घरों की डिजाईन योजना व पुनर्निर्माण शामिल हैं। इस कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग नोडल विभाग होगा। इस विभाग के द्वारा दो प्रकार से उपाय किए जा सकते है। लोगो की आवास हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं उचित स्थान का निर्धारण कर आवस निर्मित कर लोगों को देना। आर्थिक सहायता आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त आवासीय अथवा व्यवसायिक ढांचों के पुनर्निर्माण हेतु दी जाएगी। पूर्ण रूप से नष्ट आवासीय तथा व्यवसायिक संरचना का पुनर्निर्माण आवश्यक है। इस हेतु जिलें में अनुभवी अभियंताओं की सहायता ली जावेगी। इस आधार पर प्रभावित लोगों हेतु अस्थाई तथा स्थाई अधिवासों का निर्माण किया जायेगा। लोगों की भवन पुनर्निर्माण में स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए मकानों की डिजाईन आदि में सहभागी प्रक्रिया अपनाई जा सकती ह

पुनर्गठन हेतु मैट्रिक्स –

कार्य	विभाग	गतिविधी	समय सीमा	लगत	कोष का स्त्रोत
विद्युत	विद्युत वि. नि. लि.	बहाली	आपदा से 72 घंटे	नुकसान के टांकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
स्चार	दूरसंचार विभाग	बहाली	आपदा से 72 घंटे	नुकसान के टांकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
परिवहन	पथ परिवहन निगम,रेल विभाग	बहाली	आपदा से 72 घंटे	नुकसान के टांकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
चिकित्सा	चिकित्सा विभाग	बहाली	आपदा के तुरंत बाद	नुकसान के टांकलन पर	राज्य व जिला प्रशासन
पेयजल	जन स्वा. अभि., विभाग	बहाली	आपदा के तुरंत बाद	नुकसान के टांकलन पर	राज्य व जिला

पुनर्वास

S.N.		Department	Activity	Time period	Cost	Source of fund
1.	लोगो के आर्थिक सहायता	जिला प्रशासन	उपलब्धता	आपदा से 7 दिन	नूकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व जिला आपदा निधि
2.	जीवन बीमा जेसे विकल्प	बेमा कंपनियाँ	उपलब्धता	आपदा से 1 माह	जरूरतमद लोगो के अनुसार	राज्य व जिला आपदा निधि
3.	मानसिक चिकित्सा की उपलब्धता	चिकित्सा विभाग	हीलिग कैम्प	आपदा से 6 माह	नूकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व थ्जला आपदा निधि
4.	प्रभावित इलाको मेंं समस्या समाधान	जिला प्रशासन	शिविर आयोजन	आपदा से 1 वर्ष	नूकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व थ्जला आपदा निधि
5.	शिविर लोगो की जीवन गुणवता सुधार में सतत् प्रयास	जिला प्रशासन	विभिन्न कल्याणकारी योजनाऐं	आपदा से 2 से 3 वर्ष	नूकसान का आंकलन व आवश्यकता	राज्य व थ्जला आपदा निधि

Financial Resource for Implementation of DDMP

जिला आपदा प्रबंधन योजना हेतु वित्तीय संसाधन

आपदा राहत व प्रत्याक्रमण हेतु आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में व्यापक बन्दोबस्त किये गये है। केन्द्र व राज्य स्तर पर राहत कोष स्थापित किये गये है। जो आपदा के समय वित्तीय सहायता प्रदान करते है। जिला स्तर पर आपदा योजना कोष तथा आपदा राहत कोष की स्थापना की जायेगी जिसका प्रयोग जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। अन्य संसाधनों से भी वित्तीय सहायता प्राप्त करने के प्रयास किये जायेगें।

किसी भी कार्य को करने हेतु वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न सुविधाऐं उपलब्ध करवाने तथा उपकरणों की खरीद वित्तीय सुविधा पर आधारित है। आपदा के दौरान तथा आपदा के पश्चात आदि सभी कार्यो के लिए वित्त की आवश्यकता पडती है। आवश्यक सेवाओं की बहाली, पुनर्निर्माण, पुनर्वास जैसे कार्य वित्तीय संसाधनों के बिना संभव नही है। अतः आपदा प्रबंधन व राहत प्रत्याक्रमण हेतु वित्तीय साधन आवश्यक है।

आपदा प्रबंधन हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्धता मुख्य रूप से त्रिस्तरीय (केन्द्र,राज्य,जिला) होती है। व्यावसायिक संस्थान, जनसहयोग से भी वित्तीय व्यवस्था की जाती है।

एनसीसीएफ (एनडीआरएफ) के तहत दावेदारी की प्रकिया –

राज्य स्तर पर सभी जिला कलक्टर की रिर्पोट्स संकलित की जाती है और नुकसान के विवरण के आकडें केन्द्र सरकार के पास विचारार्थ भेज दिया जात है। एनसीसीएफ (एनडीआरएफ) से सहायता संबंधी निवेदन आते है तब केन्द्र सरकारी द्वारा नियुक्त एक टीम उनका मूल्यांकन करती है और इसके बाद एक उच्च–स्तरी कमेटी द्वारा वे जारी किये जाते है।

क्षमता–वर्धन के लिए फंड –

आपदा प्रबन्धन में प्रशासकीय तंत्र के क्षमता वर्धन के लिए केन्द्र सरकार ने पांच साल तक (वितीय वर्ष 2011–12 से 2014–15) 6 करोड सालान देने का प्रावधान किया है। यह धन अध्याय 6 में वर्णित कार्यक्रमों और रेडियो, प्रिंट, इलेक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा जन जागृति प्रशिक्षण और आईईसी मैटेरियल के उत्पादन एवं प्रसार पर खर्च किया जायेगा।

आपदा तैयारी कार्यकमों के लिए फंड –

बारहवे वित आयोग ने आपदा तैयारी एवं शमन कार्यो को राज्य योजना का हिस्सा बनाने की सिफारिश की थी। अभी तक आपदा तैयारी कार्यकमों के लिए फंड का कोई प्रावधान नही हैं।

वितीय प्रावधान –

प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार से बजट (राशि) उपलब्ध कराया जाता है। आपदा राहत हेतु केन्द्र द्वारा निम्न दो मदों में राशि प्रदान की जाती है।

आपदा राहत निधि –

आपदा राहत निधि के तहत सहायता राशि केन्द्र सरकार द्वारा 21.12.2010 से राज्यों को वित आयोग की सिफारिशों के तहत अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।

जिसमें केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होता है। केन्द्र द्वारा आपदा राहत निधि के उपयोग हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हुए।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि –

आपदा से निपटना राज्य सरकार/ आपदा राहत निधि की क्षमता से बाहर ब्लोने की स्थिति में केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की जाती है। इस हेतु राज्य द्वारा एक विस्तृत ज्ञापन केन्द्र सरकार को भेजा जाता है। जिस पर एक केन्द्रीय दल द्वारा स्थिति का आंकलन किया जाता हैं। केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से केन्द्र सरकार द्वारा राशि स्वीकृत की जाती है।

राज्य आपदा मोचन निधि –

राज्य में 13 वें वित आयोग की सिफारिश एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम की पालना में राज्य आपदा मोचन निधि का सृजन किया गया है। राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र का 75 प्रतिशत एवं राज्य का 25 प्रतिशत अंशदान होगा। इस निधि का उपयोग आपदाओं के समय निर्धारित मापदण्डानुसार तात्कालिक सहायता आदि के लिए ही किया जायेगा।

राजस्थान राहत कोष–

ऐसी प्राकृतिक आपदाएँ जिनमें राज्य आपदा मोचन निधि से व्यय किया जाना सम्भव नही है, सहायता देय नही है। उनमें राहत प्रदान करने /व्यय करने के लिए राजस्थान राहत कोष स्थापित किया गया है। इसमें प्रतिवर्ष 25 लाख रूपये का बजट प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त इसमें जनसहयोग से भी राशि प्राप्त की जा सकेगी। राज्य स्तर पर इसके संचालन/प्रबन्धन हेतु राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है।

वित्त व्यवस्था के अन्य प्रावधान –

आपदा प्रबन्धन के नये दृष्टिकोण (निर्वारण, प्रशमन, तैयारी, अनुक्रिया एवं पुनर्वास) के अनुरूप वितीय प्रावधान किये जाने आवश्यक है। इसके लिए राज्य आपदा मोचन निधि की तरह ही राज्य आपदा उपशमन निधि का सृजन

जिले के वित्तीय संसाधन–

यद्यपि आपदा के समय व्यापक वितीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो जिला स्तर पर सामान्यतया संभव नही हो पाती है। फिर भी तात्कालिक सहायता हेतु जिला स्तर पर वितीय व्यवस्था आवश्यक है। इस हेतु जिला स्तर पर दो प्रकार का राहत कोष बनाया जायेगा।

आपदा आयोजना कोष–

यह कोष आपदा से पूर्व तैयारियों हेतु निर्मित किया जायेगा। इसका प्रयोग आपदा प्रबन्धन योजना तैयारी, प्रशिक्षण, क्षमता संर्वधन, उपकरणों की खरीद आदि के उपयोग में आयेगा। यह कोष केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त सहायता तथा जिला स्तर पर जुटाये गये वितीय संसाधनों से निर्मित होगा।

जिला स्तर पर अन्य वित्तीय स्त्रोत–

जिला स्तर पर अन्य वितीय स्त्रोत निम्न है जिनसे आपदा के समय वितीय सहायता ली जा सकती है :–

व्यावसायिक संसाधन	जिले के प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान, शोरूम, हॉटल्स टादि
औद्योगिक संस्थान	हिन्दुस्तान जिंक, बिरला सीमेन्ट, लाफार्ज, जे.के. सीमेन्ट आदि
एन.जी.ओ.	विभिन्न समाज सेवी संस्था एवं दानदाता
जन सहयोग	विभिन्न समाज सेवी
सरकारी कर्मचारी	एक दिन का वेतन दान करेगे।

वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की शक्तियॉ–

जिला स्तर पर वित्तीय संसाधनों के प्रयोग की समस्त शक्तियॉ जिला कलक्टर में निहित होंगी। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक विशेषाधिकार प्राप्त कमेटी का गठन किया जायेगा। जिसमें सदस्य–जिला आपदा प्रभारी, विभिन्न अग्रणी विभागों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, तथा लेखाकार हो सकेगें। यह कमेटी समय समय पर यह निश्चित करेगी की कब– कहॉ– कितने धन की आवश्यकता है। आपदा के पश्चात व्यय किये गये धन की ऑडिट समय सयम पर जिला प्रशासन द्वारा करवायी जायेगी। जिसमें राहत कोष का दुरूपयोग रोका जा सके।

DDMP क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र

DDMP के क्रियान्वय हेतु एक समन्वित जिला तंत्र की आवश्यकता होगी जो आपदा आने पर DDMP का अनुसरण करते हुये तुरंत सक्रिय होगें। केन्द्र व राज्य स्तर पर राष्ट्रीय/राज्य आपदा प्राधिकरण मिलकर एक समन्वय तंत्र बनाते हैं जो जिला प्रशासन आपदा के दौरान इसी तंत्र से समन्वय बनाते हुये कार्य करना होता हैं। जिलें में जिला कलक्टर, डीडीएमपी का मुखिया होगा तथा जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण प्रभारी राहत सचिव होगा। इनके निर्देश पर जिला कार्यकारी समिति क्रियाशील होगी जो इंसीडेन्ट रेस्पॉन्स ग्रुप को निर्देश देगी। सभी विभाग एवं नोडल अधिकारी कार्यभार संभाल लेगें स्थानीय स्तर पर संबंधित विभाग व प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी उत्तरदायी होगें। जो जिला स्तर पर समन्वय बनाये रखेगें।

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के पश्चात आपदा प्रबन्धन हेतु राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा विकसित हुआ हैं। ये सभी संस्थाएँ परस्पर समन्वय से आपदा प्रबन्धन हेतु कार्य करने के लिये उत्तरदायी हैं। सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय आपदाओं के कारगर प्रबन्धन एवं शमन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक मजबुत आधार का काम करेगा। राज्य व जिला स्तर पर समन्वय हेतु सभी सरकारी विभागों तथा अन्य सहभागियों की सक्रिय भागीदारी की जरूरत है। किसी आपदा की स्थिति में सबसे पहले आपातकालिन सेवाओं द्वारा रेस्पॉन्स किया जाता हैं। इसमें स्थानीय लोग भी सहयोग देते हैं। इस काम में अन्य कई एजेन्सियों तथा संस्थाए भी शामिल होती हैं।
आपात सेवाएँ सदैव तैयार अवस्था में रहती हैं, जिसमें वह तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके तथा प्रशासन अन्य सेवाओं को अलर्ट कर सके। विभिन्न आपात सेवाएँ अनिवार्य होती हैं किन्तु आपदाओं से अधिक बेहतर तरीके से निपटने हेतु कुछ अन्य लोक उपयोगी सेवाएँ भी सहयोग करती हैं। ये सब संस्थाएँ अलग हैं इनकी ऑथोरिटी अलग हैं, पदानुक्रम अलग–अलग हैं। अगर बचाव तथा समुत्थान कार्यो को बेहतर अंजाम देने हैं तो इन सभी विभागों तथा एजेन्सियों को बेहतर तालमेल के साथ कार्य करना आवश्यक हैं। साथ ही एक दूसरे की क्षमताओं, सीमाओं व दायित्वों को समझना आवश्यक हैं।

जिला स्तर पर समन्वय :–

आपदा के समय फर्स्ट रिस्पोन्डर स्थानीस प्रशासन व लोग होते हैं। उनके तुरंत बाद जिलें को उत्तरदायी लेना होता हैं। जिलें में डीडीएमपी सर्वोच्च स्तर पर होती हैं। इसके बाद जिलें का उत्तरदायी अधिकारी, जिला कलक्टर होगा। इसके पश्चात् जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुखिया सचिव या कमाण्डर का कार्य करेगा। इसके साथ जिला सूचना अधिकारी एसडीएम अथवा तहसीलदार (संबंधित स्थान के) कार्य करेगें। एसडीआरएफ का एक अधिकारी समन्वय हेतु होगा।
इसके पश्चात दल तीनो भागों में बंट जायेगा।

❖ सभी उत्तरदायी विभागों के मुखिया

- ❖ एसडीआरएफ के लीडर
- ❖ रसद प्रमुख।

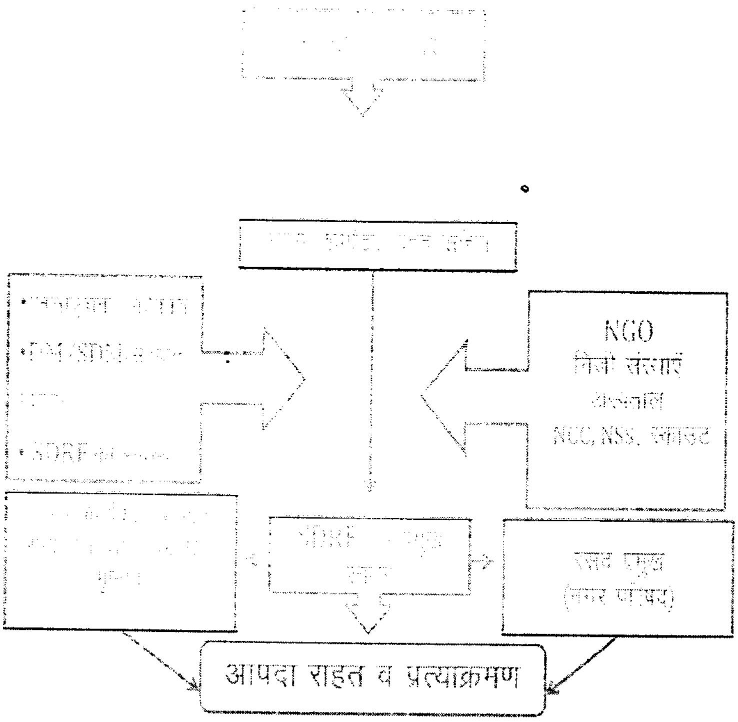

स्थानीय व निजी, समाजसेवी संस्थाएँ स्तर पर समन्वय

किसी भी आपदा के समय स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय व्यक्ति प्राथमिक अनुक्रिया कारक होते हैं। आपदा के प्रथम प्रभाव भी उन्हें ही झेलना पडता हैं अतः स्थानीय प्रशासन, तहसील, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत प्रमुख अनुक्रिया के कारक होते हैं। जिला कलक्टर स्थानीय प्रशासन को सुदृढ बनाया जायेगा तथा आपदा संभावित गांवो में प्रशिक्षण व आवश्यक उपकरण देकर उन्हें प्रत्याक्रमण हेतु सशक्त बनाया जायेगा। इस हेतु ग्राम स्तर पर त्वरित आपदा अनुक्रिया दल का गठन किया जायेगा।

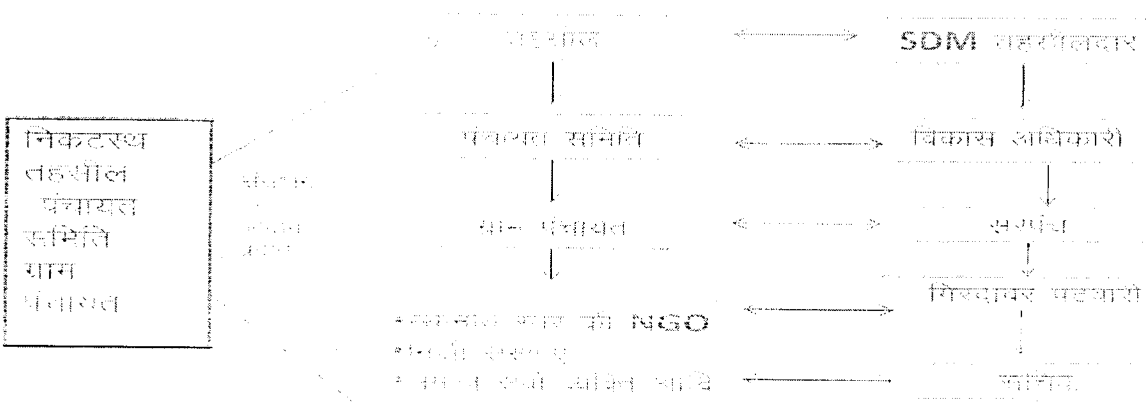

Procedure and Methodology for Monitoring, Evaluation, Updation and Maintenance of DDMP

जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा एवं आधुनिकीकरण

जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने की जिम्मेदारी जिला कलक्टर के नेतृत्व में संचालित जिला आपदा प्रबंधन समिति की है। जिसमें निरन्तर अधतन किया जाना चाहिए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 23 5 के अनुसार डीडीएमपी की सालाना रिव्यू और आधुनिकरण किया जाना चाहिए।

जिलें की आपदा प्रबंधन योजना एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा। आपदा प्रबंधन प्लान में सभी आपदा प्रबंधन योजनाओं का सार और संकलन फल है। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों जैसे गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कृषि,स्वास्थ्य पेयजल एवं सेनिटेशन शहरी विकास, पीडब्लूडी और जिला परिषद् विभाग आदि शामिल है। साथ ही अग्निशमन सेवा और नगरपरिषद् एवं पालिकाएं इसका अभिन्न अंग होती है।

ये योजनाएं तभी कारगर साबित होगी जब आपातकालीन स्थिति में विशेष रूप से निचले स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाए समन्वय के साथ कार्य करें। प्रत्येक अधतन एवं आधुनिकरण के बाद दस्तावेज की प्रतिलिपी जिलें में आपदा प्रबंधन से संबंधित सभी विभागों एवं सहभागियों को दी जानी चाहिए जिससे समय समय पर सभी सहभागी(विभागों) एजेन्सियां अपने स्तर समुचित तैयारी कर सकें।

योजना समीक्षा एवं आधुनिकरण समय सारणी

आपदा प्रबंधन गतिशील होता है। जमीनी हकीकतें बदलती आबादी और उसकी विशिष्टताएं आपदओं से निपटनें की सरकारी प्रणाली डीडीएमपी की कार्यसाध्कता का निर्धारण करती है। डीडीएमपी की समय–समय पर समीक्षा व आधुनिकरण किया जाएगा।

तैयारी का सर्वोच्च स्तर प्राप्त करनें और किसी भी विस्तार एवं तीव्रता वाली आपदा का मुकाबला करनें लिए प्रर्याप्त एवं तकनीकी द्वारा संचालित **hazard, risk and vunbarility, assasments** किया जाएगा। एचवीआरए के परिणामों के आधार पर डीडीएमपी की समीक्षा की जाएगी और व्यापक संसोधन किया जाएगा।डीडीएमपी की समीक्षा और सुधारीकरण प्रत्येक वर्ष किया जाएगा। लेकिन योजना में व्यापक संसोधन पंचवर्षीय किया जाएगा।जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी व कर्मचारी के बार–बार तबादलें में ध्यान रखतें हुए योजना में अपडेट किया जाएगा। उसी प्रकार डीडीएमपी उपकरणों की सूची कों तिमाही अपडेट किया जाएगा।

आधुनिकरण समय सारणी अपडेट्स				
कार्य अपडेट	अपडेट्स की अवधि			
	माह	तिमाही से	वर्ष मे	पांच वर्ष में
अधिकारी कर्मचारी के नाम व दूरभाष				
एच.आर.वी.मूल्यांकन व आपदोत्तर				
उपकरणों व उपलब्ध संसाधनो				
प्रसंगिकअनुभागों कीसमीक्षाव आधुनिकीकरण				
DDMP में व्यापक संशोधन				

Standard Operating Procedures (SOPs) and Checklist

मानक संचालन कार्यप्रणाली तथा चैकलिस्ट

आपदा की स्थिति

आपदाएँ प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है और वर्षों से किए गये विकास कार्यों के प्रयासों को निरर्थक करके देश को कई दशक पीछे धकेल देती है। समुत्थान के सन्दर्भ में आपदाओं का प्रभाव विकासशील देशों पर ज्यादा पड़ता है। इसलिए आपदा पूर्व प्रयासों जैसे तैयारी, क्षमतावर्धन, बेहतर जानकारी, प्रभावी जबाब प्रणाली, प्रबन्धन व पुनर्निर्माण से जान व माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

आपदा एक मानव या प्रकृति प्रेरित घटना है। जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जानमाल की क्षति होती है। इसके साथ एक निश्चित क्षेत्र में आजीविका व सम्पति की हानि होती है, जिसके परिणामस्वरूप लोगों को दुःख व कष्ट झेलने पड़ते है। आपदा वह अवस्था है जिसमें स्थानीय प्रशासन असहज महसूस करता है तथा स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती है। कोई भी संकट आपदा की श्रेणी में निम्न दशाओं में गिना जायेगा–

1. जन–धन की व्यापक हानि।
2. सम्पति व आजीविका की व्यापक क्षति।
3. स्थानीय प्रशासन के नियंत्रण से बाहर की दशा।
4. प्रारम्भिक सूचनाओं के आधार पर जिले के लिए विषम परिस्थिति।

आपदा के विरूद्ध राहत व प्रत्याक्रमण आपदा के स्तर से निर्धारित किया जायेगा, जो स्थानीय प्रशासन से मिली प्रारंभिक सूचनाओं पर आधारित है।

आपदा की चेतावनी पर संक्रिया–

जिले में आपदा चेतावनी की प्राप्ति का दायित्व सूचना व जनसम्पर्क विभाग के पास होगा। सूचना/चेतावनी स्थानीय स्तर से प्राप्त होगी तथा निर्धारित स्त्रोतों से होकर जिला स्तर पर पहुंचेगी। चेतावनी का प्रसारण आकाशवाणी, जिला केबल, प्रिंट मीडिया तथा माईक आदि के माध्यम से किया जावेगा। जिला कलक्टर के निर्देश पर आपदा प्रबधंन प्राधिकरण तथा प्रभारी तुरंत सक्रीय होगें, जो जिला कार्यकारी समिति तथा इंसिडेंट रिस्पॉस सिस्टम को सक्रीय करेगें। इस प्रकार यह सक्रियता पदानुक्रमानुसार क्रियान्वित होगी।

वित्तीय व तकनीकी सहायता प्राप्त करना–

इंसिडेंट रिस्पॉस हेतु वित्तीय संसाधन जिला प्रशासन की आपदा निधि तथा जिला आपदा प्रबधंन प्राधिकरण से प्राप्त होंगे। जन सहयोग तथा दानदाता तात्कालिक वित्तीय सहायता का प्रमुख स्त्रोत हो सकेंगे। आपदा

राहत हेतु विभिन्न प्रकार के तकनीकी साधनों की आवश्यकता होती है। इस हेतु दायित्व सम्बन्धित विभाग का होगा--

उपकरण	विभाग/स्रोत
1. जे.सी.बी.	नगरपरिषद/निजी संस्थान
2. बिल्डिंग कटर	नगरपरिषद/निजी संस्थान
3. ट्रेक्टर ट्रॉली	नगर परिषद/निजी संस्थान
4. फावड़े, गेंती, तगारी आदि	नगर परिषद/प्रशासन
5. नावें/गोताखोर	सिंचाई विभाग/ नगर परिषद
6. मेडिकल वाहन	चिकित्सा विभाग/प्रशासन
7. चिकित्सा उपकरण	चिकित्सा विभाग
8. अस्थाई ‍	प्रशासन/नगर परिषद
9. अस्थाई विद्युत व्यवस्था	नगर परिषद्/प्रशासन
10. अस्थाई संचार व्यवस्था	पुलिस/दूरसंचार विभाग
11. परिवहन	प्रशासन/ परिवहन विभाग

तालिका-- त्वरित आवश्यक उपकरण व सम्बन्धित विभाग

विभिन्न विभागों की भूमिका व उत्तरदायित्व--

आपदा राहत व प्रत्यक्रमण में सभी विभागों की समन्वित भूमिका होती है। सभी इकाइयों व विभागों में सम्मिलित रूप से कार्य करने पर ही योजना की उचित क्रियान्विति संभव है। उक्त सूची के अनुसार सिरोही के विभिन्न विभाग नोडल विभाग के रूप में सम्बन्धित आपदा का कार्यभार ग्रहण करेगें।

क्र. सं.	नोडल विभाग	सबंधित आपदा
1	आपदा प्रबंधन व सहायता	ओलावृष्टि, पाला, शीतलहर, चक्रवात
2	ऊर्जा	विद्युत वितरण, उत्पादन, प्रसारण, सबंधी आपदा
3	गृह	आतंकी हमला, पुलिस बल, कानून व्यवस्था, भगदड़, सड़क, रेल दुर्घटना
4	जल संसाधन	बाढ़, बांध टूटना, बादल फटना
5	सार्वजनिक निर्माणविभाग	भूकम्प, बड़े भवनों का गिरना
6	खान	खान में आग, पानी भरना, डूबना
7	उद्योग	रासायनिक व औद्योगिक आपदा, तेल फैलना
8	नगरीय विकास	शहरी अग्नि
9	राजस्व	गॉव की आग, नाव पलटना
10	वन	वनों में आग
11	चिकित्सा व स्वास्थ्य	जैविक तथा महामारी, खराब खाने से बीमारी
12	कृषि	फसलों का खराबा, टिड्डी दल का हमला
13	पशुपालन	पशु महामारी

विभिन्न आपदाएँ व जिला नोडल विभाग

सूचनाओं के आदान–प्रदान का प्रबंधन–

आपदा के समय विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान महत्वपूर्ण होता है। आपदा स्थल से विभिन्न प्रकार की आवश्यकताऐं तथा

आपातकालीन सूचनाओं का जिला स्तर तथा जिला स्तर से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का सम्प्रेषण आपदा स्थल तक होता रहता है। इन सभी के लिए उचित संचार प्रणाली आवश्यकता है। जिला सूचना व जनसम्पर्क विभाग इस हेतु नोडल विभाग तथा जिला सूचन व जनसम्पर्क अधिकारी इस हेतु नोडल अधिकारी होगा।

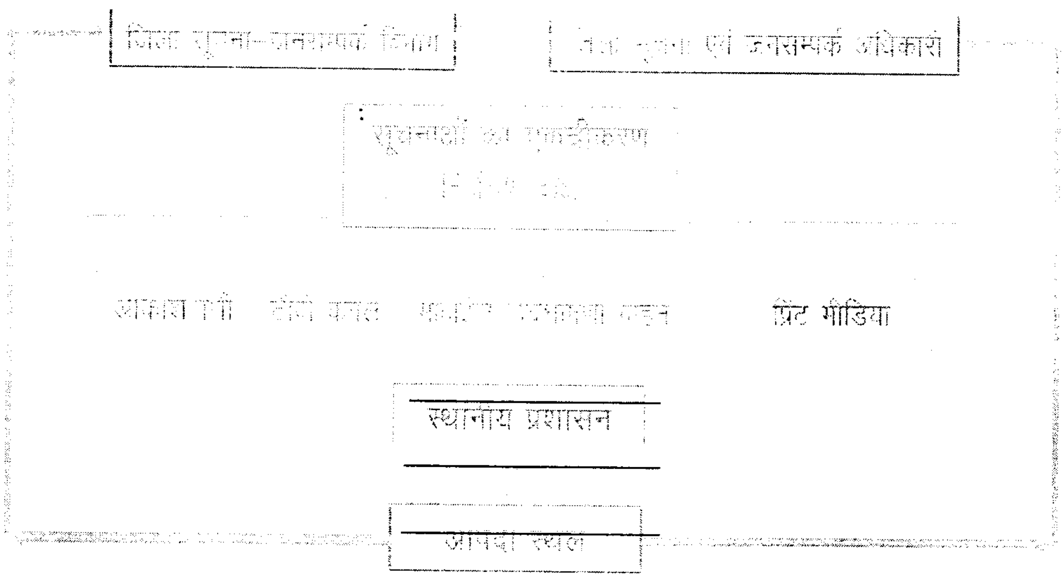

जिला स्तर पर सूचनाओं के आदान–प्रदान का प्रबंधन

मीडिया मैनेजमेंट–

विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम जैसे अखबार, मैगजीन, टी.वी., आकाशवाणी आदि आपदा के समय प्रभावी भूमिका निभाते हैं। अगर संचार माध्यम प्रभावी हों तो सूचनाऐं तुरन्त आम जन तक पहुँचायी जा सकती है। जिले में मीडिया मैनेजमेंट हेतु विभिन्न प्रयास प्रस्तावित है। विभिन्न संचार माध्यमों के कार्यालयों मे पुते तथा उनके फोन नम्बर नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध होंगे जिससे आवश्यकता होने पर तुरंत सम्पर्क कर सूचनाएं प्रदान की जा सके।

राहत व पुनर्वास के मानदंड–

कार्य	विभाग	मानक राहत स्तर व पूर्नवास
खाली करवान व्यवसायिक व आवासीय भवन	पूलिस व नगर परिषद्	जोखिम पूर्ण भवनों को तुरन्त राहत कार्य करवाना व्यक्तियों तथा आवश्यक वस्तुओं का सुरक्षित स्थानों पर परिवहन विस्तापित लोगों हेतु अस्थाई सुरक्षा की व्यवस्था
खोज व बचाव	पूलिस, एनजीओं, एनएसएस, एसडीआरएफ व गृह सुरक्षा	संकट में फसे लोगों को बचाना व सुरक्षित स्थानों पर भेजना संकटग्रस्त पशुओं को बचाना गुमशुदा व्यक्तियों की खोज एवं बचाव सूचना देने हेतु नियंत्रण कक्ष की स्थापना
प्रभावित क्षेत्रों का सुरक्षा पेरा	पूलिस व ग्रह रक्षा	प्रभावित स्थल पर अनहोनी से बचनें के लिए सुरक्षा घेरा ताकि भीड को आपदा स्थल से दूर किया जा सकें
यातायात नियंत्रण	यातायात पूलिस व पूलिस	प्रभावित स्थलों के आसपास वाहनों को आने से रोकना राहत कार्य में लगें वाहनों में शीघ्र परिवहन हेतु व्यावस्था आवश्यकता पडनें पर वाहनों की और व्यवस्था
कानून व्यवस्था	पूलिस गृह रक्षा, एसडीआरएफ,	अफवाहों को रोकना आपदा के समय भगदड आदि को रोकने की व्यवस्था दंगे तथा लूटपाट को रोकना प्रभावितों को जान–माल की सुरक्षा
मृत का निस्तारण	चिकित्सा विभाग, पूलिस व नगरपरिषद्	महामारी व प्रदूषण से बचनें हेतु मृत देहों तुरंत विस्तापन मृत देंहों के अन्तिम संस्कार की व्यवस्था मृत लोगों के सन्दर्भ में उनके रिस्तेदारों को सूचना देना
मलबें का निस्तारण	पूलिस, नगरपरिषद् व प्रसाशन	अति–आवश्यक सेवाओं के पूनर्स्थापन हेतु मलबें को हटाना मलबें को उचित स्थान पर डालना

मानवीय राहत व सहायता–

राहत व पुनर्वास के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की मानवीय आवश्यकताऐं आती है, जो सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक होती है जो जिले में आपदा के समय सामान्य मानव जीवन हेतु अत्यावश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के निम्न मानदंड होंगे–

मानव राहत अतिआवश्यक व सुविधाएं	मानक स्तर के कार्य
भोजन	दूध, ब्रेड, दूध पाउडर इत्यादि का वितरण डेयरी के माध्यम से भोजन के पेकेट दानदाताओं से , घर से एकत्रित करकें, रसद विभाग फल इत्यादि का वितरण
पेयजल	नगरपरिषद् द्वारा पेयजल टेंकर उपलब्ध करवाना, पीएचडी विभाग द्वारा स्वस्छ पेयजल उपलब्ध करवाना व पूर्व में विधमान जल स्त्रोंत की सफाई व क्लोरिन डालना पेयजल आपूर्ति तुरन्त बहाल करना
दवाईयां	सरकारी अस्पताल द्वारा आवश्यक दवाओं जैसेर–बुखार, दस्त, उल्टी आदि की दवाओं का वितरण दवा व्यवसाओं कें पास पर्याप्त स्टोक सुनिश्चित करवाना चिकित्सा विभाग
वस्त्र	जिला प्रशासन एवं दान दाताओं द्वारा कम्बल व वस्त्र वितरण करना एनजीओं, एनएसएस, एनसीसी द्वारा पुरानें वस्त्रों का संग्रहण व जरूरतमंदों में वितरण करना
अस्थाई आवास	अस्थाई आवास, स्कूल, कॉलेज सरकारी भवन बारिश से बचाव व तिरपाल वितरण अस्थाई टेण्ट जिला प्रशासन
हेल्प लाईन	आपदा स्तर पर नियंत्रण कक्ष की हेल्पलाईनस आपदा स्तर पर नियंत्रण कक्ष हेल्पालन की स्थापना करना
वीआईपी	प्रशासनिक अधिकारी व सरकार के मंत्रियों के निरक्षण की व्यवस्था परिवहन तथा भीड का नियंत्रण करना
अन्य संसथाओं का सहयोग	निजी विधालय अस्थाई आवास के रूप में निजी अस्पताल के साधनों का प्रयोग निजी जेसीबी, ट्रेक्टर, टोली, डम्परों, बसों व जीपों की सहायता लेना

जिले में आपदा प्रबंधन कार्ययोजना के क्रियान्वयन हेतु एक SOP(Standard Operating Procedure) निर्धारित किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन योजना के माध्यम से आपदा तथा आपदा के स्तरों को परिभाषित किया जायेगा। इसके पश्चात् चेतावनी तथा उसका प्रसारण होगा।

आपदा के स्तर तथा आवश्यकता को देखते हुए बाहरी सहायता प्राप्त करने पर विचार किया जायेगा। आपदा स्थल से जिला मुख्यालय तक सूचनाऐं भेजने हेतु विशेष व्यवस्था होगी। डीडीएमपी में संचार माध्यमों का प्रबंधन, सहायता, संसाधन तथा राहत उपलब्ध करवाने के विभिन्न मानक स्तरों का भी उल्लेख किया गया है।

जिला स्तरीय अधिकारियों के दूरभाष नम्बर जिला, सिरोही

विभाग	नाम अधिकारी	पद नाम	कार्यालय	निवास	मोबाईन नं.
प्रशासनिक विभाग	श्री संदेश नायक	जिला कलक्टर, अध्यक्ष डीडीएमपी	221187 220497 फै.नं.	221188	8764038291
	श्री नारायणन नायर	निजि सहायक			9414223897
	श्री घनश्याम व्यास	निजि सहायक			9414544200
	श्री जवाहर चौधरी	अति.जिला कलक्टर सचिव डीडीएमपी	220355	220356	9829441699
	श्री आशाराम डोडी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य डीडीएमपी	221058	222344	9460948989
	श्री रामचंद्र	अति.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य डीडीएमपी	222228	222279	9828315378
पुलिस विभाग	श्री ओमप्रकाश	पुलिस अधीक्षक, सिरोही	220718	220719	9414086888
	श्री सतनाम सिंह	अति.पुलिस अधीक्षक, सिरोही	221208	221205	9414065222
	श्री भवानी सिंह	उप अधीक्षक पुलिस, सिरोही	222240	222241	9414607900
	श्री विजयपाल सिंह	उप अधीक्षक पुलिस, आबू पर्वत	238973	238974	9828044499
	श्री देवाराम चौधरी	उप अधीक्षक, पुलिस, रेवदर	282240	282241	9414365176
	श्री वीराराम	उप अधीखक एससीएसटी, सिरोही	220125		9414565939
	श्री हंसाराम	सी.आई. पुलिस थाना, सिरोही	223100	223100	9929172122
	श्री प्रदीप लखावत	उप अधीक्षक, जैल, सिरोही	222363		9468723048
वन एवं पर्यावरण विभाग	श्री संग्राम सिंह कटियार	उपवन संरक्षक, सिरोही			
	श्री के.जी. श्रीवास्तव	उपवन संरक्षक, आबू पर्वत	235211	235211	7568146064
	श्री खुमान सिंह	ए.सी.एफ. , सिरोही			9460233289
	श्री आनंद स्वरूप अग्निहोत्री	उपवन संरक्षक, दांतीवाडा, आबूरोड	220392		9414313549

न्यायाधीश	श्री आर.पी. सोनी	जिला न्यायाधीश, सिरोही	221180	221181	9414129099
	श्री संतोष कुमार मित्तल	न्यायाधीश एससीएसटी,सिरोही	222283	220032	9414848688
	श्री नाहर सिंह मीणा	एसएसीटी जज, सिरोही	224137	222902	9587230038
	सुश्री शैलकुमारी सोलंकी	एडीजे–1, आबूरोड	222210		8426085777
	श्री सतीश कुमार व्यास	एडीजे–2, आबूरोड	223311		9414011722
	श्री शिवप्रसाद तम्बोली	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिरोही	222210	222211	8003395886 9001005833
ग्रामीण पंचायती राज विकास विभाग	श्री आवडदान चारण	विकास अधिकारी, सिरोही	222230	222231	9530309484 9982945244
	श्री आवडदान चारण	चार्ज विकास अधिकारी, शिवगंज	272230	258377	9982945244
	श्री जितेन्द्र सिंह सांदू	विकास अधिकारी, पिण्डवाडा	282230		9461445252
	श्री कुन्दन दवे	विकास अधिकारी, आबूरोड	222230	254428	9001765108
	श्री हेमाराम चौधरी	विकास अधिकारी, रेवदर	282230	282231	8107210475
	श्री हमीरदान	पंचायत प्रसार, अधिकारी, रेवदर			9571237063
उपखण्ड अधिकारी	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत	उपखण्ड अधिकारी, सिरोही	222220	222221	9602840449
	श्री सुरेश कुमार ओला	उपखण्ड अधिकारी, आबूपर्वत			
	श्री कुलराज मीणा	उपखण्ड अधिकारी, शिवगंज	270717	9414151666	9460773377
	श्री पर्वत सिंह चुण्डावत	उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा	280300		9414660116
	श्री शैलेन्द्र सिंह	उपखण्ड अधिकारी, रेवदर	282220	282221	8587961924
उपनिदेशक ई–मित्र	श्री सुदर्शन सिंह	उपनिदेशक ई–मित्र, सिरोही	222024		9950733119
तहसीलदार	श्री वीरभद्र सिंह	तहसीलदार, सिरोही	221216		9772522123
	श्री वेनाराम	तहसीलदार, शिवगंज	270649	9982638216	9928174857
	श्री रोहित चौहान	तहसीलदार, पिण्डवाडा	282048		9414988118

	श्री मनसुखराम डामोर	तहसीलदार, आबूरोड	222220	222220	7597656465
	श्री बद्रीदान चारण	तहसीलदार, रेवदर	282328	282328	9772129915
नायब तहसीलदार	श्री गोविन्द खत्री	नायब तहसीलदार, सिरोही			9414398519
	श्री मादाराम	नायब तहसीलदार, आबूरोड			9460878961
	श्री भानाराम	नायब तहसीलदार, शिवगंज			9414545149
	श्री शंकरलाल	नायब तहसीलदार, कालन्द्री			9414273824
	श्री रामलाल मीणा	नायब तहसीलदार, भांवरी			9460231318
	श्री माधोराम पुराहित	नायब तहसीलदार, रेवदर			9521438549
जिला रसद अधिकारी	श्री महावीर प्रसाद व्यास	जिला रसद अधिकारी, सिरोही	222242		9413519614
आयुक्त नगर परिषद एवं नगर पालिका	श्री प्रहलादराय वर्मा	आयुक्त नगर परिषद, सिरोही	222280	222281	9829407437
	श्री दिलीप माथुर	चार्ज आयुक्त न.पा., आबू पर्वत	235127	238683	9414804015
	श्री चन्द्रेश	सहा. अभि. न.पा., आबू पर्वत			9414275347
	श्री अनिल कुमार	अधिशाषी अधिकारी, नं.पा., पिण्डवाडा	272280	272281	9664717482
	श्री भीम सिंह देवल	अधिशाषी अधिकारी, नं.पा., शिवगंज	282270	281959	9829300411
	श्री महेन्द्र सिंह	अधिशाषी अधिकारी, नं.पा., आबूरोड	222270	222281	982920444
सार्वजनिक निर्माण विभाग	श्री आर.आर. माथुर	अधीक्षण अभियंता, PWD , सिरोही	222588		9414145764
	श्री गोविन्द सिंह चौहान	अधिशाषी अभियंता, PWD , सिरोही	221714	221715	9414800113
	श्री चरणेश माथुर	अधिशाषी अभियंता, PWD , आबूरोड			9414477494
	श्री जे.एल. चौहान	सहायक अभियंता, PWD , सिरोही			9414152521

	श्री पूनाराम	सहायक अभियंता, PWD , पिण्डवाड़ /सरूवपगंज	222165		9414423765
	श्री मदन सिंह	अधिशाषी अभियंता, PWD , क्वा.कंट्रोल, सिरोही			9928005767
जलदाय विभाग	श्री अशोक चावला	अधि, अभियंता, जलदाय, सिरोही	220131		9001804565
	श्री सिसोदिया टी.ए.	अधि, अभियंता, जलदाय, सिरोही	221244	221243	9414172767
	श्री प्रदीप कुमार माथुर	अधि, अभियंता, जलदाय, आबूरोड	222260		9414452165
विधुत विभाग	श्री इम्तियाज बेग	एस.ई. जोधपुर डिस्कॉम, सिरोही	225455		9413359370
	श्री जेठाराम चौधरी	अधिक्षण अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, सिरोही	222337		9413359305
	श्री कुरैशी	अधिशाषी अभियंता, प्रसारण, जोधपुर डिस्कॉम, सिरोही			9414061109
	श्री आर के मारू,	अधिक्षण अभियंता, डिस्कॉम, आबूरोड	222995	220668	9413359306
	श्री ए.के.सिन्हा	अधिशाषी अभियंता, जोविविनि., रेवदर	282250		9413359337
	श्री के.डी.चारण	एस.ई.ब्रिज कॉरपोरेशन, जोधपुर			9413329818
	श्री बी.एल.वैष्णव	एस.ई. ट्रांसमिसन्स (प्रसारण), सिरोही			9414061052
चिकित्सा विभाग	डॉ. सुशील परमार	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, सिरोही	222259	222262	9414154849
	श्री दिनेश कुमार	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी	221733		9799423555
	डॉ. दर्शन ग्रोवर	चार्ज प्रमुख चिकित्सा अधिकारी			9784742702
	डॉ. प्रदीप चौहान	सार्वजनिक चिकित्सालय, सिरोही	220049	220507	9414523007
	डॉ. सुनिता थरेजा	सार्वजनिक चिकित्सालय, सिरोही			9414498201

आयुर्वेद विभाग	श्री कैलाशचन्द्र शर्मा	जिला आयुर्वेद अधिकारी, सिरोही	220369	220196	9887275633
सूचना विज्ञान	श्री विरेन्द्र गौड	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिरोही	220348	222859	9116961419
कृषि विभाग	श्री जगदीश चन्द्र	उप निदेशक कृषि, सिरोही	222257	220009	9414301947
उप परियोजना अधिकारी	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत	उप परियोजना अधिकारी, आबूरोड	222411	222411	9602840449
	श्री सुनिल गुप्ता	ओ.ए. टी.ए.डी., आबूरोड			9414841958
पर्यटन विभाग	श्री विकास पण्ड्या	सहायक निदेशक पर्यटन, आबूपर्वत	235151	235151	9829395557
आबकारी विभाग	श्री मोहनराम पूनिया	आबकारी अधिकारी, सिरोही	220709	220717	9530396149 8829015875
जन सम्पर्क	सुश्री हेमलता सिसोदिया	जन सम्पर्क अधिकारी, सिरोही	221033		9829523558
सिंचाई विभाग	श्री जे.पी. शर्मा,	अधीक्षण अभि.सिंचाई, सिरोही			9414243898
	श्री प्रकाश	सहायक अभियंता, सिंचाई खण्ड, सिरोही	222336	222592	9414545636
	श्री चन्द्रवीर सिंह	सहायक अभियंता, शिवगंज			9829023276
	श्री नरेन्द्र सिंह	अधि, अभि., सिंचाई, सुमेरपुर	252928		9414410835
	श्री ललित मोहन दाधीच	सहा.अभि.सिंचाई, सरूपगंज			9829841421
जी.पी.एफ. विभाग	श्री एम.एम. कटारिया	उप निदेशक, जीपीएफ, सिरोही	222425		9461088964
	श्री दिनेश बारोठ	सहा. निदेशक जीपीएफ, सिरोही			9413484380
पशुपालन विभाग	श्री जगदीश बरबड	संयुक्त निदेशक पशुपालन, सिरोही	222364	224011	9636868876
परिवहन विभाग	श्री मनीष कुमार शर्मा	जिला परिवहन अधिकारी, सिरोही	221688	221204	9828280101 9887413126
	श्री आर.सी. वैष्णव	चार्ज परिवहन अधिकारी, आबूरोड	226670		7726954159
जिला उधोग केन्द्र	श्री जी.एस.त्रिवेदी	सहायक निदेशक, जिला उधोग केन्द्र, सिरोही	222375		9414171316

आईसीडीएस	श्री नितिन गहलोत	चार्ज उप निदेशक आईसीडीएस, सिरोही	222484		9166131588
रोजगार विभाग	श्री आनंद कुमार	चार्ज जिला रोजगार अधिकारी, सिरोही	224142		9414284939
समाज कल्याण	श्री राजेन्द्र पुरोहित	सहा. निदेशक, समाज कल्याण, सिरोही	222544		9928701604
अति. परियोजना	श्री आनन्दराज आर्य	अति.परि. समन्वयक, एस.एस.ए	222685	222686	9414544143
शिक्षा अधिकारी	श्री चन्द्रमोहन उपाध्याय	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, सिरोही	222249	222303	9252303247
	श्री दिनेश चौहान	अति. जिला शिक्षा अधिकारी, सिरोही			9414358228
	श्री वेदप्रकाश	जिला शिक्षा अधि. (प्रा.), सिरोही	220332	225107	9829115343
	श्री भंवर सिंह	अति.जिला शिक्षा अधिकारी प्रा., सिरोही			9460834021
	श्री नरेन्द्र सिंह	ए.सी.पी. प्रा. शिक्षा, सिरोही			9414428529
साक्षरता अधिकारी	श्री भंवर सिंह	चार्ज जिला साक्षरता अधिकारी, सिरोही	220705		
श्रमसा	श्री अशोक व्यास	परियोजना प्रबंधक, रमसा, सिरोही	221040		7742424991
महाविद्यालय	श्री यू.एस.मीणा	प्राचार्य राजकीय महा विधालय, सिरोही	221684		9414214567
	श्री विनोद कुमार	राजकीय महिला महाविद्यालय, सिरोही	221275		9461630786
	श्री बी.एस.,	सिनसिनवाल राज. महा. शिवगंज	272559		9414222266
		राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड		222253	
	श्री पी.एल. मालवीय	प्राचार्य पोलोटेक्निक कॉलेज, सिरोही	222401		9413167261
	श्री अनिल त्रिवेदी	प्राचार्य आईटीआई कॉलेज, सिरोही/आबूरोड	220758		9414356265
नवोदय विधालय	श्री सुरेश चन्द्र	प्राचार्य नवोदय विधालय , कालन्द्री	264356	264532	9694850290
रजिस्टार विभाग	श्री राजेन्द्र प्रसाद दायमा	सहा. रजिस्टार सहकारी समिति,	222347		9414449191

		सिरोही			
बैंक विभाग	श्री वीरभद्र सिंह	अध्यक्ष सीसीबी, सिरोही	222349		9784623000
	श्री महेन्द्र सिंह शेखावत	एम.डी., सीसीबी, सिरोही	222349	222394	9414534262
स्पे. ऑडिटर	श्री राजेन्द्र प्रसाद दायमा	स्पे. ऑडिटर / सचिव, पी.एल.डी.बी.	222282	222386	9414449191
एसबीबीजे	श्री ईश्वरसिंह चौहान	मैनेजर एसबीबीजे, सिरोही	224141		8003997656
	श्री मनोज कुमार	लीड बैंक अधिकारी, सिरोही	222424		9414448005
सर्किट हाउस	श्री भरत कुमार	हाउसकीपर, सर्किट हाउस, सिरोही	221777	222607	7220831235
	श्री शरदचंद बंसल	मैनेजर, सर्किट हाउस, आबू	238933	238484	9414367643
रोडवेज विभाग	श्री कृष्णपाल सिंह	मुख्य प्रबंधक रोडवेज, सिरोही	222511	222329	9549653270
	श्री अशोक सांखला	मुख्य प्रबंधक रोडवेज, आबूरोड	222323		9549653267
सांख्यिकी विभाग	श्री लखनलाल मीणा	संख्यिकी कार्यालय, सिरोही	222427		9413852685
	श्री नृसिंह बहादुर	जिला आयोजना अधि, सिरोही	220726		9772940063
	श्री महिपाल सिंह	वाणिज्यिक कर अधि., सिरोही	222243	222287	9950366321
श्रम विभाग	श्री चम्पतराज लौहार	चार्ज जिला श्रम अधि., सिरोही	222516		9414769260
खनिज विभाग	श्री जिनेश हुमट	खनि अभियंता,सिरोही	222370		9414856447
	श्री सोनल	अति. खनि अभियंता, सिरोही			9414399599
अल्प संख्यक विभाग	श्री हनीफ खान	जिला अल्प संख्यक अधि., सिरोही	225441		9414316624
खेल विभाग	श्री अशोक चौधरी	जिला खेल अधिकारी, सिरोही			9414232993
कौशल एवं आजीविका	श्री मनीष	जिला प्रबंधक राज. कौशल एवं आजीविका विकास नगर, सिरोही	220197		7726007803

आईसीडीपी	श्री जी.पी. जोरवार	जी.एम. आईसीडीपी, सिरोही	223785		9414151522
निरीक्षक बॉयलर्स	श्री रमेश पुरोहित	निरीक्षक बॉयलर्स, सिरोही	220739		9414327583
परियोजना प्रबंधक	श्री नरसिंह बहादुर सिंह	परियोजना प्रबंधक, एससीडीसी, एसआरएच	220504		9772940063
भू–जल विभाग	खुशवंत मिस्त्री	प्रभारी भू–जल विभाग, सिरोही			9571094401
कृषि उपज मंडी	श्री सुरेश कुमार मंगल	सचिव कृषि उपज मंडी, आबूरोड	294208		9414179479
सम्पूर्ण स्वच्छता	श्री चांदू खॉ	सम्पूर्ण स्वच्छता,अभि. डी.पी.सी., टी.ए.सी.			9461064670
स्काउट	श्री महेश कालावत	सीओ , स्काउट , सिरोही			9460449851
उधान निरीक्षक	श्री मनोहर लाल	उधान निरीक्षक, सिरोही			9887637516
नेहरू युवा केन्द्र	श्री राजेन्द्र सिंह कसाना	नेहरू युवा केन्द्र, सिरोही	222492		9414523865

जन प्रतिनिधियो कीं सूची

संसद	श्री देवजी एम. पटेल	सांसद,जालोर–सिरोही मु. पो.– जाजुसण तहसील–सांचोर, जिला–जालोर			08800515888 09998155588
	श्री अशोक प्रजापत	पी.ए. सांसद महोदय	02979–285888		9460883514
	श्री देवराज	पी.ए. सांसद महोदय			9414158488
विधायक	श्री जगसीराम कोली	विधायक – रेवदर	282833		9414305315
	श्री ओटाराम देवासी	विधायक, सिरोही, शिवगंज	9829225095	2227680	9414125095
	श्री अर्जून जी	पी.ए.			9001215301
	श्री समाराम गरासीया	विधायक, आबू , पिण्डवाडा			9414153012
जिला प्रमुख	श्रीमति पायल परसरामपुरिया	जिला प्रमुख, सिरोही	222419	02974–226210	8094363650 9799511222

	श्री कानाराम	उप जिला प्रमुख, सिरोही			9785056831
प्रधान	श्रीमति प्रज्ञा कुवंर देवडा	प्रधान पं.स., सिरोही	222230	264630	9587222432
	श्री लालाराम गरासीया	प्रधान पं.स., आबूरोड	222230		9460801579
	श्री जीवाराम आर्य	प्रधान पं.स., शिवगंज	272230		9414842700
	श्री पूंजाभाई मेघवाल	प्रधान पं.स., रेवदर	282230		9413856211
	श्रीमति टीपूबाई गरासीया	प्रधान पं.स., पिण्डवाडा	282230		9602120548
नगर पालिका	श्री ताराराम माली	अध्यक्ष नगर पालिका, सिरोही	222270	222271	9414151671
	श्रीमति कंचन सोलंकी	अध्यक्ष नगर पालिका, शिवगंज	272270	272271	7665666407
	श्री सूरेश थिंगर	अध्यक्ष नगर पालिका, आबूपर्वत	235127		9928341631
	श्री सुरेश सिंदल	अध्यक्ष नगर पालिका, आबूरोड	222270	222271	8094303794
	श्रीमति खुशबु राजपुरोहित	अध्यक्ष नगर पालिका, पिण्डवाडा	282270	282271	8890609979

—: जिले में उपलब्ध वायरलैस संचार व्यवस्था :—

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	स्टेटिक/मोबाईल	कॉल साईन
1.	रिपिटर स्टेशन गुरू शिखर	STATIC	ROM.15
2.	कंट्रोल रूम, सिरोही	STATIC	CONTROL
3.	पु.अ. चैम्बर	STATIC	TIGER CHEMBER
4.	अति.पुलिस अधीक्षक, सिरोही	STATIC MOBILE	BRAVO
5.	उप अधीक्षक पुलिस, सिरोही	MOBILE	PETER-1
6.	उप अधीक्षक पुलिस, आबूपर्वत	MOBILE	PETER-2
7.	उप अधीक्षक पुलिस, रेवदर	MOBILE	PETER-3
8.	उप अधीक्षक पुलिस, एससी/एसटी,सिरोही	MOBILE	PETER-4
9.	पुलिस थाना, आबूपर्वत	STATIC MOBILE	FORT-1
10.	पुलिस थाना, आबूरोड सदर	STATIC MOBILE	FORT-2
11.	पुलिस थाना आबूरोड शहर	STATIC MOBILE	FORT-3
12.	पुलिस थाना, सरूपगंज	STATIC MOBILE	FORT-4

13.	पुलिस थाना, रोहिडा	STATIC MOBILE	FORT-5
14.	पुलिस थाना कोतवाली, सिरोही	STATIC MOBILE	FORT-6
15.	पुलिस थाना, पालडी	STATIC MOBILE	FORT-7
16.	पुलिस थाना, शिवगंज	STATIC MOBILE	FORT-8
17.	पुलिस थाना, बरलूट	STATIC MOBILE	FORT-9
18.	पुलिस थाना, पिण्डवाडा	STATIC MOBILE	FORT-10
19.	पुलिस थाना, रेवदर	STATIC MOBILE	FORT-11
20.	पुलिस थाना, मण्डार	STATIC MOBILE	FORT-12
21.	पुलिस थाना, अनादरा	STATIC MOBILE	FORT-13
22.	पुलिस थाना, कालन्द्री	STATIC MOBILE	FORT-14
23.	महिला पुलिस थाना, सिरोही	STATIC MOBILE	FORT-15
24.	पुलिस थाना, आबूरोड जी.आर.पी.	STATIC MOBILE	GRP
25.	संचित निरीक्षक, पु.ला., सिरोही	STATIC MOBILE	FORT

परिशिष्ठ नं. आश्रय स्थलों की सूची

क्र.सं.	आश्रय स्थल का नाम व पता	कमरो/हॉल की सं.	टेलीफोन नं.
1.	अग्रवाल धर्मशाला, शिवगंज	25	02976–272302
2.	पेचका वाली धर्मशाला, शिवगंज	10	02976–270969
3.	ओसवाल धर्मशाला, शिवगंज	20/03	02976270969
4.	पोरवाल धर्मशाला, शिवगंज	15	02976–270885
5.	मालियों की धर्मशाला, शिवगंज	10	02976–271010/ 9414534487
6.	अग्रवाल धर्मशाला, छावणी शिवगंज	05/03	9950696659
7.	सुनारों की धर्मशाला, शिवगंज	04	02976–272222
8.	नामदेव छीपा समाज धर्मशाला, शिवगंज	08	8058498541 (घेवरचंदजी)

9.	कुमावतों की धर्मशाला, शिवगंज	05	9784355446 (मंछारामजी)
10.	घांचियों की धर्मशाला, शिवगंज	03	9413655970
11.	पीपली वाली धर्मशाला, शिवगंज	02	02976–270885
12.	खत्रियों की धर्मशाला, शिवगंज	04	9414767498
13.	जैन धर्मशाला, बडगॉव	08/01	02976–270123
14.	कुम्हारों की धर्मशाला, पालडी	10/01	02976–275405/ 9414374572
15.	जैन धर्म, पोसालिया	02/01	9414397758
16.	जैन धर्मशाला, अरठवाडा	02/01	7742025377 (भंवरलाल लखारा)
17.	जैन धर्मशाला, राडबर	02/01	9828447089 (भरत कुमार रावल) चूली
18.	संघवी भूरमल तेजाजी राजकीय महाविधालय, शिवगंज	25	02976–270559
19.	रा.उ.मा.वि., शिवगंज	18	02976–270220
20.	रा.मा.वि.दादावाडी, शिवगंज	20	02976–273086
21.	रा.उ.मा.वि.(बालिका), शिवगंज	15	02976–270110
22.	रा.मा.वि., जोयला	17	9461254024
23.	रा.उ.मा.वि., पोसालिया	19	02976–267071
24.	रा.उ.मा.वि., पालडी	15	02976–254188/ 9413856261
25.	रा.उ.मा.वि., कैलाशनगर	16	02976–265382/ 9413482801
26.	रा.उ.मा.वि., मनादर	14	9461134166
27.	रा.मा.वि., उथमण	13	9414316473
28.	रा.उ.मा.वि., अरठवाडा	13	9413700467
29.	रा.उ.मा.वि., नारादरा	11	9460262052
30.	रा.मा.वि., अन्दौर	16	9784930079

31.	रा.मा.वि., केराल	06	9828014836

परिशिष्ठ नं. पेट्रोल पम्पों की सूची

क्र.सं.	पेट्रोल पम्पों का नाम व पता	टेलीफोन नं.
1.	शिवगंज फिलींग स्टेशन, शिवगंज	9252414486
2.	शंकरलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी (दीपक गोयल) वेरारामपुरा	9414123018
3.	मां तनोट फिलींग स्टेशन, वेरारामपुरा	9950397374
4.	जय शंकर ट्रांसपोर्ट कम्पनी, उथमण	9828500244
5.	श्रीनाथ पेट्रोंल पम्प, बागसीन (पूरणमल)	9829474453
6.	वैभव लक्ष्मी पेट्रोंल पम्प, सेउडा (मोहनलाल माली), जावाल	9799389770
7.	हमारा पम्प, मनादर (राजेन्द्र कुमार रावल)	9950855201
8.	जय अम्बे पेट्रोल पम्प, पालडी (बनवारीलाल अग्रवाल)	9649526572
9.	रिलायंस पेट्रोल पम्प, पालडी	9001297783 9549280080
10.	भवानी किसान सेवा केन्द्र, पोसालिया (शेषाराम पुत्र शंकरलाल गर्ग, पोसालिया)	9782773721

परिशिष्ठ नं. गैस एजेन्सियों तथा गैस गोदामों की सूची

क्र.सं.	गैस एजेन्सी का नाम व पता	टेलीफोन नं.
1.	आशापुरा गैस सर्विस, शिवगंज	02976–271000 / 270789
2.	गणपति भारत गैस, पोसालिया	02976–267111
3.	रामदेव भारत गैस सर्विस, कैलाशनगर	02976–265106

परिशिष्ठ नं. क्रेन, जेसीबी, गैस कटर्स इत्यादि उपकरणों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	मालिक का नाम	उपकरण	टेलीफोन नं.
1.	मनादर	राजेन्द्र कुमार रावल	जेसीबी	9950855201
2.	मनादर	अम्बालाल पुरोहित	जेसीबी	9928583236
3.	जोगापुरा	भंवरसिंह राजपुत	जेसीबी	9982228555

4.	रोवाडा	भंवरसिंह राजपुत	जेसीबी	9460262348
5.	जोयला	छगनसिंह राजपुत	जेसीबी	8560043157
6.	अरठवाडा	मालदेव सिंह राजपुत	जेसीबी	8094399469
7.	देवनगर	जब्बर सिंह राजपुत	जेसीबी	7891913311
8.	कैलाशनगर	दलपतसिंह राजपुत	जेसीबी	9694969390
9.	पालडी	कुलदीप सिंह राजपुत	जेसीबी	9772171123
10.	पालडी	प्रतापराम माली	जेसीबी	9414301237
11.	वेराविलपुर	रघुभाई माली (बाबा रामदेव होटल)	जेसीबी	9414152215
12.	शिवगंज	नारायणलाल माली	जेसीबी	9829324392
13.	शिवगंज	दिनेशपुरी गोस्वामी	जेसीबी	9414463745

परिशिष्ठ नं. पॉवर स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	पॉवर स्टेशन का नाम	टेलीफोन नं.
1.	33/11 केवी जी एस एस, शिवगंज	02976–270170
2.	33/11 केवी जी एस एस, बडगांव	02976–272701
3.	33/11 केवी जी एस एस, पोसालिया	02976–267524
4.	33/11 केवी जी एस एस, जोगापुरा	02976–219197
5.	33/11 केवी जी एस एस, पालडी	02976–275033
6.	33/11 केवी जी एस एस, कैलाशनगर	02976–265033
7.	33/11 केवी जी एस एस, पंचदेवल	02976–267051
8.	33/11 केवी जी एस एस, अन्दौर	02976–219033
9.	33/11 केवी जी एस एस, मांडानी	02976–247051
10.	33/11 केवी जी एस एस, झाडोलीवीर	02976–218022
11.	132 केवी जी एस एस, अरठवाडा	9414081271

परिशिष्ठ नं. प्रमुख स्वंयसेवी संस्थाओं की सूची

क्र.सं.	स्वंयसेवी संस्था का नाम व पता	टेलीफोन नं.
1.	आर्यवीर दल, शिवगंज	02976–270787 / 9252106197
2.	आर्यसमाज, शिवगंज	9829547249
3.	शिवसेना, शिवगंज	02976–270132 / 9251526853
4.	जैन युवा संघ, शिवगंज	02976–220540
5.	लॉयन्स क्लब, शिवगंज	02976–270423
6.	अग्रसेन मेडिकल रिलीफ सोसायटी, शिवगंज	02976–272578 / 270347
7.	महावीर ईन्टरनेशनल (पोपटमल जैन), शिवगंज	02976–270915
8.	जैन युवा संघ, शिवगंज	02976–270046
9.	लियो क्लब, शिवगंज	02976–270657
10.	सिरोही डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एसोसिएशन, शिवगंज	02976–270670

परिशिष्ठ नं. प्रमुख टेन्ट हाउसों की सूची

क्र.सं.	फर्म का नाम	लोकेशन	फोन नं./मोबाईल नं.
1.	विमल टेन्ट हाउस	शिवगंज	02976–270642
2.	शक्ति टेन्ट हाउस	शिवगंज	02976–271327
3.	आम्बेश्वर टेन्ट हाउस	शिवगंज	9636224129
4.	रामदेव टेन्ट हाउस (दरगाराम)	शिवगंज	9414533709
5.	अमृत टेन्ट हाउस	शिवगंज	9929676599
6.	निलकमल टेन्ट हाउस	शिवगंज	9414258603
7.	शास्त्री टेन्ट हाउस	शिवगंज	9636952062
8.	निम्बेश्वर टेन्ट हाउस	शिवगंज	9599815291
9.	रामदेव टेन्ट हाउस (सत्यनारायण पुरोहित)	मनादर	9928197162
10.	माजीसा टेन्ट हाउस (उदय सिंह राजपुत)	कैलाशनगर	7665373330
11.	संतोष मंडप डैकोरेशन (तगाराम घांची)	पालडी	9982068779
12.	आम्बेश्वर मंडप डेकोरेशन (देशाराम घांची)	पालडी	9828049017
13.	थानाराम कुम्हार	पालडी	8946883958

परिशिष्ठ नं० 5

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही
जिलें में चिकित्सा केन्द्रों की सूचीं

तहसील	संस्थान केन्द्र का नाम	फोन नम्बर	बेड्स की संख्या	वार्डो की संख्या
सिरोही	सामु स्वा. केन्द्र, कालन्द्री	9414417647	30	2
	सामु स्वा. केन्द्र, कृष्णगंज	9784742839	6	1
	प्रा.स्वा. केन्द्र, जावाल	9784742927	6	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र, पाडीव	9784742931	6	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र, बरलूट	9784742912 / 0674200068	6	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र, वराडा	9636722393	6	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र, लंदरी	9784742903	6	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र, सिलदर	9784742913	6	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र, वेलांगरी	9784742941	6	2
शिवगंज	सामु स्वा. केन्द्र, शिवगंज	9829621477	30	4
	प्रा.स्वा. केन्द्र, पालडी	9784742905	6	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र, पोसालिया	9784742904	6	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र,कैलाशनगर	7665106447	6	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र, अन्दौर	9784742769	0	2
	प्रा.स्वा. केन्द्र, आल्पा	9571641709	0	0
रेवदर	सामु स्वा. केन्द्र, रेवदर	9784742708	30	4
	प्रा. स्वा. केन्द्र, सनवाडा	9414545308	6	2
	प्रा. स्वा. केन्द्र, सिरोडी	9784742915	6	2
	प्रा. स्वा. केन्द्र, अनादरा	9784742918	6	2
	प्रा. स्वा. केन्द्र, दांतराई	9784742919	6	2
	प्रा. स्वा. केन्द्र, मण्डार	9784742916	6	2
	प्रा. स्वा. केन्द्र, भटाना	9784742781	6	2
	प्रा.स्वा.केन्द्र,वांट	9784742949	0	0
आबूरोड	सामु स्वा. केन्द्र, आबूरोड	9784742711	50	3
	सामु स्वा. केन्द्र, आबूपर्वत	9784742713	50	2
	प्रा. स्वा. केन्द्र, देलदर	9784742925	6	1
	प्रा. स्वा. केन्द्र, चनार	9784742926	6	1
पिण्डवाडा	सामु स्वा. केन्द्र, पिण्डवाडा	9784742707	30	3
	प्रा. स्वा. केन्द्र, वीरवाडा	9784742922	6	1
	प्रा. स्वा. केन्द्र, नांदिया	9784742921	6	1
	प्रा. स्वा. केन्द्र, भारजा	9784742855	6	1
	प्रा. स्वा. केन्द्र, सरूपगंज	9784742920	30	2
	प्रा. स्वा. केन्द्र, रोहिडा	9784742923	30	3

DDMP-2017 परिशिष्ठ न० 4

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही

चिकित्सा केन्द्रों में कार्यरत चिकित्सकों की सूची

तहसील	चिकित्सक का नाम	पता	एसटीडी कोड	फोन / मोबाईल नम्बर	विशेषज्ञता
सिरोही	डॉ आत्माराम चौहान	सामु.स्वा.केन्द्र, कालन्द्री	02972	264344	व.चि.अ.
				9414417647	
	डॉ. जोगी शर्मा	सामु.स्वा.केन्द्र, कृष्णगंज		266510	व.चि.अ
	डॉ. ईशा यादव				चि.अ.
	डॉ.अनिरुद्ध भार्गव	प्रा.स्वा.केन्द्र, जावाल		261090	चि.अ.
	डॉ.रघुनाथ चौधरी	प्रा.स्वा.केन्द्र, पाडीव		266253	चि.अ.
	डॉ.नगेन्द्र कुमार	प्रा.स्वा.केन्द्र, बरलूट		261015	चि.अ.
	डॉ.विकास शर्मा	प्रा.स्वा.केन्द्र, वराड़ा		255712	चि.अ
	डॉ.सुरेश जाट	प्रा.स्वा.केन्द्र, तंवरी		268195	चि.अ.
	डॉ.निहाल सिंह मीणा	प्रा.स्वा.केन्द्र, सिलदर		276568	चि.अ.
	डॉ. बाबूलाल यादव	प्रा.स्वा.केन्द्र, मेर मांडवाड़ा		9784742907	चि.अ.
	डॉ.घेवरचन्द माली	प्रा.स्वा.केन्द्र, वेलांगरी		293501	चि.अ.
शिवगंज	डॉ. गिरधर गोपाल	सामु.स्वा.केन्द्र,शिवगंज	02976	9460089254	शिशु रोग
	डॉ. मनीषा कच्छवाह	सामु.स्वा.केन्द्र,शिवगंज		8094291550	स्त्री रोग विशेषज्ञ
	डॉ. मनीष नारायण देव	सामु.स्वा.केन्द्र,शिवगंज		9828333519	चि.अ. दन्त
	डॉ. विवेक जोशी	प्रा.स्वा.केन्द्र, पालड़ी		9784742905	चि.अ.
	डॉ. निशा कंवर	प्रा.स्वा.केन्द्र, पालड़ी		7597202180	चि.अ.
	डॉ.माणकचन्द जैन	प्रा.स्वा.केन्द्र, पोसालिया		9784742904	चि.अ.
	डॉ.संजय मीणा	प्रा.स्वा.केन्द्र,कैलाशनगर		7665105447	चि.अ.
	डॉ. प्रवीण सिंघाड़िया	प्रा.स्वा.केन्द्र, अन्दौर		9784742769	चि.अ.
	डॉ. पंकज माथुर	प्रा.स्वा.केन्द्र आल्पा		9571641709	चि.अ.
रेवदर	डॉ.शरद सक्सैना	ब्लॉक मु.चि.अ. रेवदर	02975	9784742706	व.चि.अ
	डॉ. मनीषकुमार	प्रा.स्वा.केन्द्र, मण्डवाड़ा		9414545308	--
	डॉ. निखिलकुमार अग्रवाल	प्रा.स्वा.केन्द्र, सिरोड़ी		9784742915	--
	डॉ. प्रवीणकुमार सुथार	प्रा.स्वा.केन्द्र, दांतराई		9784742919	चि.अ.
	डॉ.मुकेशकुमार मीणा	प्रा.स्वा.केन्द्र, अनादरा		9784742918	चि.अ.
	डॉ. दिनेश शर्मा	प्रा.स्वा.केन्द्र, मण्डार		9784742916	चि.अ.
	डॉ. विजयसिंह रावत	प्रा.स्वा.केन्द्र, भटाणा		9784742781	चि.अ.
	श्री नगेन्द्र व्यास	प्रा.स्वा.केन्द्र,[illegible]		9024781705	चि.अ.
आबूरोड	डॉ.कुसुमलता अग्रवाल	सामु.स्वा.केन्द्र,आबूरोड	02974	221286	क.वि. (स्त्री)
	डॉ. अंकिता वर्मा			221286	दन्त चि.
	डॉ.एम.एल.हिण्डोनिया			9784742711	क.मेडिसन
	डॉ.मनीष गुप्ता			221286	चि.अ.
	डॉ.गोरव मेवाड़ा			221286	चि.अ.
	डॉ.एन.के.गोयल	सामु.स्वा.केन्द्र,आबूपर्वत		9784742713	व.वि.
	डॉ. तनवीर हुसेन				क.वि (मेडिसन)
	डॉ. अंकुर अग्रवाल	प्रा.स्वा.केन्द्र, देलदर	02974--	9784742925	चि.अ.
	डॉ. सलीम खान	प्रा.स्वा.केन्द्र, देलदर	294665	7073765594	चि.अ.
	डॉ. सुकान्त अग्रवाल	प्रा.स्वा.केन्द्र, चनार		9784742926	चि.अ.
	डॉ. नेहा अग्रवाल			294492	चि.अ.
पिंडवाड़ा	डॉ. कुन्दनसिंह गिल प्रभारी	सामु.स्वा.केन्द्र, पिंडवाड़ा	02971	280263	व.चि.अ.
	डॉ. कश्यप जानी				दन्त वि.
	डॉ.विजेन्द्र चौधरी	प्रा.स्वा.केन्द्र,वीरवाड़ा		224685	चि.अ.
	डॉ.दिनेश कुमार	प्रा.स्वा.केन्द्र, नांदिया		233631	चि.अ.
	डॉ. हरीओम शर्मा	प्रा.स्वा.केन्द्र,भारजा		254485	चि.अ.
	डॉ. कैलाश चन्द्र				चि.अ.
	डॉ. रामलाल	सामु.स्वा.केन्द्र,स्वरूपगंज		243096	व.चि.अ.
	डॉ. प्रदीप कुमार	प्रा.स्वा.केन्द्र, रोहिड़ा	254607	8233013212	चि.अ.
	डॉ. महीपाल देवासी	प्रा.स्वा.केन्द्र, नितोड़ा		7727936913	दन्त
	डॉ. हितेन्द्रपालसिंह	प्रा.स्वा.केन्द्र, झाड़ोली		9784742847	चि.अ.
	डॉ.बलदेव	प्रा.स्वा.केन्द्र, भूला		8561062395	चि.अ.

DDMP-2017 परिशिष्ट नं0 4

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही

जिले में चिकित्सा केन्द्रों की सूची

तहसील	संस्थान केन्द्र का नाम	फोन नम्बर	चिकित्सकों की संख्या	अस्पताल में उपलब्ध संसाधन			
				एम्बुलेंस	स्ट्रेचर	एक्सरे	ई.सी.जी.
सिरोही	सामु स्वा. केन्द्र, कालन्द्री	9784742705	2	1	2	1	1
	सामु स्वा. केन्द्र, कृष्णगंज	9784742899	2	0	0	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, जावाल	9784742927	1	0	1	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, पाडीव	9784742931	0	0	1	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, वरलूट	9784742912 / 8742000068	1	0	1	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, वराडा	9636722393	1	0	1	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, तंवरी	7073462906	1	0	1	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, सिलदर	9784742913	1	0	1	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, वेलांगरी	9784742941	1	0	2	0	0
शिवगंज	सामु स्वा. केन्द्र, शिवगंज	9784742710	4	2	5	1	1
	प्रा.स्वा. केन्द्र, पालडी	9784742905	2	0	2	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, पोसालिया	9784742904	1	1	1	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र,कैलाशनगर	9784742906	1	2	1	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, अन्दोर	9784742769	1	0	0	0	0
	प्रा.स्वा. केन्द्र, आल्पा	9571641709	1	0	0	0	0
रेवदर	सामु स्वा. केन्द्र, रेवदर	9784742706	1	0	2	0	1
	प्रा. स्वा. केन्द्र, सनवाडा	9414545308	0	0	1	0	0
	प्रा. स्वा. केन्द्र, सिरोडी	9784742915	0	0	1	0	0
	प्रा. स्वा. केन्द्र, अनादरा	9784742918	1	1	1	0	0
	प्रा. स्वा. केन्द्र, दांतराई	9784742919	1	0	1	0	0
	प्रा. स्वा. केन्द्र, मण्डार	9784742916	1	1	1	0	0
	प्रा.स्वा.केन्द्र, भटाणा	9784742781	1	0	1	0	0
	प्रा.स्वा.केन्द्र,वांट	9784742949	1	0	1	0	0
आबूरोड	सामु स्वा. केन्द्र, आबूरोड	9784742711	5	1	1	1	1
	सामु स्वा. केन्द्र, आबूपर्वत	9784742713	4	1	1	0	1
	प्रा. स्वा. केन्द्र, देलदर	9784742925	2	0	1	0	0
	प्रा. स्वा. केन्द्र, चनार	9784742926	2	0	1	0	0
पिण्डवाडा	सामु स्वा. केन्द्र, पिण्डवाडा	9784742708	2	1	1	1	1
	प्रा. स्वा. केन्द्र, वीरवाडा	9784742922	1	0	1	0	0
	प्रा. स्वा. केन्द्र, नादिया	9784742921	2	1	1	0	0
	प्रा. स्वा. केन्द्र, भारजा	9784742855	3	0	1	0	0
	सामु. स्वा. केन्द्र, सरूपगंज	9784742920	5	0	1	1	0
	प्रा. स्वा. केन्द्र, रोहिडा	9784742933	3	1	1	0	0

परिशिष्ठ नं० 7

राजस्थान सरकार

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही

एक्सरे मशीन व ई.सी.जी.की सूची

तहसील	केन्द्र नाम	फोन नम्बर	उपकरण का प्रकार	संख्या
सिरोही	सामु.स्वा.केन्द्र, कालन्द्री	02972–264344 264584	एक्सरे मशीन	1
	सामा.चिकित्सालय, सिरोही	02976–222216	एक्सरे मशीन	1
शिवगंज	सामु.स्वा.केन्द्र शिवगंज:	02976–271922	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी.	1
रेवदर	सामु.स्वा.केन्द्र, रेवदर	02975–283404	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी.	1
आबूरोड	सामु.स्वा.केन्द्र, आबूरोड	02974–221286	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी.	1
	सामु.स्वा.केन्द्र, आबूपर्वत	02974–235535	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी.	1
पिण्डवाडा	सामु.स्वा.केन्द्र, पिण्डवाडा	02974–220033	एक्सरे मशीन	1
			ई.सी.जी.	1
	प्रा.स्वा.केन्द्र; रोहिडा	9784742923	एक्सरे मशीन	0
	सामु.स्वा.केन्द्र, सरुपगंज	9982271824	एक्सरे मशीन	1

कार्यालय संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, सिरोही

अधिकारियो / कर्मचारियो के टेलीफोन नं0 सूची

क्र.स.	नाम अधिकारी	पद	पदस्थापन स्थान	मोबाईल नं0	तहसील	पंचायत समिति	विधानसभा
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ0 जगदीश बरबड	JD	संयुक्त निदेशक कार्यालय	9636868876	सिरोही	सिरोही	सिरोही
3	डॉ0 विक्रम सिंह	DD	ब0उ0प0चि0सिरोही	8107916823	सिरोही	सिरोही	सिरोही
10	डॉ0 रमेश चौधरी	SVO	संयुक्त निदेशक कार्यालय	9414151772	सिरोही	सिरोही	सिरोही
11	डॉ0 भास्कर चौधरी	SVO	ब.उ.प.चि. सिरोही	9414533278	सिरोही	सिरोही	सिरोही
12	डॉ0 दीपक राठोड	SVO	ब.उ.प.चि. सिरोही	9413125901	सिरोही	सिरोही	सिरोही
13	डॉ0 सुनील पी0जानी	SVO	डी0डी0एल सिरोही	9414842546	सिरोही	सिरोही	सिरोही
14	डॉ0 जगताप सुन्दर	SVO	प्र0श्रे0प0चि0कालन्द्री	9982994777	सिरोही	सिरोही	सिरोही
15	डॉ0 शिवलाल नोगि	SVO	प्र0श्रे0प0चि0 शिवगंज	9414533726	शिवगंज	शिवगंज	सिरोही
16	डॉ0 प्रतिभा बारड	VO	ब0उ0प0चि0सिरोही	9772119476	सिरोही	सिरोही	सिरोही
17	डॉ0 संजू डाका	VO	ब0उ0प0चि0सिरोही	9413936433	सिरोही	सिरोही	सिरोही
18	डॉ0 संजय तावरे	VO	पशु चिकित्सालय जावाल	9414469898	सिरोही	सिरोही	सिरोही
23	डॉ0 नरपतसिंह	VO	पशु चिकित्सालय कृष्णगंज	9928275700	सिरोही	सिरोही	सिरोही
24	डॉ0 आवेश खान	VO	पशु चिकित्सा0 पालडीएम	9166681991	शिवगंज	शिवगंज	सिरोही
28	श्री दलवीरसिंह राजावत	VA	पशु चिकित्सालय वलदरा	9414674132	सिरोही	सिरोही	सिरोही
34	डॉ0 चन्द्रमुनि बडोले	SVO	प्र0श्रे0प0चि0 धनारी	9414545247	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	आबु-पिंडवाडा
35	डॉ0 अमित चौधरी	SVO	प्र0श्रे0प0चि0 आबुपर्वत	9784244389	आबुरोड	आबुरोड	आबु-पिंडवाडा
36	डॉ0 शैलेन्द्र प्रजापति	SVO	प्र0श्रे0प0चि0 देलदर	9828424155	आबुरोड	आबुरोड	आबु-पिंडवाडा
37	डॉ0 पी0जी0दूभुरकर	SVO	प्र0श्रे0प0चि0 पिंडवाडा	9414423776	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	आबु-पिंडवाडा
38	डॉ0 नितेश अरोडा	VO	पशु चिकित्सा0 उपलागढ	9461051849	आबुरोड	आबुरोड	आबु-पिंडवाडा
39	डॉ0 अरुण खत्री	VO	पशु चिकित्सालय सिरोडी	9414398670	रेवदर	रेवदर	रेवदर
40	डॉ0 धर्मेन्द्र पटेल	SVO	प्र0श्रे0प0चि0 रेवदर	9413001175	रेवदर	रेवदर	रेवदर
41	डॉ0 राजेन्द्र पटेल	SVO	प्र0श्रे0प0चि0 मण्डार	9414767712	रेवदर	रेवदर	रेवदर
42	डॉ0 मुकेश रावल	SVO	प्र0श्रे0प0चि0 अनादरा	9413125080	रेवदर	रेवदर	रेवदर
43	डॉ0 देवजीफुला	SVO	प्र0श्रे0प0चि0 आबुरोड	9427391493	आबुरोड	आबुरोड	रेवदर
44	श्री कैलाशनारायण	VA	पशु चिकित्सालय निम्बज	9413375656	रेवदर	रेवदर	रेवदर
45	डॉ0 नीतु चौधरी	VO	पशु चिकित्सालय बोंट	94144733779	रेवदर	रेवदर	रेवदर
46	डॉ0 हबीबभाई राजपुरा	VO	पशु चिकित्सा0 रोरडा	9413000890	रेवदर	रेवदर	रेवदर
51	डॉ0 संदीप चौधरी	VO	पशु चिकित्सा0 चन्देला	7597007070	आबुरोड	आबुरोड	आबु-पिंडवाडा
53	डॉ0 संजय कुमार	VO	पशु चिकित्सालय नादिया	9001303833	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	आबु-पिंडवाडा
54	श्री कमलदीन लाजरस	VA	पशु चिकित्सालय नितोडा	9982984491	पिण्डवाडा	पिण्डवाडा	आबु-पिंडवाडा

परिशिष्ट नं0 8

गौशालाओं की सूची

क.स.	नाम तहसील	गौशाला का नाम	पंजीयन संख्या	पशुओं की संख्या			दूरभाष	
				छोटे	बड़े	योग	कार्यालय / निवास	मोबाईल
	आबूरोड	श्री गोपालन गौशाला खाराजोड मावल	168 / 68	20	65	85	222684	9460231020 9460714414 9460260856
		श्री सर्वेश्वर रघुनाथजी मन्दिर ट्रस्ट आबूपर्वत	37002	13	26	39	238660	9414449886 9460884496
		श्री सर्वेश्वर रघुनाथजी मन्दिर ट्रस्ट आकराभट्टा	37002	22	80	102	294485	9414449886 9460884496

DDMP 2017 परिशिष्ट नं० 9

Office of Chief Medical & Health Officer, Sirohi

List of Ambulance at Institute in Sirohi

S. No.	Institute Name	Type	Base Ambulance	108 Ambulance	104 Ambulance	By Donar	By MP
1	Aburoad	CHC	1	1	1	0	1
2	Mount Abu	CHC	1	1	0	0	0
3	Chanar	PHC	0	0	1	0	0
4	Deldar	PHC	0	1	0	0	0
	Block Aburoad	Total	2	3	2	0	1
5	Pindwara	CHC	0	1	1	0	1
6	Rohida	CHC	0	1	1	0	0
7	Swarupganj	CHC	1	1	1	0	0
8	Nandiya	PHC	0	0	1	0	0
9	Veerwada	PHC	0	1	0	0	0
10	Bharja	PHC	0	0	0	0	0
11	Bhula	PHC	0	0	0	0	0
12	Nitoda	PHC	0	0	0	0	0
13	Jhadoli	PHC	0	0	0	0	0
	Block Pindwara	Total	1	4	4	0	1
14	Reodar	CHC	0	1	1	0	0
15	Sirodi	PHC	0	0	0	0	0
16	Sanwada	PHC	0	0	0	0	0
17	Anadara	PHC	0	1	1	0	0
18	Danrai	PHC	0	0	1	0	0
19	Bhatana	PHC	0	0	0	0	0
20	Mandar	PHC	0	1	0	0	1
21	Bant	PHC	0	0	0	0	0
	Block Reodar	Total	0	3	3	0	1
22	Sheoganj	CHC	1	1	1	0	1
23	Paldi M	PHC	0	0	1	0	0
24	Posaliya	PHC	0	0	0	0	1
25	Andor	PHC	0	0	0	0	0
26	Alpa	PHC	0	0	0	0	0
27	Manadar	PHC	0	0	0	0	0
28	Kailash Nagar	PHC	0	1	1	0	1
	Block Sheoganj	Total	1	2	3	0	3
29	Distt. Hospital	PMO	1	1	0	1	1
30	Kalandri	CHC	0	1	0	0	1
31	Krishnganj	CHC	0	1	0	0	0
32	Barloot	PHC	0	0	0	0	0
33	Jawal	PHC	0	0	1	0	0
34	Padiv	PHC	0	0	0	0	0
35	Varada	PHC	0	0	0	0	0
36	Tanwari	PHC	0	0	1	0	0
37	Sildar	PHC	0	1	0	0	0
38	Mermandwada	PHC	0	0	0	0	0
39	Velangari	PHC	0	0	0	0	0
	Block Sirohi	Total	1	4	2	1	2
	Grand Total		5	16	14	1	8

परिशिष्ठ नं० 12

आश्रय स्थलों की सूची

नाम तहसील	कस	नाम व स्थान	कमरों की संख्या	व्यक्तियों के ठहरने की क्षमता सं	दूरभाष नम्बर कार्यालय	निवास / मोबाईल नम्बर
आबूरोड	1	राजकीय महाविद्यालय आबूरोड	30	500	222253	9413424282
	2	राउमावि आबूरोड(दरबार स्कूल)	30	500	222093	9414428381
	3	रेल्वे उमावि आबूरोड	40	500	223888	9001196605
	4	राबाउमावि(अर्बुदशाला) आबूरोड	20	400	225463	8769116614
	5	राउमावि सांतपुर	11	200	220068	9460059514
	6	सेन्ट एन्सलम उमावि रीको क्षेत्र आबूरोड	30	600	226457 226713	9460171533
	7	सेन्ट पॉल मावि(गांधीनगर) आबूरोड	30	600	225003	9602879046
	8	ईस्लामिया स्कूल आबूरोड	5	50	—	9414158037
	9	नगरपालिका बालमन्दिर(पुराना)	1	50	222270	9414545483 (ईओ नपा)

आश्रय स्थलों की सूची

तहसील	क्र.सं.	नाम व स्थान	कमरे	क्षमता	निर्माण की स्थिति	
					कार्यालय	मोबाईल नं.
सिरोही	1	रा.प्रा.वि. टांकरिया	4	40		9414325584
	2	नगरपालिका रेन बसेरा, सिरोही	1	20	222280	
	3	रा.उ.प्रा.वि. (के.एम.) सिरोही	6	60		9414325584
	4	विवेकानन्द स्कूल झुपाघाट सिरोही	4	40		9414325584
	5	रा.सी.हा.से.स्कूल पुराना भवन सिरोही	6	60		9414325584
	6	रा.सी.से. स्कूल नया भवन सिरोही	7	150		9414325584
	7	रा.सी.मा.वि.सिरोही(छात्रा)बग्गीखाना सिरोही	7	70	222388	
	8	रा.उ.प्रा.वि.भाटकडा सिरोही	4	40		9414053351
	9	खेतलाजी की धर्मशाला गोईली	1	100		9414053351
	10	राजकीय माध्यमिक विधालय गोईली	6	100		9460714218
	11	रा.उच्च प्राथमिक विधालय अणगोर	2	30		9928370173
	12	रा.उच्च प्राथमिक विधालय खाम्बल	5	100		9928370173
	13	रा.उच्च प्राथमिक विधालय मांकरोडा	3	50		9414544329
	14.	राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, धान्ता	6	100		9414544305
	15	राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, बालदा	3	60		9887568775
	16	राजकीय माध्यमिक विधालय, रामपुरा	4	30		9982016280
	17	राजकीय सी. माध्यमिक विधालय, कृष्णगंज	7	80		9829765280
	18	राजकीय माध्यमिक विधालय, सिंदरथ	6	50		9414589196
	19	पावापुरी कृष्णगंज	20	50		9799399101
	20	राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय मीरपुर	3	20		9414544305
	21	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, बरलूट	5	100		9414534693
	22	रा.प्राथमिक विधालय सुजापुरा बरलूट	5	50	260100	9828464947
	23	रा.प्रा. विधालय, माधोपुरा बरलूट	3	30		9414534693
	24	बस स्टेण्ड हनुमानजी के पास सार्वजनिक धर्मशाला गोल	1	30		
	25	रा.मा.विधालय गोल	4	40		9828228718
	26	रा.उ.प्रा.वि. (नया भवन) जामोतरा	5	100		9828426455
	27	रामदेवजी का मंदिर, जामोतरा	1	25		9828426455
	28	रा. माध्यमिक विधालय, भूतगांव	5	50		9610937013
	29	भूतेश्वर महादेवजी का मंदिर, भूतगांव	5	100		9610937013
	30.	राजकीय प्राथमिक विधालय, मनोरा	10	125	255035	9549192819
	31	राजकीय प्राथमिक विधालय, मनोरा	2	20	255035	9549192819
	32	जैन धर्मशाला, मनोरा	0	50	255035	9549192819
	33	राजकीय प्राथमिक विधालय, सतापुरा	3	40	255233	982821033
	34	रा.उच्च माध्यमिक विधालय, कालन्द्री	6	150	2640068	9460834021
	35	राज. उ.प्रा.विधालय मेगवाल वास कालन्द्री	4	70		
	36	रा.मा.विधालय मोहब्बतनगर	5	100		
	37	राजकीय माध्यमिक विधालय वेलांगरी	5	100		
	38	राजकीय माध्यमिक विधालय तंवरी	7	150		
	39	रा.मा.विधालय मेरमांडवाडा	6	100		
	40	राजकीय प्राथमिक विधालय मेरमांडवाडा	3	50		
		राजकीय माध्यमिक विधालय सिलदर	8	180		
	41	रा.उ.प्राथमिक विधालय बावली	8	180		
	42	रा.माध्यमिक विधालय मडिया	4	100		
	43	राजकीय प्राथमिक विधालय पोसीतरा	3	80		
	44	राजकीय प्राथमिक विधालय आकूना	2	40		
	45	रा.मा.विधालय मण्डवारिया	5	100		9799547274 9785405665
	46	रा.उ.प्रा.वि. देलदर	4	80		9413775094
	47	रा.उच्च मा.वि. वराडा	5	100	255559	
	48	हनुमान मंदिर, वराडा	1	50	255094	
	49	राजकीय माध्यमिक विधालय सिंदरथ	3	60		9414589196
	50	राजकीय माध्यमिक विधालय कृष्णगंज	4	80		941448374
	51	राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय मीरपुर	3	40		9414589196
	52	राजकीय उच्च प्राथमिक विधालय, चडुआल	4	100	264273	

जिला मुख्यालय पर भोजन व्यवस्था स्थलों की सूची

क्र. स.	नाम होटल	स्थान	दूरभाष नम्बर	
			टेलीफोन	मोबाईल
1	अजन्ता होटल	गोयली चौराहा, हाईवें	220488	9414325283
2	राजलक्ष्मी होटल	गोयली चौराहा, हाईवें	—	9414291255
3	बालाजी भोजनालय	गोयली चौराहा, हाईवें	221199	9414544692
4	चौधरी लॉज	नया बसस्टेण्ड के पास	—	9460834204
5	विजय भोजनालय	नया बसस्टेण्ड के पास	—	9413852377
6	अमरदीप [illegible]	नया बसस्टेण्ड के पास	—	9414152892
7	मोहन भोजनालय	नया बसस्टेण्ड के पास	—	9950320032
8	अम्बिका भोजनालय	नया बसस्टेण्ड के पास	9772038154	9875501729
9	लक्ष्मी ज्यूस सेन्टर	बसस्टेण्ड के पास	223367	9414152533
10	बाबारामदेव रेस्टोरेन्ट	सरूपविलास चौराहा	222595	9414152215
11	[illegible] होटल	जैन मंदिर के पास थुब	220620	9414270558
12	होटल विश्राम	जैन मंदिर के पास थुब के सामने	222565	9413852101
13	होटल महादेव	नर्सरी से पहले	—	9875091773
14	नटराज होटल	नर्सरी के सामने	222227	9414200671
15	अम्बिका रेस्टोरेन्ट सिरोही	हाइवें रोड सिरोही	220488	—

परिशिष्ठ नं० 15

हॉटलों की सूची आबूरोड

नाम तहसील	क.स.	नाम व स्थल	कमरों की संख्या	व्यक्तियों की ठहरने की संख्या	दूरभाष नम्बर		
					कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	2	3	4	5	6	7	8
आबूरोड	1	हॉटल मनाली	16		223100		
	2	देव हॉटल	15		220058 220258		
	3	जयदीप हॉटल	12		222602		
	4	कविता हॉटल	8		223997		
	5	द्रापदी हॉटल	10		225309		
	6	अर्बूदा गेस्ट हाऊस	7		223218 225016		
	7	गणपति गेस्ट हाऊस	5		220758		
	8	रेणुका गेस्ट हाऊस	8		222377		
	9	भवानी गेसट हाऊस	7		222307		
	10	अमरदीप गेसट हाऊस	5		221361 222361		

DDMP 2017 परिशिष्ठ नं० 31

प्रमुख स्वंय सेवी संस्थाओ का सूची (तहसीलवार)

क्र. स.	स्वंय सेवी संस्था का नाम व पता	उद्देय,	एसटीडी कोड	टेलीफोन/ मोबाईल नं.
	सिरोही			
1	अध्यक्ष, लायन्स क्लब सिरोही	गरीबो की सहायता	02972	221100
2	अध्यक्ष, टेक्सी यूनीयन सिरोही	दुर्घटना के दौरान	02972	[illegible] 9783211155
3	मेडिकल एसोसियेशन सिरोही(संजय मेडिकल स्टोर)	बिस्तारो की सहायता	02972	222462
4	ऑटो टैक्सी यूनीयन सिरोही	दुर्घटना के दौरान	02972	9829359547 7229975751
5	जैन पेढी सिरोही	गरीबों की सहायता	02972	220272
6	अम्बिका नवयुवक मण्डल गोयली	–	02972	230395
7	हनुमानजी मंदिर ट्रस्ट वराडा	बाढ के समय सहायता	02972	255094
8	जैन समाज वराडा		02972	255072
9	जैन समाज मण्डवारिया		02972	
10	अध्यक्ष, जैन चेरीटेबल ट्रस्ट बरलूट		02972	260147
11	अध्यक्ष, श्री जैन संघ कालन्द्री		02972	264324
12	श्री के.पी.सिंघवी चेरीटेबल ट्रस्ट मायापुरी (कृष्णगंज)	मानव व पशु सेवा	02972	266814
13	महावीर इन्टरनेशनल सिरोही	गरीबों की सहायता	02972	9414152201
14	अध्यक्ष, जैन रिलीफ सोसायटी सिरोही	पशुओं की सेवा	02972	9414152349
15	[illegible] सिरोही	पशुओं की सेवा	02972	9414275479
16	श्री सारणेश्वर पशु सेवा समिति सिरोही श्री कसुबाई चैरीटेबल ट्रस्ट	पशुओं की सेवा	02972	9841078416
17	भारत विकास परिषद् सिरोही	गरीबों की सहायता	02972	222471
	शिवगंज			
1	श्री दीपक अग्रवाल, लायन्स क्लब शिवगंज		–	9414123018
2	श्री नरपत मेहता, रोटरी क्लब शिवगंज		–	9414464095
3	श्री दिनेश सिंगल अध्यक्ष, अग्रसेन मेडीकल रीलिफ सोसायटी शिवगंज		–	9829224320
4	श्री अनिल जैन, अध्यक्ष, महावीर इन्टरनेशनल शिवगंज		–	9414155346
5	श्री पुरूषोत्तम सुथार, आर्य वीर दल [illegible] शिवगंज		–	8890021188
	पिण्डवाडा			

परिशिष्ठ नं 031

1	श्री शाह मिलापचन्द जैन पेढ़ी पिण्डवाड़ा		—	9321244441 9414673756
2	वैश्य मण्डल, पिण्डवाडा		—	9352793937
3	अध्यक्ष, टेक्सी यूनीयन सरूपगंज		—	9828201402
4	श्री एम.होलिकर, लायन्स क्लब पिण्डवाड़ा		—	9414425770
5	भारत विकास परिषद्, पिण्डवाडा		—	9414154751
6	महावीर इण्टर नेशनल सेवा		—	9414200714
7	लायन्स क्लब, सरूपगंज		02971	242182
8	बनवासी कल्याण परिषद रोहिडा		—	9414674769
		रेवदर		
1	मण्डार सेवा समिति संस्थान हंसमुखभाई भगवानचंदजी ओकांडिया		—	9414925085
2	फहेतचंद पुत्र मणीलाल दोशी नि. मण्डार		—	9414994212
3	जैन पेढी मण्डार (भेमचंद/हंसराजजी)		02975	285431
4	भाग्यवन्ती जीव रक्षा केन्द्र दांतराई		02975	224648
5	जैन पेढी जीरावल		02975	224438 9413000351
6	जैन पेढी दांतराई		02975	224833 9414448381
7	मोन्टेक्स ग्रुप (मुम्बई) निम्बज.प्रो.रमणभाई पुत्र रूगनाथजी जैन		02975	277121 09820030141
8	अध्यक्ष, जैन श्वेताम्बर आर्य रक्षित तीर्थ बरलूटा		02975	266611
9	श्रीमति सुंदरबेन भेरमलजी संघवी चेरीटेबल ट्रस्ट मालगांव		02975	244237
10	श्री के.पी.सिंघवी चेरीटेबल ट्रस्ट मालगांव		02975	244321
11	श्री ए.आर. चेरीटेबल ट्रस्ट मालगांव गुमानमल/हकमाजी		02975	244235
12	भेरूतारक धाम अनादरा, ताराचंद/भैरमलजी संघवी		02975	244165
		आबूरोड		
1	ब्रहमाकुमारी शान्तीवन तलेटी		02974	228101 से 228104
2	लायन्स क्लब, श्री रामनारायण सावरिया		—	9414152302
3	मार्डन इन्सुलेटर, श्री डी.बी. देशपाण्डे		02974	228047 220503

4	वनवासी कल्याण परिषद् श्री अशोक बाकलीवाल		02974	280811
5	आबू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स श्रीमती इन्द्रा कछवाह		02974	222119
6	श्री पोपटभाई जैन, अध्यक्ष, जन सेवा संस्था आबूरोड	9414154876	02974	222516
7	अरावली सेवा समिति आबूरोड, सुश्री कमला पंजवानी		—	9414240129
8	श्री कुलदीप डांगी अध्यक्ष, महावीर इन्टर नेशनल,	9414154800	—	9413500500
9	जन चेतना संस्था, श्रीमति रिचा औदित्य निदेशक	9829234888	02974	220402
10	नारी जागृति कल्याण, श्रीमति शमशाद बेगम	9928423723	—	9928423723
11	भारत विकास परिषद् श्री विकास अग्रवाल		—	9414545538
12	विश्व हिन्दु परिषद् श्री भगवान सहाय गर्ग नगर अध्यक्ष		—	9460231604
	आबूपर्वत			
1	रोटरी क्लब, श्री दीपक सिंगल अध्यक्ष		—	9414449784
2	लायन्स क्लब, श्री सुनील आचार्य		—	9414301076
3	मानव सेवा समिति, श्री त्रिलोक जानी		—	9414153377
4	अध्यक्ष, अरावली टेक्सी यूनीयन, श्री मांगीलाल काबरा		—	9414153791
5	अध्यक्ष, होटल एसोसिशन आबूपर्वत श्री कश्यप जांनी		—	9829321321
6	आबू जन सेवा समिति श्री ईश्वरचंद डागा महामंत्री		—	9414152295
7	ब्रहमाकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय श्री अवतार भाई, श्री अशोक भाई		02974	238788 9414153737 9414006888

जिले में उपलब्ध वायरलैस संचार व्यवस्था–

क्र.सं	केन्द्र का नाम	स्टेटिक / मोबाईल	कॉल साईन
1.	रिपिटर स्टेशन गुरू शिखर	स्टेटिक	ROM.15
2.	कंट्रोल रूम सिरोही	STATIC	CONTOL
3.	पु.अ.चैम्बर	STATIC	TIGER CHEMBER
4.	अति. पुलिस अधीक्षक सिरोही	STATIC MOBILE	BRAVO
5.	उप अधीक्षक पुलिस, सिरोही	MOBILE	PETER-1
6.	उप अधीक्षक पुलिस, आबूपर्वत	MOBILE	PETER-2
7.	उप अधीक्षक पुलिस, रेवदर	MOBILE	PETER-3
8.	उप अधीक्षक पुलिस, एससी / एसटी सिरोही	MOBILE	PETER-4
9.	पुलिस थाना आबूपर्वत	STATIC MOBILE	FORT-1
10.	पुलिस थाना आबूरोड सदर	STATIC MOBILE	FORT-2
11.	पुलिस थाना आबूरोड शहर	STATIC MOBILE	FORT-3
12.	पुलिस थाना सरूपगंज	STATIC MOBILE	FORT-4
13.	पुलिस थाना रोहिडा	STATIC MOBILE	FORT-5
14.	पुलिस थाना कोतवाली सिरोही	STATIC MOBILE	FORT-6
15.	पुलिस थाना पालडी	STATIC MOBILE	FORT-7
16.	पुलिस थाना शिवगंज	STATIC MOBILE	FORT-8
17.	पुलिस थाना बरलूट	STATIC MOBILE	FORT-9
18.	पुलिस थाना पिण्डवाडा	STATIC MOBILE	FORT-10
19.	पुलिस थाना रेवदर	STATIC MOBILE	FORT-11
20.	पुलिस थाना मण्डार	STATIC MOBILE	FORT-12
21.	पुलिस थाना अनादरा	STATIC MOBILE	FORT-13
22.	पुलिस थाना कालन्द्री	STATIC MOBILE	FORT-14
23.	महिला पुलिस थाना सिरोही	STATIC MOBILE	FORT-15
24.	पुलिस थाना आबूरोड जी.आर.पी.	STATIC MOBILE	GRP
25.	संचित निरीक्षक,पु.ला.सिरोही	STATIC MOBILE	FORT

DELL

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय, सिरोही

निम्न विवरणानुसार आप्रदा प्रबन्धन सामान आपदा प्रबन्धन केन्द्रों पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	मात्रा
1.	Hand Tool set (with contents) a. Bolt Cuter 12" & 30" b. Chisel for concrte ½" & (Tab aria or Eqvt) c. Screw driver set (tab aria) complet set d. Hack saw 12" tubular with spre blades e. Claw hammer 4 Kg. f. Crescent worench 8"	01
2.	Life Jacket	4
3.	Aluminum Extn ladder 25`folding	1
4.	Emergency Light	10
5.	Mega phone	02
6.	Tourch Light	10
7.	Face Mask	5
8.	Spade	10
9.	Picks	10
10.	Soul / Fawra	10
11.	Light axe	10
12.	Stretcher	04
13.	Blanket red	10
14.	Bukets	10
15.	BOB Roap 8Mm 20kg क्लाइमिगंरोप	60मीटर 120मीटर
16.	Fiber Ropes 10mm रेपलिंग रोप 60मीटर x 7	60मीटर
17.	Tents Canvas	1
18.	First aid box with contents Bite stice Flexi Splints Various Sizes Bandages Various Types Masks, Gloves, Sponges, Scissors	1
19.	Safety Helmets	10
20.	Box Steels with 2 lock 6X3X3 22 गेज	02
21.	Rubber Tubes 4 febocy	10
22.	A Pullies Single Sheave	2
	B Double Sheave	2
23.	Gum Boot	5
24.	Hand Gloves Rubber	5
25.	Heavy Chain with lock bullies	3मीटर
26.	Dregan Light	1
27.	Cat fingr (केवल सिरोही केन्द्र पर) →	03

हैं।

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जिला मुख्यालय सिरोही

आपदा प्रबन्धन प्रभारी व केन्द्र सुची

नाम तहसील	आपदा प्रबन्धन केन्द्र का नाम	केन्द्र प्रभारी का नाम	पद	मोबाईल नम्बर	आपदा प्रबन्धन सदस्य संख्या
सिरोही	रा.उ.मा.वि. कालन्द्री	श्री कनीराम संत श्री सरुपाराम माली	प्र.अ. व.अ.	9413818072 9413700034	12 प्रशिक्षित सदस्य
शिवगंज	रा.उ.मा.वि. पोसालिया	श्री सुमेर सिंह चौहान श्री मनोज कुमार मीणा	प्रधानाचार्य व.अ.	9461255225 8290638347	12 प्रशिक्षित सदस्य
पिण्डवाडा	रा.उ.मा.वि. सरुपगंज	श्री मोहनलाल परमार श्री रमेश लाल दहिया	व.अ. व.अ	9461239788 9414673775	12 प्रशिक्षित सदस्य
रेवदर	रा.उ.मा.वि. रेवदर	श्री महेश चन्द्र शर्मा श्री मुकेश पुरोहित	व्याख्याता अ.	9784778451 9413001356	12 प्रशिक्षित सदस्य
आबूरोड	रा.उ.मा.वि.किवरली	श्री महेन्द्र सिंह देवडा श्री कमल किशोर पुरोहित	व्याख्याता प्र.अ.	9414374545 9414545850	12 प्रशिक्षित सदस्य
सिरोही	जिला मुख्यालय सिरोही	श्री महेश कालावत श्री मंछाराम मेघवाल	सी.ओ. व.अ.	8003097200 9414978930	12 प्रशिक्षित सदस्य
आबूरोड	स्का.गा.ट्रेनिंग सेन्टर आबूपर्वत	श्री जितेन्द्र भाटी	सी.ओ.	8003097176	12 प्रशिक्षित सदस्य

DDMP 2017.

विवाह स्थलों की सूची

नाम तहसील	क.स.	नाम व स्थल	कमरों की संख्या	व्यक्तियों की ठहरने की संख्या	दूरभाष नम्बर कार्यालय	निवास	मोबाईल
1	2	3	4	5	6	7	8
आबूरोड	1	विष्णु धर्मशाला आबूरोड	60 कमरे 5 हाल	400	222330		
	2	सिन्धी धर्मशाला आबूरोड	7 कमरे 1 होल	150			9314364992
	3	प्रसादीलाल धर्मशाला आबूरोड	17 कमरे 2 होल	50	225166		
	4	जैन धर्मशाला खेडा इलेक्ट्रीक आबूरोड	24 कमरे	120	221849		
	5	मुस्लिम मुसाफिर खाना आबूरोड	7कमरे मय हाल	200	220087		9414158037
	6	गुजराती समाज आबूरोड	19 कमरे 2 हाल	250	222258		

DDMP - 2017

फायर ब्रिगेड (सरकारी / प्राइवेट) की सूची

कस	नाम तहसील	नगरपालिका / प्रतिष्ठान का नाम	फायर ब्रिगेड पंजीयन नम्बर	फायर ब्रिगेड की किस्म	क्षमता लीटर	दूरभाष नम्बर
	आबूरोड	एयरफोर्स स्टेशन आबूपर्वत		DFT	2750	238903 एक्टे7220
		नगरपालिका आबूरोड	RJ24EO580	LTV COBKING	2000	222270
		गेल आबूरोड	RJ24EO527		3000	294527 294528 221253 (कन्ट्रोल रूम)

परिशिष्ठ न0 120

जिला कलक्टर कार्यालय में संचालित आपातकालिन सहायता केन्द्र (ई0ओ0सी0) जो 24 घन्टे संचालित हैं अतिवृष्टि एवं संभावित बाढ से निपटने हेतु निम्नानुसार उपकरण हर समय उपलब्ध हैं –

	वस्तु का नाम (स्पेशीफिकेशन)	मात्रा
1	Hand Tool set (with contents) a. Bolt Cuter 12" & 30" b. Chisel for concrte ½" & (Tab aria or Eqvt) c. Screw driver set (tab aria) complet set d. Hack saw 12" tubular with spre blades e. Claw hammer 4 Kg. f. Crescent worench 8"	01
2	Life Jacket	05
3	Aluminum Extn ladder 25" folding	01
4	Emergency Light (ड्रेगन लाईट) (कन्ट्रोल रूम में)	02
5	Mega phone (समस्त उपखण्ड अधिकारी के पास)	05
6	Face Mask	03
7	Spade :	05
8	Picks	05
9	Stretcher	02
10	Blanket red	05
11	BOB Roap 20Kg	120 मीटर
12	Fiber Ropes 1½"	60 मीटr
13	Tents Canvas	01
14	First aid box with contents Bite stice Flexi Splints Various Sizes Bandages Various Types Masks, Gloves, Sponges, Scissors	01
15	Safety Helmets	05
16	Rubber Tubes 4 febocy	05
17	Pullies Single Sheave	01
	Double Sheave	01
18	Gum Boot	03 जोडी
19	Hand Gloves Rubber	05 जोडी
20	Heavy Chain with lock bullies	3 मीटर

कार्यालय नगर परिषद, सिरोही (राज.)

—: बाढ/अतिवृष्टि के सम्बन्ध में कन्टीजेन्सी प्लान :—

1. नगर परिषद सिरोही के अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :—

क.सं.	नाम अधिकारी	पदनाम	मोबाईल नम्बर
1	श्री प्रहलादराय वर्मा	आयुक्त	9829407437
2	श्री सुरेश कुमार	राजस्व निरीक्षक	9680723342
3	श्री दिलीप माथुर	अधिशाषी अभियन्ता	9414804015
4	श्री महेन्द्रसिंह चौधरी	सहायक अभियन्ता	9829200444
5	श्री नवोदितसिंह राजपुरोहित	सहा. अभियन्ता (पर्यावरण)	7275560010
6	श्री जसपालसिंह	कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	9602749667
7	श्री पंकज कंसारा	कनिष्ठ अभियन्ता (विधुत)	9414607302
8	श्री पुरोहित सुशील कुमार	सहायक राजस्व निरीक्षक	8058030218
10	श्री फकीर चन्द वाघेला	कार्यालय सहायक	9887474720
11	श्री रामलाल परिहार	कनिष्ठ लिपिक	9414544096
12	श्री रमेश कुमार ख्वास	कनिष्ठ लिपिक	9413468092
13	श्री अशोक कुमार माली	कनिष्ठ लिपिक	9460625387
14	श्री राजनदास तेजी	कनिष्ठ लिपिक	9829785879
15	श्री मदनलाल दत्ता	कनिष्ठ लिपिक	9414523543
16	श्री प्रवीण कुमार माली	सफाई निरीक्षक (अनु.)	9001353893
17	श्रीमती जग्गु	सफाई जमादार	9799610353
18	श्री हरीश कुमार	सफाई जमादार	
19	श्री चम्पतलाल	सफाई जमादार	8890100828
20	श्रीमती ओटी	सफाई जमादार	9549043459

परिशिष्ट – 1

सम्भावित बाढ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की सूचना

बाढ से प्रभावित लोगों को ठहराने हेतु चिकित्सा केन्द्रों का नाम व वैकल्पिक भवन

(1) तहसील सिरोही के ग्राम

क्र.स.	वैकल्पिक भवन	चिकित्सा संस्थान	दूरभाष संख्या
1. बरलूट	1. राज. माध्यमिक विद्यालय, बरलूट	प्रा.स्वा.केन्द्र, बरलूट	9784742909
	2. सार्वजनिक धर्मशाला, बरलूट		
	3. राज. प्राथमिक विद्यालय, बरलूट		
2. भूतगांव	1. राज. उच्च प्राथमिक विद्यालय, भूतगांव	उप.स्वा.केन्द्र, भूतगांव	9784742877
	2. जैन धर्मशाला , भूतगांव		
	3. भूतेश्वर महादेव मन्दिर, भूतगांव		
3. जानोतरा	1. आशापुरी माताजी का मन्दिर, जानोतरा	उप स्वा.केन्द्र, जानोतरा	9784742878
	2. गांव के अन्य निजी मकान		

(2) सिरोही शहरी क्षेत्र

1.	हरिजन वास, कॉलेज के पिछे का क्षेत्र	रा.मा.वि. (पुराना भवन) सिरोही	सामान्य चिकित्सालय 222216 , 102 , 220049
2.	जटियों का वास में खोखा खेजडा के पास का क्षेत्र	बग्गीखाना विद्यालय, सिरोही	---"---
3.	कृष्णापुरी	सर.के.एम.स्कूल.	---"---
4.	कालकाजी का तालाव (भाटकडा बाय पास) तलेटी में बसी बस्तियों में)	राज.माध्य.विद्या. (नवीन भवन)	---"---
5.	टांकरिया नाले के पास का क्षेत्र	टांकरिया स्कूल भवन	---"---
6.	गोचीवाडा मौहल्ला	गोची समाज का नोहरा	---"---

(3) तहसील शिवगंज के ग्राम

1.	पोसालिया	राज.उच्च मा.वि.पोसालिया	प्रा.स्वा.केन्द्र, पोसालिया	9784742904
2.	जोयला	राज.उच्च प्रा.वि.जोयला	उप स्वा. केन्द्र, जोयला	9784742758
3.	गोरली	ग्राम पंचायत भवन व प्रा.वि.	उप स्वा. केन्द्र, गोरली	9784742750
4.	केशल	राज.उच्च प्रा.वि.केशल	उप.स्वा.केन्द्र, केशल	9784742759
5.	लखमावा एस	प्रा.विद्यालय, लखमावा छोटा	उप.स्वा.केन्द्र, लखमावा	9784742760
6.	बागसीन	राज.उच्च प्रा.वि.बागसीन	उप.स्वा.केन्द्र, बागसीन	9784742745
7.	अरठवाडा	राज.उच्च प्रा.वि.अरठवाडा	उप.स्वा.केन्द्र, अरठवाडा	9784742754
8.	रूखाडा	राज.उच्च प्रा.वि.रूखाडा	उप.स्वा.केन्द्र, रूखाडा	9784742762
9.	भेव	राज.उच्च प्रा.वि.रूखाडा	उप.स्वा.केन्द्र, भेव	9784742755
10	मनादर	उप स्वास्थ्य केन्द्र, मनादर	उप.स्वा.केन्द्र, मनादर	9784742774
11	आल्पा	रा.प्रा.वि.आल्पा	रा.प्रा.वि.आल्पा	9784742753
12.	जोगापुरा	राज.उच्च प्रा.वि.जोगापुरा	राज.उच्च प्रा.वि.जोगापुरा	9784742757

2

(4) शिवगंज शहरी क्षेत्र

1.	संतोषी नगर डाक बंगला के पिछे वाली बस्ती	पुराना डी.एस.सी.भवन, एवं प्राथमिक विद्यालय	सामु. स्वा. केन्द्र, शिवगंज	9784742710 02976-221922
2.	खाडिया वास	राज.उच्च प्रा.वि.(दादावाडी)	--"--	--"--
3.	अस्पताल के पिछे बस्ती	राज.मा.वि. (बालिका)	--"--	--"--

(5) तहसील रेवदर के ग्राम

1.	रोहुआ	प्रा.वि. व विधुत विभाग का कार्यालय	उप.स्वा. केन्द्र, रोहुआ	9784742790
2	सेलवाडा	प्रा.वि.भवन, सेलवाडा	उप स्वा. केन्द्र, सेलवाडा	9784742814
3.	पैरवा	प्रा.वि.भवन, लूणोल	उप स्वा. केन्द्र, लूणोल	9784742813

(6) तहसील आबूरोड के ग्राम

1.	किवरली	राज. मा.वि.किवरली	उप स्वा. केन्द्र, किवरली	9784742733
2.	आमथला	राज.उच्च प्रा.वि.आमथला	उप स्वा. केन्द्र, आमथला	9784742714
3.	पाण्डूरी	राज. उच्च प्रा.वि.पाण्डूरी	उप स्वा. केन्द्र, किंवरली	9784742733
4.	ओर	राज.मा.वि.ओर	उप स्वा. केन्द्र, ओर	9784742728

(7) आबूरोड शहरी क्षेत्र

1.	मानपुर	राज. उच्च प्रा.वि.	प्रा.स्वा. केन्द्र, आबूरोड	9784742711
2.	लुणियापुरा रेगरवास	राज. उच्च प्रा.वि.	--"--	02974-221286
3.	लुनियापुरा नाले के मध्य भाग में बसी हुई बस्ती	नगरपालिका कार्यालय भवन, मानपुर रोड	--"--	--"--
4.	जुनी खराडी (भील वास / मेघवाल वास)	--"-- गांधी पार्क	--"--	--"--
5.	खारवाल वास	वैदिक कन्या विद्यालय	--"--	--"--
6.	गौशाला भीलवास	विष्णु धर्मशाला	--"--	--"--
7.	आवकारी क्षेत्र (कोलीवास / व राजपूत मौहल्ला)	प्रसादीलाल धर्मशाला	--"--	--"--
8.	बगरी वास	ईस्लामिया स्कूल	--"--	--"--
9.	धोंबी / हरीजन वास	नगरपालिका बाल मंदिर	--"--	--"--
10.	गांधी नगर	गांधी नगर स्कूल	--"--	--"--

..........3

(8) तहसील पिण्डवाडा के ग्राम

1.	भावरी	जैन, सुनार, कुम्हार व पुरोहित समाज धर्मशाला	उप.स्वा. केन्द्र, भावरी	9784742822
2.	धनारी	प्रा.वि.भवन, (नई धनारी)	उप.स्वा. केन्द्र, धनारी	9784742823

(9) पिण्डवाडा शहरी क्षेत्र

1.	हरिजन वास	राज. उच्च प्रा.वि. एवं जैन धर्मशाला	सामु.स्वा.केन्द्र, पिण्डवाडा
2.	स्टेशन रोड (राज. रा.वि.म. से लेकर सिरोही रोड पर स्थित चूंगी नाके की बस्तियां	सिरोही रोड	--"-- 9829349671 02971-280033

सिरोही जिलें में नदियों में बाढ आने से प्रभावित होने वाले गांवो की सूची

तहसील	नदी	प्रभावित होने वाले गांवो/अधिवासों की सूची	प्रभावित होने वाली जनसंख्या
सिरोही	कृष्णावती एवं वाडेली	जावाल, जानोतरा, भूतगांव, सतापुरा, बरलूट, रायपुरिया, एवं देलदर	11200
शिवगंज	जवाई नदी	देवली, शिवगंज, बडगांव, चंदाणा, लखमावा, रोवाडा	15450
	सुकडी नदी (पोसालिया)	सुथारो का गुडा, रूखाडा, पोसालिया, लखमावा, रोवाडा, केराल	2950
पिण्डवाडा	(धरवट सागरी) लोकल नाला	पिण्डवाडा, अजारी, एसाऊ, दानावा, नवाअरठ	16730
	पश्चिमी बनास	मुरानी, धनारी, भावरी, पातुम्बरी :	3133
	सुकली	खाखरवाडा, काछोली, नितोडा	2090
रेवदर	सीपू नदी करोंटी	गुलाबगंज, लूणोल, छापोल, करोटी, निम्बोडा, जामठा, भीलडाखेडा, रामपुरा, पिलोची, सेलवाडा	8960
	लेकल नाला	रोहुआ	1630
आबूरोड	बनास नदी	किवरली, आमथला, तरतोली, कारोली, आबूरोड शहर, सांतपुर	85091

जिला कलक्टर कार्यालय सिरोही में दिनांक 01.06.2017 से संचालित बाढ नियंत्रण कक्ष (कन्द्रोल रूम/ ई0ओ0सी0 (ईमरजेन्सी ऑपरेशन सेन्टर) में प्रतिनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारिों की सूची

नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	दूरभाष		
		मोबाईल	कार्यालय	निवासी
श्री एन.बी.सिंह आयोजना अधिकारी, सिरोही	प्रभारी अधिकारी (ई0ओ0सी0 एवं बाढ़ नियंत्रण कक्ष)	9772940063	02927–220706	
श्री वीरभ्रद सिंह, तहसीलदार सिरोही	सहायक प्रभारी अधिकारी बाढ़ नियंत्रण कक्ष /ई.ओ.सी.	9772522123	221216	
श्री मुश्ताक अली लिपिक ग्रेड–II	शाखा प्रभारी आपदा प्रबन्धन एवं सहायता प्रकोष्ठ कलक्टर कार्यालय सिरोही	9602560476	221240 225327	--

क. सं.	नाम कर्मचारी	मोबाईल नम्बर	नाम विभाग
	प्रथम पारी (प्रातः 6.00 बजें से दोपहर 2.00 बजें तक)		
1	श्री सुरेश कुमार लिपिक ग्रेड–II	7728903149	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, सिरोही
2	श्री विजय प्रकाश बैरवा, सूचना सहायक	8833407885	पंचायत समिति, सिरोही
3	श्री मंछाराम कुम्हार सहायक कर्म.	–	शिक्षा विभाग, सिरोही
	द्वितीय पारी (दोपहर 2.00 बजें से रात्रि 10.00 बजें तक)		
1	श्री दिनेश कुमार माली, एस.एस.ए. II	9413533927	अधिशासी अभियन्ता, विधुत विभाग पिण्डवाडा
2	श्री प्रवीण जोशी लिपिक ग्रेड–II	7073395054	पशु पालन विभाग, सिरोही
3	श्री केसाराम सहायक कर्मचारी	8875534912	महाविधालय, सिरोही
	तृतीय पारी (रात्रि 10.00 बजें से प्रातः 6.00 बजें तक)		
1	श्री लक्ष्मण राम सवल लिमिक लिपिक ग्रेड–I	9462287451	लॉक प्रारम्भिक शिक्षा, पंचायत समिति, सिरोही
2	श्री मदन कुमार लिपिक ग्रेड–II	9413700440	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) सिरोही
3	श्री दिलिपसिंह कानि. वाय. ऑपरेटर	9414544665	पुलिस विभाग, सिरोही
4	श्री मंछाराम माली, सहा. कर्मचारी	9001771461	शिक्षा विभाग (माध्यमिक) सिरोही
	<u>अतिरिक्त पारी</u> **(प्रत्येक <u>सोमवार</u> प्रातः 6.00 बजें से दोपहर 2.00 बजें तक, <u>मंगलवार</u> दोपहर 2.00 बजें से रात्रि 10.00 बजें तक, <u>बुधवार</u> रात्रि 10.00 बजें से प्रातः 6.00 बजें तक**		
1	श्री वीराराम	9166921737	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) सिरोही
2	श्री मुकेश बारड लिपिक ग्रेड–II	9460812294	कारखाना एण्ड बॉयलर्स सिरोही
3	श्री मंछीराम सहायक कर्मचारी	9660422698	जिला उधोग केन्द्र, सिरोही

<u>आरक्षित दल</u>

1	श्री अशौक कुमार, लिपिक ग्रेड–II	7742591243	जिला आयुर्वेद चिकित्सालय सिरोही
2	श्री विशाल सिंह, सहा.कर्मचारी	8385922855	मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधि. सिरोही
3	श्री वीराराम मीणा, सहा.कर्मचारी	8561809713	पोलोटेकनिक कॉलेजे सिरोही

अतिवृष्टि /बाढ की स्थिति के दौरान प्रभावित होने वाली कच्ची बस्ती निचले भराव वाले क्षेत्र

(Low Lying Area)

नाम तहसील	क्र.सं.	नाम ग्राम	क्षेत्र का नाम	कच्ची बस्ती निचले भराव वाले क्षेत्र है ? यथास्थिति अंकित करें।
रेवदर	1	गुलाबगंज	भील बस्ती	भराव वाले क्षेत्र
	2	धाण	कलबी बस्ती	भराव वाले क्षेत्र
	3	केसुआ	मेघवाल बस्ती	भराव वाले क्षेत्र
	4	मण्डार	पीथापुरा रोड	भराव वाले क्षेत्र
	5	हाथल	सरगरा एवं भील बस्ती	भराव वाले क्षेत्र
	6	छापोल	–	भराव वाले क्षेत्र
	7	लुणोल	–	भराव वाले क्षेत्र
	8	करोटी	–	भराव वाले क्षेत्र
	9	निम्बोडा	–	भराव वाले क्षेत्र
	10	जावल	–	भराव वाले क्षेत्र
	11	सेलवाडा	–	भराव वाले क्षेत्र
	12	रोहुआ	–	भराव वाले क्षेत्र
	13	भीलडाखेडा	–	भराव वाले क्षेत्र

मुख्य नहरें व उनकी भराव क्षमता की सूची

क्र.सं.	नहर का नाम	Canal Length in km.		Discharge Cusecs.	
		RMC	LMC	RMC	LMC
1.	अणगौर बांध नहर	13.100	---	92.585	---
2.	वेस्ट बनास बांध	34.740	21.64	113.00	35.23
3.	धान्ता बांध	6.096	---	7.50	---
4.	टोकरा बांध	7.926	---	19.40	---
5.	कामेरी नहर	5.40	---	36.04	---
6.	पोईदरा बांध नहर	5.25	---	10.35	---
7.	बगेरी नहर	2.80	---	13.85	---
8.	उडवारिया बांध	6.00	---	21.159	---
9.	मण्डार नाला	---	3.80	---	2.10
10	बूटडी	3.811	---	18.83	---
11	ओर नाला	0.60	0.60	1.095	0.77
12	सूकली मुख्य	10.50	17.96	26.27	45.19
13	कादम्बरी	4.200	---	18.87	---
14	भूला	3.200	3.200	11.00	8.00
15					
16					
17					
18					

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER WATER RESOURCES,

List Showing the Dam Incharge

of Divison:- Sirohi

S. No.	Name of Tank	Incharge AEN/JEN	Mobile No.	Remark's
1	2	3	4	5
A.	**SIROHI TEHSIL**			
1	Angore	Sh.P.C. Regar	9414545636	
2	Dhanta	----do-----	----do-----	
3	Kameri	----do-----	----do-----	
4	Poidara	----do-----	----do-----	
5	Nimbora	----do-----	----do-----	
6	Mansarowar Akhelao	----do-----	----do-----	
7	Varal	----do-----	----do-----	
8	Nawara	----do-----	----do-----	
9	Barloot	----do-----	----do-----	
B.	**ABUROAD TEHSIL**			
1	Bageri	Sh. L.M Daidish	9414769328	
2	Moongthala	Sh. Rajendra Gahlot/B.L. Saini	9414610065/ 9414640294	
3	Girwar	----do-----	----do-----	
4	Kuisangna	Sh. L.M Daidish	9414769328	
5	Chinar	----do-----	----do-----	
6	Mahadev Nallah	----do-----	----do-----	
7	Vajna	Sh. Rajendra Gahlot/ B.L. Saini	9414610065/ 9414640294	
8	Ore Nallah	Sh. L.M Daidish	9414769328	
9	Bhaisa Singh	----do-----	----do-----	
C.	**PINDWARA TEHSIL**			
1	West Banas (Medium)	Sh. L.M Daidish	9414769328	
2	Valoriya	Sh. L.M Daidish	9414769328	
3	Gangajali	Sh. L.M Daidish	9414769328	
4	Kadambari	Sh.P.C. Regar/ B.L. Saini	9414545636/ 9414640294	
5	Bhula	----do-----	----do-----	
6	Saraoopsagar	----do-----	----do-----	
7	Vasa	Sh. L.M Daidish	9414769328	
D.	**REODAR TEHSIL**			
1	Tokra	Sh. Rajendra Gahlot/ B.L. Saini	9414610065/ 9414640294	
2	Butri	----do-----	----do-----	
3	Udwariya	----do-----	----do-----	
4	Mandar Nallah 1st	----do-----	----do-----	
5	Karodidhaj	----do-----	----do-----	
6	Panch Deval	----do-----	----do-----	
7	Sukli Selwara (Medium)	----do-----	----do-----	

All Formate